प्राक्कथन

राजस्थान के वन क्षेत्र यद्यपि कुल भू–भाग के वांछित एक तिहाई के विरुद्ध मात्र 9.5 प्रतिशत ही है, तथापि यहां के वन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र व प्रचुर मात्रा में जैव विविधता उपलब्ध है। वन विभाग जैव विविधता का संरक्षण एवं वन विकास के साथ–साथ जन सहभागिता से सतत् वन प्रबन्धन के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है।

मुझे यहां यह अंकित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि विभाग अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी आम जनता की सहभागिता व कर्मठ कार्मिकों के कारण उपलब्ध संसाधनों में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक कार्य कर रहा है। विभाग की चालू वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं :–

- **इस वर्ष 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 41287 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया।**
- **नरेगा योजना में गत वर्ष 133.79 करोड़ रुपये के 2134 कार्य करवाये गये तथा 7.28 करोड़ से भी अधिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। चालू वर्ष में भी जनवरी, 09 तक 220.81 करोड़ रुपये के 3932 कार्य स्वीकृत हुये और अब तक चार करोड़ छियासी लाख से अधिक मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ है।**
- **विभाग की सभी गतिविधियों से इस वर्ष 13.142 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजित हुआ।**
- **6 महत्वपूर्ण संकटापन्न औषधिय प्रजातियों के लिये 7 संरक्षित क्षेत्र बनाये गये।**
- **पहली बार 51 क्षेत्रीय ग्रेड प्रथम को सहायक वन संरक्षक के पद पर एक साथ पदोन्नत किया गया।**
- **विभाग के मृतक 41 कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी गई।**
- **वन सुरक्षा हेतु वन अधिनियम 1953 में कतिपय संशोधन प्रस्तावित कर राज्य सरकार को भेजे गये हैं।**
- **वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 2322.85 हैक्टेयर वन भूमि के 3769 दावों के सम्बन्ध में विभिन्न जिला स्तरीय समितियों ने आदेश पारित किये हैं।**
- **बजट घोषणा के अनुरूप वन खण्ड झालाना एवं आमेर 54 की सुरक्षा हेतु इस वर्ष 7375 रनिंग मीटर दीवार बनाई गई तथा 1728 घनमीटर चैकडेम बनाये गये।**
- **दांतीवाड़ा एवं साबरमती परियोजनाओं में कृषकों को उन्नत बीज, खाद व डी.ए.पी. लक्ष्य के अनुरूप वितरित किये गये। दांतीवाड़ा परियोजना के मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि उपचारित क्षेत्रों के जलस्तर में 2.1 से 4.5 मीटर तथा बुवाई के कुल क्षेत्रफल में 10.52% की वृद्धि हुई है।**
- **वाह्य संस्था द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में रोपित पौधों का जीवितता प्रतिशत 84.36 तथा कृषि वानिकी के तहत रोपित पौधों का जीवितता प्रतिशत 75% पाया गया।**
- **बाघ परियोजना सरिस्का में एक बाघ एवं दो बाघिन को सफलतापूर्वक विस्थापित कर दिया गया है। पूरे**

देश में प्रथम बार ऐसी सफल पहल की गयी है।

- **राज्य में दो वन क्षेत्रों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है व 6 अन्य को घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।**
- **अब तक 84.59 प्रतिशत वन भूमि का अमल दरामद किया जा चुका है।**
- **विभागीय कार्य योजना ने वर्ष 2008–09 के कुल राजस्व लक्ष्य 2750.00 लाख के विरुद्ध दिसम्बर, 09 तक 1538.03 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।**
- **वन विभाग के स्वयं सहायता समूहों द्वारा वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने के लिए जैविक गुलाल, अगरबत्ती स्टिक्स, ऐलोविरा रस बनाना जैसे अनेक कार्य प्रारम्भ किये गये हैं**
- **वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक की अवधि में 31 स्थानों पर बांस विदोहन से समितियों को 17.97 लाख रुपये से अधिक की हिस्सा राशि प्राप्त हुई।**
- **इस वर्ष वृक्षारोपण भूरी बड़ाज 1984 व दौलतपुरा का विदोहन किया जा रहा है जिनकी नीलामी क्रमशः एक करोड़ साढ़े सात लाख रुपये तथा 5,71,000 रु. में छूटी है।**

इस वर्ष वन प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भी अनेक परिवर्तन किये गये हैं। वन प्रशासन की संरचना भी राजस्व प्रशासन की भांति निर्धारित की जा रही है। प्रदेश के सभी संभाग स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है तथा प्रत्येक वन मण्डल में दो उपखण्ड भी बनाये गये हैं। मैं समझता हूँ इससे वन व राजस्व प्रशासन में बेहतरीन तालमेल बन पायेगा।

इस प्रशासनिक प्रतिवेदन को सचित्र बनाने में मुख्य वन संरक्षक एस. एस. चौधरी, राजन माथुर, डॉ. सुरेशचंद, वन संरक्षक आर. के. ग्रोवर, डॉ. डी. एन. पाण्डे, उप वन संरक्षक सुभाष शर्मा, सुनयन शर्मा, के. पी. गुप्ता, के. आर. काला, मनोज पाराशर, लक्ष्मण परमार, बी. पी. पारीक, के. सी. मीणा, सहायक वन संरक्षक एम. सी. गुप्ता, संजय भादू, क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार शर्मा, अनुराग भटनागर, योगेश शर्मा, राजीव कपूर, ओ. पी. चौधरी, अशोक जैन, डी. के. जोशी तथा वनपाल राजेश शर्मा एवं फिरोज हुसैन द्वारा दिए गए योगदान के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। विशेषकर मनोज पाराशर ने अपनी पैनी नजरों से वन्य जीवों की क्रियाओं को जिस दक्षता से कैमरे में कैद किया है, मैं उसकी विशेष सराहना करता हूँ।

अल्प समय में प्रतिवेदन हेतु तथ्य एवं चित्र संकलन तथा इसे तैयार कर आप तक पहुँचाने में डॉ. राकेश कुमार शर्मा एवं रमेशचन्द्र शर्मा, वनपाल ने अत्यन्त कठोर परिश्रम किया है मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ

(अभिजीत घोष)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान

वन विभाग : एक नजर में

(1–3–09 की सूचनानुसार)

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32549.64 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,778.47 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	17,010.03 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,761.14 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.51
सर्वाधिक वन सम्पदा वाला जिला	:	उदयपुर (36.62%)
न्यूनतम वन सम्पदा वाला जिला	:	चूरू (0.42%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2005)	:	15850 वर्ग किमी. (4.63%)
वृक्षावरण	:	8,379 वर्ग किमी. (2.45%)
वन एवं वृक्षावरण	:	24229 वर्ग किमी. (7.08%)
राज्य पशु	:	चिंकारा
राज्य पक्षी	:	गोड़ावन
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	दो
वन्य जीव अभयारण्य	:	25
बाघ परियोजनाएं	:	2 (रणथम्भौर एवं सरिस्का)
महत्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
कंजर्वेशन रिजर्व	:	दो
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	37
वन्य जीव मण्डल	:	13
विभागीय कार्य मण्डल	:	3
कार्य आयोजना अधिकारी	:	4
भू–संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	112
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	223
अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	14
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7008
मंत्रालयिक संगर्व/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1034
वर्क चार्ज कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	7196
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	4916
ईको डवलपमेंट कमेटियां	:	207
स्वयं सहायता समूह	:	1488
वनों का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान	:	170850 लाख रु.

विभाग के प्रमुख उद्देश्य

► दूरदृष्टि (Vision) :

- उपलब्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण एवं जन–सहभागिता से इनका विकास।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व कायम करना।
- प्रदेशवासियों को वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलों से लाभान्वित करना।

► लक्ष्य (Targets) :

- टिकाऊ वन प्रबन्धन।
- वन एवं वृक्ष आच्छादन में वृद्धि।
- जैव–विविधता एवं जीन पूल का संरक्षण।
- मरुस्थलीकरण की रोकथाम।
- सूखे से निजात।
- परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना एवं बंजर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि।
- निर्धन एवं पिछड़े लोगों को जीविकोपार्जन सुरक्षा प्रदान करना।
- वन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना।
- पारिस्थितिकीय–पर्यटन (Eco-tourism) को बढ़ाना।

► रणनीति (Strategy) :

- विस्तृत वनीकरण एवं चारागाह विकास।
- वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना।
- प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना।

छाया सौजन्य : संजय भादू

बीड़, झुन्झुनूं

12वीं विधानसभा के नवम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 18.02.08 को दिये गए अभिभाषण में की गई घोषणा की क्रियान्विति।

क्र. सं.	पैरा संख्या 104	क्रियान्विति
1.	प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष राज्य में 83 हजार 134 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य तथा 103 लाख 15 हजार पौधों का वितरण किया गया।	प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य में 87 हजार 433 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 109 लाख 26 हजार पौधों के वितरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सारस अन्य प्रजातियों के साथ

दुर्लभ प्रजाति : सफेद पलाश

रातरानी के पुष्प पर अपने शिकार के साथ मकड़ी (Crab Spider)

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.51 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

- पश्चिमी मरुस्थल
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
- पूर्वी मैदानी भाग
- बनास सिंचित क्षेत्र
- चप्पन सिंचित क्षेत्र
- दक्षिणी–पूर्वी पठार

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

- मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
- नहरी–सिंचित क्षेत्र
- असिंचित क्षेत्र
- लूणी बेसिन
- अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
- उत्तरी अरावली प्रदेश
- मध्य अरावली प्रदेश
- दक्षिणी अरावली प्रदेश
- पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
- बनास बेसिन
- माही बेसिन
- बाण गंगा बेसिन
- साहिबी बेसिन
- गम्भीरी बेसिन
- वराह / बराह बेसिन
- हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
- चम्बल बेसिन
- डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू–उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य है:–

छाया : अनुराग भटनागर

आगरा बी–2006 वृक्षारोपण, रेंज जावदा

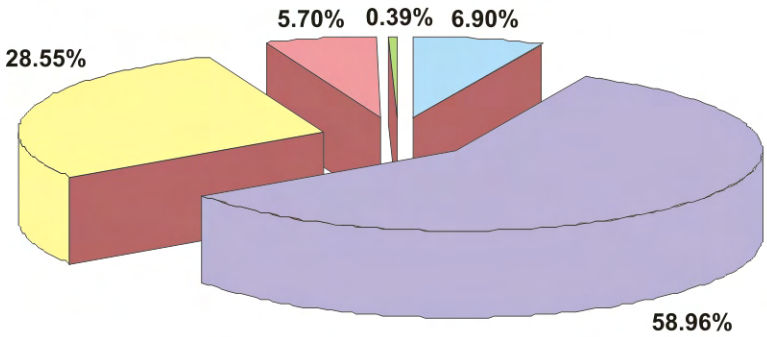

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति*

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32,549.64 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12,778.47	39.26
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	17,010.03	52.26
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2,761.14	8.48
	कुल योग	**32,549.64**	**100.00**

*2005 की स्थिति अनुसार

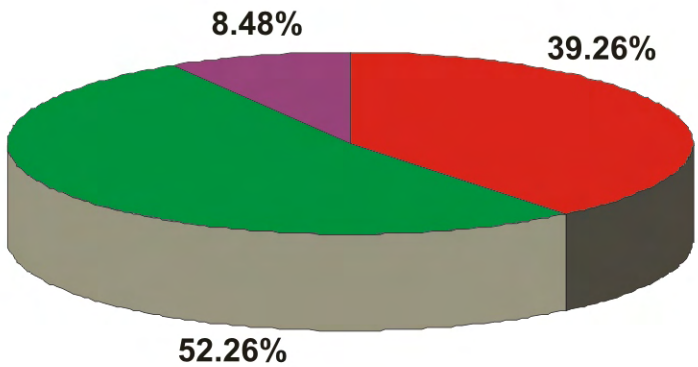

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32549.64 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.51 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.23 प्रतिशत
  - * प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.06 हैक्टर
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 15850 वर्ग किमी.
  (भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 के अनुसार)

राजस्थान में भू–उपयोग : एक दृष्टि में

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू–उपयोग	कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी. में	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	32,549	9.51
2.	अकृषि भूमि	17,257	5.04
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	4,420	1.29
4.	चारागाह भूमि	11,942	3.49
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	68,985	20.16
6.	परती भूमि	42,219	12.34
7.	कृषि योग्य भूमि (वास्तविक बोया गया क्षेत्र)	1,64,857	48.17
	योग	**3,42,239**	**100**

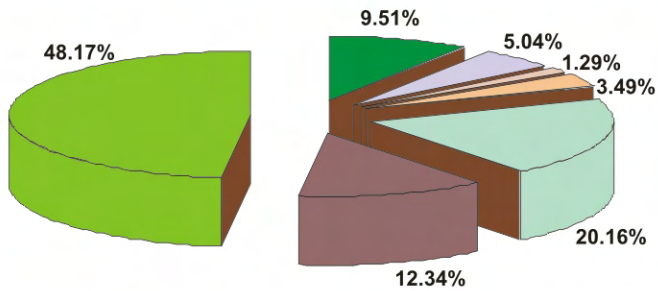

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.51 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल(हैक्टर में)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2,24,787	6.90
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19,02,775	58.96
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9,29,286	28.55
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	1,85,452	5.70
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	12,664	0.39
	योग	**32,54,964**	**100.00**

* अति सघन वन (छत्र घनत्व > 70 प्रतिशत) : 14 वर्ग किमी.
* सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70 प्रतिशत) : 4,456 वर्ग किमी.
* खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40 प्रतिशत) : 11,380 वर्ग किमी.
* प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन : 4.63 प्रतिशत
* राष्ट्र के कुल वृक्षाच्छादित क्षेत्रफल के सन्दर्भ में राज्य का वन आवरण : 2.34 प्रतिशत
* **गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2003 के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि : 29 वर्ग किमी.**

- वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) : 8,379 वर्ग किमी.
  * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन : 2.45 प्रतिशत
  * **भारत वर्ष में सर्वाधिक वृक्ष आवरण (अभिलेखित वन क्षेत्र से बाहर वनावरण) में सभी राज्यों में राजस्थान का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है।**
- वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover) : 24,229 वर्ग किमी.
  * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र : 7.08 प्रतिशत

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, दूधी तलाई, रेंज जावदा

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

• उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता एवं अनुसंधान कार्यों की स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

छाया : मनोज पाराशर

गिलहरी अपने बच्चे को दूसरे घोसले में स्थानान्तरित करते हुए

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

• मध्यम स्तरीय प्रशासन :

मध्य स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग व राजस्व संभाग में बेहतर तालमेल के लिए प्रत्येक संभाग में मुख्य वन संरक्षक का पद सृजित कर दिया गया है। माह फरवरी, 2009 में भरतपुर व अजमेर में मुख्य वन संरक्षकों की पदस्थापना के साथ ही प्रत्येक संभाग का कार्य दायित्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी देखेंगे। संभाग में कार्यरत सभी वन मण्डल सीधे मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में कार्य करेंगे। आगामी वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था पूर्ण रूपेण कार्य करने लगेगी। प्रत्येक मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में एक वन संरक्षक भी पदस्थापित रहेंगे, जो जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ मूल्यांकन, शोध व प्रशिक्षण का कार्य भी देखेंगे। संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय में एक उप वन संरक्षक, मूल्यांकन तथा एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया जा रहा है। मूल्यांकन मण्डल, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम एण्ड ई) के

नियंत्रण में कार्य करेगा। ये उप वन संरक्षक, संबंधित संभागों के अधीन क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन कार्य करेंगे। इनके अतिरिक्त कार्य आयोजना तथा विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पृथक् से मुख्य वन संरक्षक कार्यालय कार्यरत हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक मण्डल वन अधिकारी पदस्थापित हैं। इस वर्ष से प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का होगा। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए जा रहे हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीवन सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रभावी किया जा सकेगा तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

छाया : मनोज पाराशर

टिटहरी सामान्यतया बहाव वाले स्थान पर अंडे नहीं देती किन्तु चित्र में दृष्टव्य है कि इस टिटहरी ने एनीकट की दीवार पर ही अण्डे दे दिए हैं किन्तु दीवार की गर्मी के कारण टिटहरी अपने पंखों को भिगोकर अंडों पर पानी डालकर तापमान नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

उपरांकित प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है :–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के कैडर में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या			रिक्त पद
		कैडर में	एक्स कैडर में	कुल	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	–
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	5	7	0
3.	मुख्य वन संरक्षक	8	19	27	–
4.	वन संरक्षक	19	8	27	3
5.	उप वन संरक्षक	38	10	48	7
	योग	**69**	**44**	**113**	**10**

इस वर्ष भारतीय वन सेवा संवर्ग का 'कैडर रिव्यू'' किया गया है। भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद का नियतन) नियमावली, 1966 में संशोधन करते हुए प्रदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या 112 से बढ़ाकर 147 कर दी गई है। इस संख्या वृद्धि की अधिसूचना राजपत्र में होना शेष है। इस नियतन के अनुरूप राज्य में 2 पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 6 पद अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, 21 पद मुख्य वन संरक्षक, 16 पद वन संरक्षक तथा 44 पद उप वन संरक्षक स्तर के हो जाएंगे।

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (चयनित वेतनमान)	5	5
2.	उप वन संरक्षक	62	5
3.	सहायक वन संरक्षक	149	34
4.	अनुसंधान अधिकारी	7	6
	योग	**223**	**50**

इस वर्ष 51 क्षेत्रीय–ग्रेड–प्रथम को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :–

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशाषी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता/सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	8	4
3.	सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि)	2	2

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :–

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	264	264	0
2.	क्षेत्रीय–द्वितीय	159	152	7
3.	वनपाल	1026	994	32
4.	सहायक वनपाल	693	674	19
5.	वन रक्षक एवं गेम वाचर्स	4228	3287	941

अधीनस्थ वन सेवा के अन्य स्वीकृत 638 पदों में से 43 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **मंत्रालयिक सेवा (Ministerial Service) :–**

मंत्रालयिक सेवा के कुल 1034 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 45 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **वर्कचार्ज संवर्ग (Work Charge Service) :–**

विभाग में वर्तमान में 194 दैनिक श्रमिक (न्यायालय आदेश के कारण) सहित 7196 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

प्रशासनिक कार्य :

कार्मिक सम्बन्धी कार्य

- **पदोन्नति :**

- वर्ष 2007 की रिक्तियों के विरुद्ध राज्य वन सेवा के वी.एस. बोहरा व अजय कुमार गुप्ता की भारतीय वन सेवा में नियुक्ति।
- भारतीय वन सेवा के कैडर रिव्यू के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2008 को कैबीनेट सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक आमंत्रित की जा चुकी है।
- 51 क्षेत्रीय–I को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है।
- वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा निम्नानुसार कर्मचारियों की पदोन्नति की गई :

क्र.सं.	पदोन्नति	पदोन्नति वर्ष	पदों की संख्या
1.	कार्यालय सहायक से कार्यालय अधीक्षक	07–08, 08–09	11
2.	निजी सहायक से वरिष्ठ निजी सहायक	07–08	2
3.	वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक	05–06 से 08–09	42
4.	वनपाल से क्षेत्रीय–II	04–05 से 07–08	26
5.	खलासी कम चौकीदार से कनिष्ठ लिपिक	(न्यायालय निर्णय से)	1

हाल ही में 226 वनरक्षक को सहायक वनपाल पद पर पदोन्नति देने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं इससे वर्ष 1978 तक के भर्ती वन रक्षक लाभान्वित होंगे एवं 26 वनपालों को क्षेत्रीय–II में पदोन्नति देने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। 50 कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। 51 ग्रेड–I क्षेत्रीय को सहायक वन संरक्षक पद पर पदोन्नति दी जाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

चालू वर्ष में निम्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई :

- निजी सहायक की, 1.4.06, 1.4.07 व 1.4.2008 के अनुसार अंतिम।
- वरिष्ठ लिपिकों की 1.4.05 के अनुसार
- ट्रेसर, 1.4.07 के अनुसार प्रोविजनल
- साद अवलोकक कम साद विश्लेषक, 1.4.07 के अनुसार प्रोविजनल व अंतिम
- प्रारूपकार, 1.4.07 के अनुसार अंतिम
- निरीक्षक, 1.4.07 के अनुसार अंतिम
- कार्यालय अधीक्षक, 1.1.2008 के अनुसार, अंतिम
- स्टेनोग्राफर, 1.4.07 के अनुसार, अंतिम
- निजी सचिव, 1.1.08 के अनुसार
- वरिष्ठ निजी सहायक, 1.1.08 के अनुसार, अंतिम
- कनिष्ठ अभियंता (ओवरसियर), 1.4.07 के अनुसार, अंतिम
- वनपाल, 1.4.04 के अनुसार, अंतिम
- बुलडोजर ऑपरेटर, 1.4.2006 के अनुसार अंतिम
- सर्वेयर, 1.4.2003 के अनुसार प्रोविजनल
- क्षेत्रीय–I, 1.4.2007 के अनुसार प्रोविजनल व अंतिम तथा 1.8.2008 के अनुसार अंतिम
- कनिष्ठ लिपिक की अस्थाई वरिष्ठता सूची

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान के स्तर से इस वर्ष सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कुल 37 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें से 11 प्रकरण धारा 16 के, 5 प्रकरण धारा 17 के तथा शेष 21 प्रकरण अपील के थे।

• अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में इस वर्ष 1 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 104 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में आश्रितों को विभाग में 30 वनपाल, 9 वनरक्षक, एक कनिष्ठ लिपिक तथा एक चालक के पद पर नियुक्त किया गया। कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति सम्बन्धी 62 प्रकरण अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु प्रेषित किए गए।

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2008–09 में विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही:

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	39	32	7
अतारांकित प्रश्न	63	59	4
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	7	7	–
आश्वासन	12	6	6

❁ विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 4896 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 18, माननीय उच्च न्यायालय में 1238, ट्रिब्यूनल में 163 तथा अन्य न्यायालयों में 3477 प्रकरण विचाराधीन हैं।

❁ "सूचना का अधिकार" संबंधित कार्य:

राज्य सरकार ने दिनांक 3–5–2007 द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 3–10–2005 को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 11–8–2006 को संशोधित करते हुए वन विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर एवं लोक प्राधिकरण वन विभाग तथा अपीलेट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव वन घोषित किए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 29 मई, 2007 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 387 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 89 लोक सूचना अधिकारी व 10 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

इस वर्ष जनवरी, 2009 तक सूचना चाहने सम्बन्धी 83 आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 65 आवेदनकर्ताओं को सूचना के अधिकार नियम 05 के अन्तर्गत आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 18 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं।

छाया : राजीव कपूर

जवाहर सागर अभयारण्य में स्लोथ बीयर

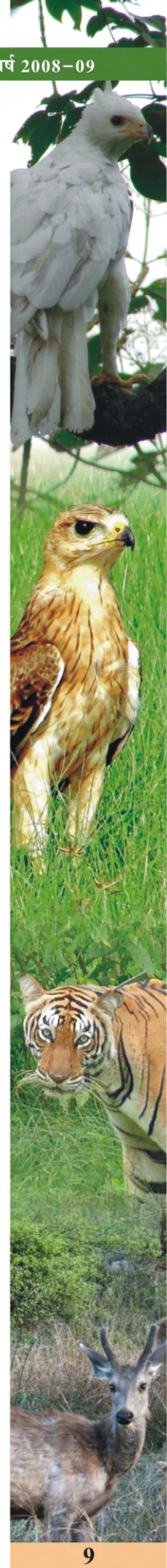

श्रम अनुभाग सम्बन्धी कार्य

- इस वर्ष श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों से 60 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 28 आदेश विभाग के विरुद्ध पारित हुए हैं।
- विभाग में न्यायालय आदेशों से सम्बन्धित 21 प्रकरणों में शासन से नो रिट/नो अपील का विनिश्चय कराया गया तथा 16 प्रकरणों में श्रमिकों को पुन: कार्य पर लेने हेतु वित्त विभाग से स्वीकृतियां प्राप्त हुईं जिनमें श्रमिकों को पुन: कार्य पर लेने की कार्यवाही की गई।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 39 प्रकरणों में 12.00 लाख रुपये के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं जिनसे सम्बन्धित को भुगतान की कार्यवाही की गई।

कार्य प्रगति अंकेक्षण व्यवस्था

(Performance Audit) :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में समस्त प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकगण, उनके अधीनस्थ वन संरक्षकगणों एवं उप वन संरक्षकगणों के द्वारा किये गये सामयिक कार्य का समग्र ब्यौरा प्रतिमाह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसकी समीक्षा मुख्यालय पर की जाकर संबंधित अधिकारीगणों को उनकी निष्पति (Performance) के बारे में सूचित कर दिया जाता है। जहां सुधार (improvement) की गुंजाइश होती है, वहां संबंधित अधिकारीगण को मार्गदर्शन के साथ आगाह भी किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट का अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय सुपरवाइजरी अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जावेगा।

लेखा अनुभाग संबंधी प्रगत

वित्तीय वर्ष 2008–09 में लेखा अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विवरण	1.4.08 को बकाया		नये प्राप्त		निस्तारण		लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सी.ए.जी. प्रतिवेदन	1	1	2	12	1	1	2	12
2.	ज.ले.स. प्रतिवेदन	5	10	1	1	5	10	1	1
3.	ड्रॉफ्ट पैरा		7		2		9		
4.	तथ्यात्मक पैरा				2		2		
5.	महालेखाकार आक्षेप	672	2269	119	481	194	955	597	1795
6.	निरीक्षण विभाग	432	2854	3	16	38	393	397	2477

3

वन सुरक्षा

राज्य वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन व अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :–

❁ गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में 28 गश्तीदल (12 वन्य जीव गश्तीदल) कार्यरत हैं।

❁ वायरलैस सेट्स की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

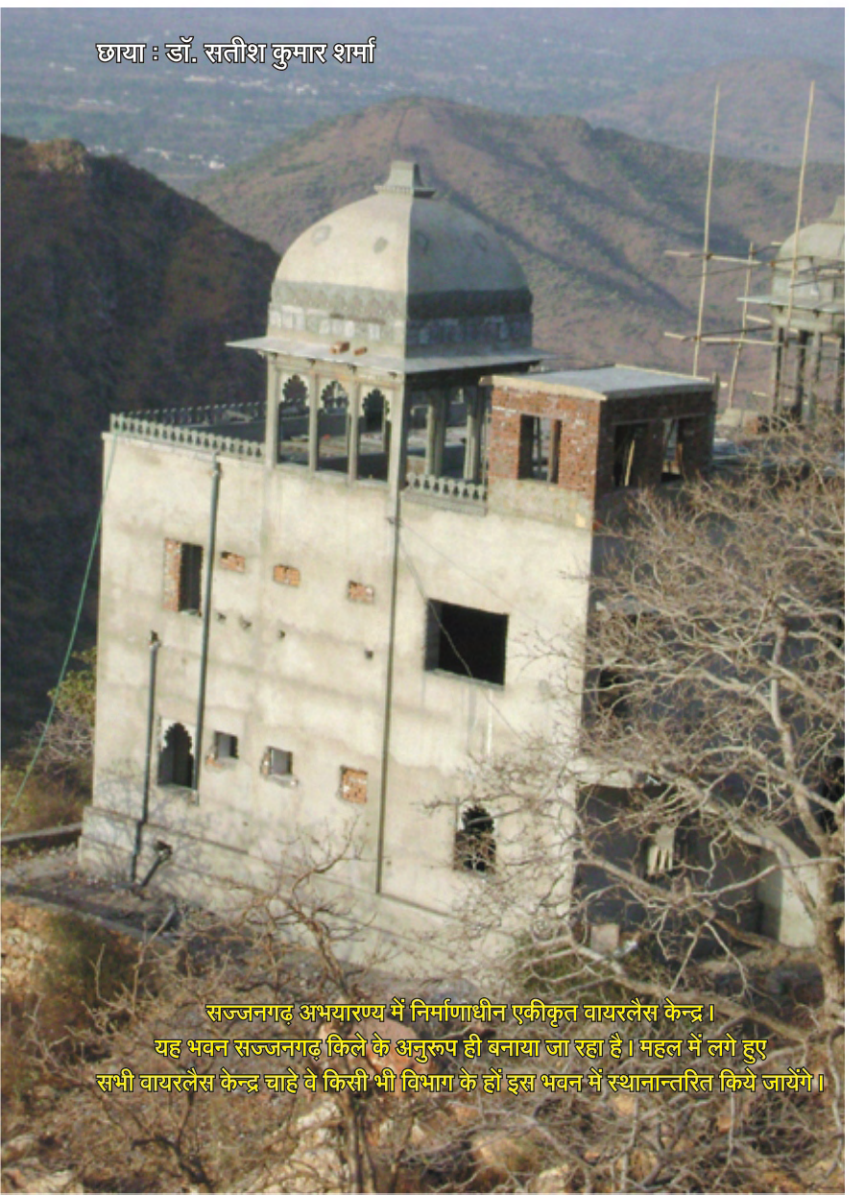

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

सज्जनगढ़ अभयारण्य में निर्माणाधीन एकीकृत वायरलैस केन्द्र।
यह भवन सज्जनगढ़ किले के अनुरूप ही बनाया जा रहा है। महल में लगे हुए सभी वायरलैस केन्द्र चाहे वे किसी भी विभाग के हों इस भवन में स्थानान्तरित किये जायेंगे।

❁ वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना :

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय–समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

❁ अतिक्रमण

राज्य में 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक वनभूमि पर अतिक्रमण के कुल 4856 प्रकरण दर्ज किये गये जो 5463.1212 हैक्टेयर वनभूमि से सम्बन्धित हैं। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 2505 प्रकरण निर्णित कर 1958.1822 हैक्टेयर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ती 1245862/– रुपये वसूल किए गए।

इस वर्ष 1 अप्रैल, 2008 से दिसम्बर, 2008

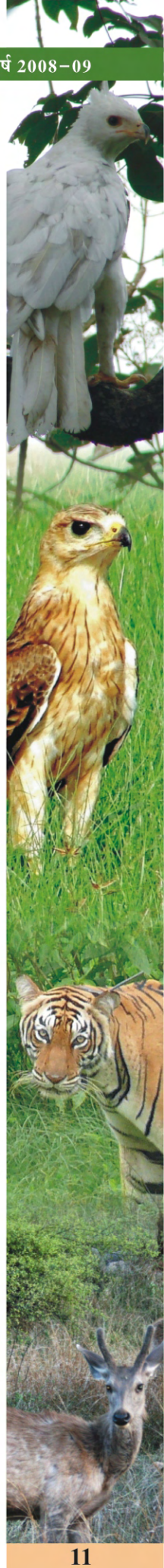

तक वनभूमि पर अतिक्रमण के कुल 4129 प्रकरण दर्ज किये गये जो 4343.143 हैक्टेयर वनभूमि से सम्बन्धित हैं। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 933 प्रकरण निर्णित कर 811.31 हैक्टेयर वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ती 650852/– रुपये वसूल किए गए।

अवैध कटान

राज्य में 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक अवैध काटान के 6630 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 6742 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 7725119/– वसूल किए गए।

चालू वर्ष में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक अवैध कटान के 11810 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 7551 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 8195157/– वसूल किए गए।

अवैध चराई

राज्य में 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक 2090 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 2582 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 1317531/– जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 5713 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 4512 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 2846029/– जमा किए गए।

अवैध खनन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक 1446 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1510 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 9507855/– जमा किए गए।

इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर 2008 तक 2247 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1804 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 9433086/– जमा किए गए।

वन्य जीव अपराध

राज्य में 1 अक्टूबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक 168 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 123 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 938417/– जमा किए गए।

1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 1111 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 170 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 731712/– जमा किए गए।

अन्य वन अपराध

राज्य में 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक कुल 2430 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 2991 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 7428576/– जमा किए गए।

पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 155 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 108 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 76429/– जमा किए गए।

सीमा चिन्ह का तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 2 प्रकरण दर्ज किये गये। अभी प्रकरण पर फैसले होने शेष हैं।

अवैध परिवहन

राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 604 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 546 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 2230116/– जमा किए गए।

अवैध आरामशीन

राज्य में 1 अप्रैल, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक 91 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 109 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 484742/– जमा किए गए।

छाया : एम. सी. गुप्ता

झालाना वन खण्ड की शहरी दबाव से रक्षा हेतु सीमा पर निर्मित दीवार

माह सितम्बर, 2008 में वन अपराध प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान

राज्य स्तर पर समस्त वनमण्डलों में माह सितम्बर, 2008 में वन अपराधों के निराकरण हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान वन मण्डलों में वन अपराधों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ–साथ अत्यधिक संख्या में ऐसे लंबित प्रकरणों जिनमें मुल्जिममान के नाम–पते इत्यादि नामालूम है, पर निर्णय लेकर अंतिम प्रतिवेदन (एफआर) भी इस कार्यालय के आदेशांक 4988 दिनांक 30.4.08 के द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किये गये हैं। इस अभियान की सफलता निश्चित करने के लिए मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षकगणों को विभिन्न जिलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था ताकि अधीनस्थ अधिकारी उनके मार्गदर्शन में वन अपराध प्रकरणों का निस्तारण कर सकें।

विभिन्न प्रभारी अधिकारियों से माह फरवरी, 2009 तक प्राप्त अंतरिम सूचनाओं के अनुसार माह सितम्बर, 2008 में इस अभियान के अन्तर्गत विभाग में लगभग 3018 वन अपराध के प्रकरण लंबित थे इनमें से 1382 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 481 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहे। इस प्रकार इस विशेष अभियान में अपराध प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक रही है। अभियान की अंतिम सूचनाएं एकत्रित व संकलित की जा रही है।

वन अधिनियम में संशोधन

वन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में कतिपय संशोधन प्रस्तावित कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इनमें वन अपराध के शमन हेतु शास्ती में वृद्धि, अपराधों में प्रयुक्त वाहनों की जब्ती, जे.सी.बी. जैसे वाहनों से किए गए वन अपराधों का शमन विभागीय स्तर पर नहीं करने, वन उपज की जांच के लिए सर्च वारन्ट तथा साझा वन प्रबन्ध से संबंधित नवीन प्रावधान जोड़े जाना प्रस्तावित है।

वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के क्रम में वन भूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे) के बाबत प्राप्त दावों की आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग के अनुसार माह दिसम्बर, 2008 तक ही स्थिति निम्नानुसार है :

अधिनियम के अन्तर्गत ग्यारह जिलों यथा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बारां, पाली, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर तथा कोटा से कुल 34525 दावें इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में प्रस्तुत किये गये। ये दावें 973 ग्राम पंचायतों के 4718 राजस्वग्रामों से संबंधित हैं। कुल प्राप्त दावों में से 18227 दावें ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित कर उपखण्ड स्तरीय समितियों को भिजवाये गये हैं। उपखण्ड स्तरीय समितियों ने दिसम्बर, 2008 तक 6885 दावों का निष्पादन कर जिला स्तरीय समितियों को अंतिम निर्णय के लिये अग्रेषित किये हैं जिला स्तरीय समितियों ने मात्र 42 दावें अस्वीकृत किये तथा 5852 दावे स्वीकृत किये हैं। शेष 991 उपखण्ड स्तरीय समितियों को पुर्नविचार के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं। जिला स्तरीय समितियों ने 2322.85 हैक्टेयर भूमि से संबंधित 3769 दावों के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिये हैं।

वन भूमि डायवर्जन

माह फरवरी 2008 तक राज्य वन विभाग में वन भूमि

डायवर्जन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से 163 आवेदन पत्र लम्बित है जिनका विवरण अग्रांकित है। इस अवधि में प्रथम चरण की क्लियरेंस 91 प्रकरणों में जारी की गई है। माह दिसम्बर, 07 से फरवरी, 09 की अवधि में कुल 51 प्रकरणों में वन भूमि डायवर्जन की अन्तिम स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

एफ.सी.ए. (1980) के अनुसार 26.2.2009 को लंबित प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल लम्बित प्रकरण	लम्बित प्रकरण				प्रथम चरण क्लियरेंस	दिसम्बर 07 से फरवरी 09 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	30	25	1	3	1	18	8
2.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	6	2	–	1	3	1	6
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग							
	पीएमजीएसवाई	52	33	–	15	4	33	12
	अन्य	7	2	–	5	–	1	1
	एनएचएआई/आरआईडीसीओआर	8	3	1	3	1	4	2
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	4	2	–	1	1	2	1
5.	विद्युत प्रसारण निगम	14	5	–	7	2	8	3
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	5	1	–	2	2	2	7
7.	भारतीय रेल	6	4	–	2	–	3	2
8.	अन्य	31	19	3	7	2	19	9
	कुल	**163**	**96**	**5**	**46**	**16**	**91**	**51**

कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

डायवर्जन की गई भूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि, दण्डात्मक राशि तथा एन. पी. वी. से प्राप्त राशि से एक कैम्पा फण्ड की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गई है जिसमें संबंधित राज्यों, जहां से राशि प्राप्त होती है, की राज्य योजना के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस कोष में राज्य के हिस्से के 421 करोड़ रु. जमा हो गये हैं। इस राशि को व्यय किए जाने की वार्षिक योजना बनाने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा अनुमोदित योजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अभिशंसा के बाद केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

वुडन हैण्डीक्राफ्ट

इस वर्ष जनवरी, 2009 तक 24'' की वुडन हैण्डीक्राफ्ट आरामशीनों को लाइसेंस दिए जाने हेतु 1303 प्रकरणों का अनुमोदन कर दिया गया है।

राज्य में आरा मशीन स्थान परिवर्तन के कुल 408 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें से 155 प्रकरणों में स्थानान्तरण की अनुमति दी गई है। 98 प्रकरण अन्तर्जिला होने के कारण लम्बित है तथा 29 प्रकरण आवेदकों की इच्छा पर वापस लौटा दिए गए हैं। राज्य में आरा मशीनों से संबंधित नियमों में संशोधन किया जाना विचाराधीन है।

4

वानिकी विकास

छाया सौजन्यः के. आर. काला

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.51 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.62 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राष्ट्र के सम्पूर्ण भू–भाग का एक–तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा एक 20 वर्षीय ''राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना'' (State Forestry Action Plan), 1996 से 2016, तैयार की जाकर प्रदेश के 20 प्रतिशत भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है।

इस अध्याय में प्रदेश में विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :–

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई मरु भूमि के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराये गये विभागीय वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत वितरित पौधों के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण अग्र तालिकानुसार है:–

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि
वृक्षारोपण क्षेत्र (हैक्टेयर में)	80,000	87,433
पौध रोपण (लाखों में)	520	518.711

चालू वर्ष 2008–09 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति इस प्रकार है :–

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी, 09 तक)
बिन्दु सं. 52 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर में)	40,000	41,287
पौधारोपण (लाखों में)	260	208.33

उपर्युक्त उपलब्धियों का, जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में वर्णित है। राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण अग्रांकित है।

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त जापान बैंक फोर इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन जे. बी. आई. सी., जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2009–10 तक क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 442.14 करोड़ रुपये है। परियोजना की अधिकांश गतिविधियां मार्च, 2008 तक पूर्ण हो चुकी हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत माला क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन की पुनर्स्थापना, जैव विविधता संरक्षण, मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण, मृदा की नमी धारण क्षमता में वृद्धि करना तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की उड़ती हुई बालु मृदा से सुरक्षा करना था। परियोजना राज्य के 18 जिलों यथा अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, सीकर, पाली, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर तथा जैसलमेर में क्रियान्वित की गई। परियोजना में वर्ष 2007–08 तक कुल 3992.01 लाख रुपये व्यय हुए हैं एवं निम्न गतिविधियां की गईं :

क्र.सं.	गतिविधि	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	वृक्षारोपण	हैक्टेयर	20700	20700
2.	उत्पादकता संवर्धन कार्य	हैक्टेयर	4000	4000
3.	नमी संरक्षण संरचनाएं	संख्या	466	469
4.	कृषि वानिकी	लाख	40.00	40.02

चालू वर्ष में परियोजना में 1000 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से माह दिसम्बर, 2008 तक 211.05 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। शेष राशि से होने वाले कार्य प्रगतिरत हैं। इस वर्ष परियोजना में कृषि वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 लाख पौधे वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2008 तक 36.89 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

परियोजना में किये गये कार्यों का सुरक्षा एवं संधारण 974 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। परियोजना में सृजित सम्पत्तियों के परियोजना समाप्ति के बाद अनुरक्षण के लिए प्रत्येक समिति

माउण्ट पर बीजारोपण के उत्कृष्ट परिणाम

में सदस्यों व परियोजना के सहयोग से कॉरपस फण्ड विकसित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में समितियों को सशक्त बनाए जाने हेतु 55.00 लाख रुपये की धनराशि कॉरपस फण्ड में स्थानान्तरित की जाएगी।

जैव विविधता एवं जीनपूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1. जैविक उद्यान – 1. नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर
   2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर
2. पारी–पर्यटन स्थल (ईको–ट्यूरिज्म साइट) – 1. बाघ परियोजना सरिस्का
   2. माउंट आबू
3. जैव विविधता क्लोजर– बूंदी

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय फेज के प्रस्ताव आर्थिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जापान सरकार को स्वीकृति हेतु 10.7.2008 को प्रेषित किए जा चुके हैं। इस प्रस्ताव के वर्ष के अन्त तक स्वीकृत होने की संभावना है।

• मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 1999–2000 से भारत सरकार द्वारा राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों यथा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं एवं सीकर में मरुस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत विशेष परियोजना मरु प्रसार रोक परियोजना (सी.डी.पी.) स्वीकृत की गई। योजना का प्रमुख उद्देश्य वनीकरण के माध्यम से टीबा स्थिरीकरण करना है ताकि उड़ते हुए टीबों से आबादी, यातायात एवं कृषि भूमि प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 प्रतिशत वित्तीय संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना में अब तक सात चरणों में विकास कार्य करवाए गए हैं। वर्ष 2006–07 से अष्टम चरण के कार्य आरम्भ हो गए हैं। योजना में माह दिसम्बर, 2008 तक अष्टम चरण में निर्धारित लक्ष्य 35,347 हैक्टेयर के सापेक्ष माह दिसम्बर 2008 तक 13186.30 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराए गए हैं:

क्र.सं.	नाम जिला	वृक्षरोपण कार्य (हैक्टेयर में)
1.	जोधपुर	776 हैक्टेयर
2.	पाली	1000 हैक्टेयर
3.	जालोर	520 हैक्टेयर
4.	बाड़मेर	196 हैक्टेयर
5.	जैसलमेर	3360 हैक्टेयर
6.	सीकर	1175 हैक्टेयर
7.	झुंझुनूं	1763.50 हैक्टेयर
8.	चूरू	1122 हैक्टेयर
9.	नागौर	996 हैक्टेयर
10.	बीकानेर	2277.80 हैक्टेयर

❁ इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारागाह एवं वन विकास

अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो हिस्सों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम दिशा का क्षेत्र मुख्यतया रेगिस्तानी क्षेत्र है, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत अधिक तापमान होना, वर्षा का कम होना, धूलभरी आंधियां चलना तथा बार–बार अकाल की स्थिति बनना आदि विषम परिस्थितियों की वजह से इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत कम है।

इस क्षेत्र में तीन प्रमुख नहरें हैं जिनमें

छाया सौजन्य : डी. एन. पाण्डे

मरु प्रसार रोक कार्यक्रम चतुर्थ चरण में विकसित शेल्टर बेल्ट प्लानटेंशन, शाहपुरा

से इन्दिरा गांधी नहर प्रमुख है। इस क्षेत्र को हरा–भरा बनाने के लिए इस नहर के क्षेत्र में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है।

इस परियोजना का 1958 में निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। यह परियोजना संसार में सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस परियोजना के लिए पानी पंजाब राज्य में सतलज–ब्यास नदी पर हरिके में बांध बनाकर उपलब्ध कराया गया। हरिके बैराज से राजस्थान की सीमा तक फीडर नहर बनाई गई है जिसकी लम्बाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना 0 आर. डी. हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली ग्राम से प्रारम्भ होती है तथा इसका अंतिम छोर 1458 आर. डी. जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में स्थित है। यह नहर राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों से होकर गुजरती है। नहर की कुल लम्बाई लगभग 445 किलोमीटर है।

● इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वानिकी गतिविधियां :

नहर निर्माण के बाद यह अनुभव किया गया कि गर्मियों में तेज आंधी के कारण इस क्षेत्र में चलायमान रेत से नहर पूरी तरह भर जाती थी। मिट्टी को मशीन एवं मानव द्वारा नहरों से निकालना बहुत ही महंगा था तथा निश्चित अवधि में यह कार्य पूरा भी नहीं होता था। नहरों में मिट्टी के जमाव की वजह से जिस उद्देश्य से नहरों का निर्माण हुआ था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतः नहरों को मिट्टी के जमाव से सुरक्षित रखने के लिए यह निर्णय लिया गया कि नहरों के साथ–साथ एवं सिंचित क्षेत्र में वृहद् स्तर पर वृक्षारोपण कार्य करवाये जावें, जिससे कि नहरों में पानी लगातार उपलब्ध होता रहे। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण की गतिविधियां प्रारम्भ की गईं एवं सर्वप्रथम 1962 में हनुमानगढ़ जिले के कोला वन खण्ड में वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वर्ष 1974 से वृहद् स्तर पर विभिन्न स्कीमों के तहत वृक्षारोपण कार्य शुरू करवाये गये। इस क्षेत्र में ब्लॉक/आबादी वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, टिब्बा स्थिरीकरण वृक्षारोपण, चारागाह विकास, पर्यावरण वृक्षारोपण तथा कृषि वानिकी की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के अनुरूप अगस्त, 2007 तक किए गए कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :–

वृक्षारोपण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ :

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, प्रथम चरण में विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 1974 से अब तक करवाये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
		विभिन्न योजनान्तर्गत वृक्षारोपण 1974 से 1997–98	पुनः वृक्षारोपण योजनान्तर्गत 2000 से 2007–08	योग
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	11562	4959	16521
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	2769	–	2769
3.	आबादी/गंवाई ईंधन वृक्षारोपण	12800	1452	14252
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	16959	–	16959
5.	चारागाह विकास	70613	–	70613
6.	सघन/ऊर्जा वृक्षारोपण	236	–	236
	योग :	**114939**	**6411**	**121350**

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, द्वितीय चरण में विभिन्न योजनाओं में वर्ष 1985 से अब तक सम्पादित कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम कार्य	क्षेत्रफल हैक्टेयर में			
		C.A.D. योजनान्तर्गत 1985 से 1990	O.E.C.F./J.B.I.C. योजनान्तर्गत 1991 से 2002	R.F.B.P. योजनान्तर्गत 2003 से 2007–08	योग
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	7316	20455	1666	29437
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	270	1308	–	1578
3.	आबादी/ब्लॉक/ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	3153	3787.5	1200	8140.5
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	8316	35428	3000	46744
5.	चारागाह विकास	2000	5874	2000	9874
	पर्यावरण वृक्षारोपण	–	941	–	941
	खाला वृक्षारोपण	–	–	1000	1000
	योग :	**21055**	**67794**	**8866**	**97715**

मरु स्थलीय क्षेत्र में टिब्बा स्थिरीकरण कार्य

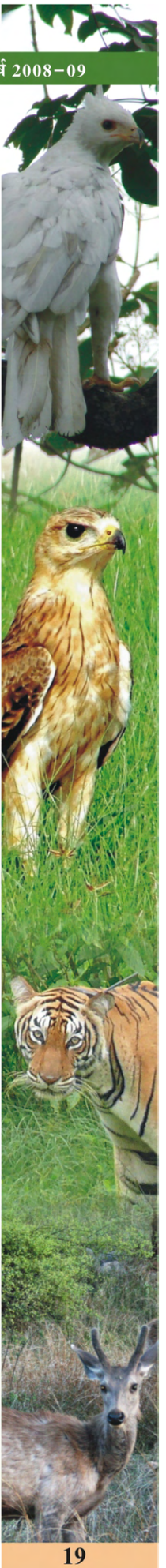

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत ई.गा.न.प. क्षेत्र में विकास कार्य :

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जापान बैंक फोर इन्टरनेशन कॉपरेशन की सहायता से वृक्षारोपण सम्पादित किये जायेंगे। इस परियोजना की अवधि 2003–04 से 2007–08 तक की है। इस परियोजना में वृक्षारोपण कार्यों के लक्ष्य निम्नानुसार रखे गये हैं :–

क्र.सं.	स्कीम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान
1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	5000 आर.के.एम.	673.06 लाख रु.
2.	ब्लॉक प्लान्टेशन	1200 हैक्टेयर	457.35 लाख रु.
3.	टिब्बा स्थिरीकरण	3000 हैक्टेयर	622.50 लाख रु.
4.	खालों के किनारे वृक्षारोपण	1000 हैक्टेयर	193.21 लाख रु.
5.	चारागाह विकास	2000 हैक्टेयर	362.88 लाख रु.
योग :			**2309.00 लाख रु.**

उक्त योजना के तहत वृक्षारोपण के कार्य वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किये गये हैं, वर्ष 2007–08 तक निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

नाम कार्य	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
नहर किनारे वृक्षोरापण	हैक्टेयर	1666	1666
ब्लॉक प्लान्टेशन	हैक्टेयर	1200	1200
टिब्बा स्थिरीकरण	हैक्टेयर	3000	3000
चारागाह विकास	हैक्टेयर	2000	2000
खाला किनारे वृक्षारोपण	हैक्टेयर	1000	1000
	योग (है.) :	**8866**	**8866**

वृक्षारोपण में धामण घास

छाया सौजन्य : डी. एन. पाण्डे

वृक्षारोपण में खेजड़ी, रोहिड़ा, रोंज, देशी बबूल एवं बेर के पौधे रोपित किये जा रहे हैं।

प्रादेशिक सेना की पर्यावरण इकाई द्वारा वृक्षारोपण :

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में प्रादेशिक सेना की पर्यावरण इकाई (Eco Task Force) द्वारा भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 में 600 हैक्टेयर में वृक्षारोपण करवाया गया है एवं पुराने वर्षों में किये गये 760 हैक्टेयर वृक्षारोपण का संधारण कार्य किया जा रहा है।

विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण :

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये थे जो परिपक्व स्थिति में हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्य का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है:.–

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000–01	265
2.	2001–02	518
3.	2002–03	821
4.	2003–04	984
5.	2004–05	1055
6.	2005–06	908
7.	2006–07	815
8.	2007–08	1045
	योग :	**6411**

छाया सौजन्य : डी. एन. पाण्डे

वृक्षारोपण पैवा

वर्ष 2008–09 में माह जनवरी, 2009 तक 312.66 हैक्टेयर क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया गया है।

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वृक्षारोपणों के परिणाम उच्च कोटि के हैं।

वृक्षारोपण हेतु पौधों की गुणवत्ता में सुधार :

वृक्षारोपण हेतु अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के लिए परियोजना क्षेत्र में हाईटेक नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं। इन नर्सरियों में अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जाते हैं। इन नर्सरियों में तैयार पौधों से किये गये वृक्षारोपणों में अच्छे परिणाम आ रहे हैं तथा स्थानीय जनता में भी हाईटेक नर्सरियों में तैयार किये गये पौधों की माँग है। परियोजना क्षेत्र में निम्न स्थानों पर हाईटेक नर्सरियाँ स्थापित हैं :–

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	नर्सरी स्थल
1.	बीकानेर	बीछवाल
2.	हनुमानगढ़	कोला वन खण्ड
3.	जैसलमेर	मोहनगढ़
4.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

वर्ष 2008 में भाखड़ा–गंग केनाल क्षेत्र में राज्य सरकार से जिन नहरों पर वृक्ष काट लिये गये हैं उन पर पुनः वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना में हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में 179.91 लाख राशि से 473 हैक्टेयर क्षेत्र में पुनः पौधारोपण किया जावेगा।

- पर्यावरण वानिकी

इस योजना अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के समीप महत्वपूर्ण स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। चालू वर्ष में

जैसलमेर जिले में 300 हैक्टेयर क्षेत्र में पर्यावरण वाहिनी (Environmental task Force) द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2009 तक 270 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य प्रगतिरत है।

❁ भाखड़ा व गंगनहर वृक्षरोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड़ क्षेत्र भू–भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनर्वनारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया गया है। भाखड़ा नहर का कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर का कार्य वन मण्डल गंगानगर सम्पादित कर रहा है।

भाखड़ा नहर के दोनों ओर इस वर्ष 100 लाख रुपये व्यय किए जाकर 905 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है जिसमें से माह जनवरी, 2009 तक 54.62 लाख रुपये व्यय किए जाकर 534 रो किमी. कार्य पूर्ण कराया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर है।

गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष 80 लाख रुपये व्यय किए जाकर 515 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हैं। माह जनवरी, 2009 तक 71.54 लाख रुपये व्यय किए जाकर 504 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

❁ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में अब तक भारत सरकार से 33 वन विकास अभिकरण स्वीकृत करवाये जा चुके हैं।

गत वर्ष 2007–08 में वन विकास अभिकरणों को 27715 हैक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य करने के लक्ष्य के विरुद्ध 25705 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया है। इन कार्यों पर कुल 3146.85 लाख रुपये व्यय किए गए।

चालू वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत सभी 33 वन विकास अभिकरणों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2809.82 लाख रुपये के प्रस्ताव प्रेषित किए गए थे जिनमें से 12 अभिकरणों के लिए 412.72 लाख रुपये की राशि प्राप्त

छाया : अनुराग भटनागर

वृक्षारोपण ,रेंज जावदा

हुई है। माह दिसम्बर, 2008 तक इस राशि में से 21.55 लाख रुपये उपयोग में लिए जा चुके हैं। आगामी वर्षों में रा.व.यो. का नरेगा के साथ समन्वय करने का निर्णय लिया गया है। (अभिकरणों द्वारा कराए जाने वाले कार्य इसमें शामिल किए जाएंगे।)

छाया सौजन्य : के. पी. गुप्ता

❁ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

नर्मदा नहर परियोजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य इस नहर परियोजना के क्षेत्र में जल भराव के कारण भूमि को खराब होने से बचाने एवं नहर में मिट्टी के भराव को रोकने के लिए शैल्टर बैल्ट वृक्षारोपण सृजित करने तथा क्षेत्र के समग्र पर्यावरण का सुधार करने के लिए नहर के समानान्तर भूमि में वृक्षारोपण करना है। परियोजना की कुल लागत 2865.13 लाख रुपये है। इस राशि से मुख्य नहर के किनारे 1280 रो किमी. तथा अन्य नहरों के किनारे 2087 रो किमी. क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुरूप क्रमश: 3.20 लाख तथा 5.22 लाख (कुल 8.42 लाख) पौधे रोपित किए जाएंगे।

इस परियोजना में, वित्तीय वर्ष 2006–07 में नहर में पानी नहीं आने के कारण कोई कार्य नहीं करवाए गए। वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार से 90.00 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति विलम्ब से आने के कारण मात्र 20.57 लाख रुपये ही व्यय किए जा सके।

चालू वर्ष 2008–09 में नहर में जल उपलब्ध होने के कारण 329.00 लाख रुपये के कार्य कराए जाने प्रस्तावित किए गए हैं।

❁ राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से राज्य के 11 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं :

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

योजनान्तर्गत वर्ष 2007–08 में 51.21 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे जिसके विरुद्ध 50.32 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। चालू वर्ष 2008–09 के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत 54.00 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें से माह दिसम्बर, 2008 तक 37.63 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

❁ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये

जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं :

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बाक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण;
- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्व की बेलों का बीजारोपण / पौधारोपण;
- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चारागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 2007–08 में 13379.15 लाख धनराशि के 2134 कार्य स्वीकृत किए गए तथा वर्ष भर में 7283299 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया।

चालू वर्ष 2008–09 में 15 जनवरी, 2009 तक 61382.73 लाख रुपये के 14143 कार्य प्रस्ताव जिला कलेक्टरों को प्रेषित किए गए जिनमें से 9402 कार्य योजना में सम्मिलित किए गए। अब तक 3932 कार्यों के लिए 22081.09 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक कुल 14416.28 लाख रुपये की लागत के 2562 कार्य आरम्भ किए जा चुके हैं तथा 10204.9 लाख रुपये की राशि के 1625 कार्य प्रगतिरत हैं। योजना के अन्तर्गत कुल कार्यों में से 253 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

चालू वर्ष में 15 जनवरी, 2009 तक इन कार्यों में कुल 4863408 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। इनमें से अनुसूचित जाति को 1100560, अनुसूचित जनजाति को 1343163 तथा अन्य हेतु 2419685 मानव दिवस सृजित हुए हैं। कुल मानव दिवसों में से 2444581 स्त्रियों द्वारा सृजित किए गए हैं।

नरेगा और जनसहयोग

छाया सौजन्य : के. आर. काला

नागौर रेंज के अलाय रोड साईड पर नरेगा में रोपित पौधों पर ग्रामवासियों ने जनसहयोग से 1.50 लाख रुपये एकत्रित कर 150 ट्री गार्ड लगवाये।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना कार्यक्रम की झलकियाँ

छाया सौजन्य : के. आर. काला, उपवन संरक्षक, नागौर

नरेगा में निर्मित किया जा रहा अर्दन डैम बाटलिया ग्राम पंचायत बरजन, नागौर

नरेगा में निर्मित किया गया अर्दन डैम राजास, नागौर

नरेगा योजना में रोड साईड भवरला पर रिंग पिट बनाया जाकर किया गया पौधारोपण

नरेगा योजना में वृक्षारोपण संवर्धन कार्यक्रम कांकरिया में गैप प्लान्टिंग व पौधों की सिंचाई

नरेगा योजना में जायल नर्सरी में मदर बेड में तैयार नीम के पौधे

नरेगा योजना में आर.डी.एफ.–II वृक्षारोपण हरियाजुन में पौधों की सिंचाई

नरेगा में महिला श्रमिकों के बच्चों हेतु कल्याण कार्यक्रम

नरेगा योजना में श्रमिकों हेतु पेयजल व्यवस्था

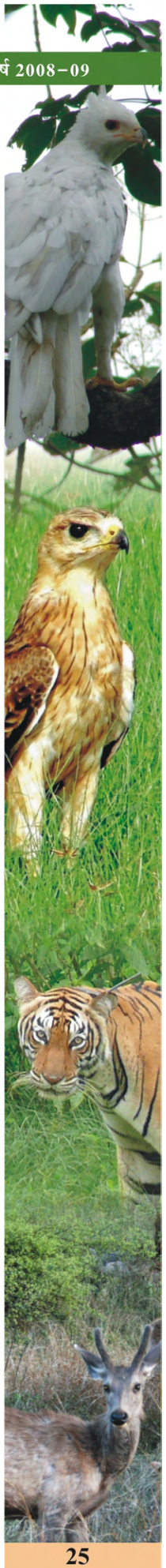

बारहवां वित्त आयोग

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में विभाग द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए पांच वर्ष हेतु 25.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु दीवार निर्माण, वन क्षेत्र की सीमाओं पर मीनारें लगवाना, प्रशिक्षण केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास, वन अधीनस्थ कर्मियों (फ्रन्ट लाइन स्टाफ) का प्रशिक्षण तथा ई–गवर्नेंस सम्बन्धी कार्य किए जा रहे हैं।

गत वर्ष 2007–08 में 709.54 लाख रुपये व्यय किए जाकर 44.32 किलोमीटर पक्की दीवार व 6950 सीमा स्तंभों (मीनारों) का निर्माण कार्य करवाया गया। चालू वर्ष में 1045.00 लाख रुपये व्यय किए जाकर 64 किमी. पक्की दीवार तथा 7500 मीनारें लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। माह जनवरी, 2009 तक 40.78 किमी. दीवार निर्माण व 2417 मीनारों को लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष कार्य प्रगति पर है।

प्रकृति पर्यटन

गत वर्ष राज्य की प्रकृति पर्यटन नीति राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी जिसे राज्य सरकार ने इस आशय के साथ वापस लौटाया कि मध्यप्रदेश राज्य की प्रकृति पर्यटन नीति से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य की नीति का विस्तार से अध्ययन कर यह पाया कि राज्य की नीति श्रेष्ठ है अतः इसे राज्य सरकार को पुनः प्रेषित कर दिया गया है।

पारी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष कुछ एकल पर्यटन स्थल व कतिपय सर्किट पारी पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं जिन्हें शीघ्र ही स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

औषधीय पौधों का विकास

अरावली पर्वत माला क्षेत्र सतावरी, सफेद मूसली, होली कांदा, आंवला, आंवल, तुलसी, नेगड़, माल कांगड़ी, गुडमार, एलोवेरा, रतनजोत, ब्राह्मी, वज्रदंती जैसे औषधीय पौधों का भण्डार है। औषधीय पौधों की खेती करके इनके उत्पादों के संग्रहण, भण्डारण एवं विपणन व पौधों के संधारण के संबंध में स्थानीय लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में

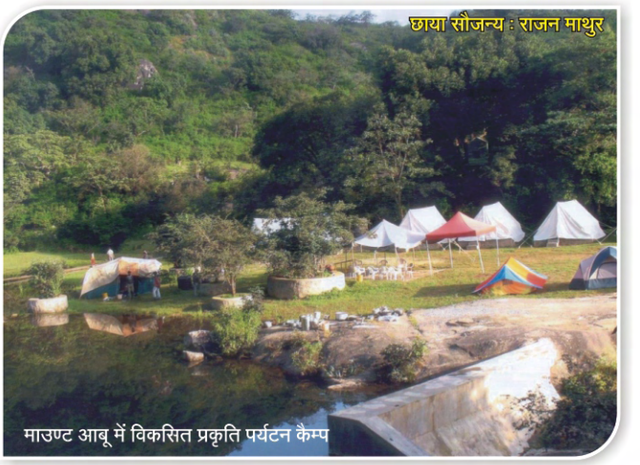
छाया सौजन्य : राजन माथुर

माउण्ट आबू में विकसित प्रकृति पर्यटन कैम्प

जगह–जगह पर औषधीय उद्यानों की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में स्थापित झालावाड़ जिले के ठंडी झीर सहित 4 औषधीय उद्यान, जयपुर जिले में झालाना, उदयपुर जिले में नालसांडोल सहित 2 औषधीय उद्यान व डूंगरपुर जिले में नक्षत्र वन उल्लेखनीय है।

चालू वित्तीय वर्ष में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Program - UNDP) के सहयोग से राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए एक अराजकीय संस्था एफ.आर.एल.एच.टी. (Foundation for Revitalization of Local Health Traditions), बैंगलोर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस संगठन द्वारा यू.एन.डी.पी. को प्रस्तुत परियोजना में औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु कुल 15 प्रकार की गतिविधियां चिन्हित की गई हैं जिनमें से चार वन विभाग, चार स्वयंसेवी संस्थाओं एवं शेष सात गतिविधियां एफ.आर.एल.एच.टी. बैंगलोर ने स्वयं द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए रखी है।

परियोजना में राज्य वन विभाग को दो गतिविधियां

छाया सौजन्य : आर. के. ग्रोवर

प्रकृति पर्यटन

जलमहल में स्ट्रक्चर बनाकर पौधारोपण, जयपुर

नव विकसित वन्य जीव कैम्प, माउण्ट आबू

प्राकृतिक सौन्दर्य में वृद्धि के लिए आबू पर्वत पर बनाई गई जल संरक्षण संरचना

सज्जनगढ़, उदयपुर में महाराणा प्रताप प्राकृतिक पर्यटन पथ

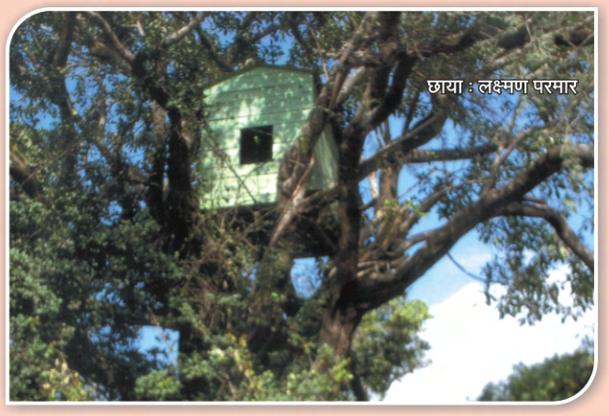

ईको ट्यूरिज्म साईट आरना में ''ट्री टॉप हाइड''। यह 7"x8" का है इसमें 4 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। इसका गेट नीचे की ओर है जिस पर वन्य जीव प्रेमी बैठते हैं अतः वन्य जीवों द्वारा इसे खोलने की कोई संभावना नहीं रहती।

झरने के सौन्दर्यीकरण के बाद आबू के इस झरने में वर्षा ऋतु के बाद आठ माह तक पानी बहने लगा है

आवंटित की गई हैं। इसमें से पहली गतिविधि के रूप में कार्यशाला का आयोजन किया गया। दूसरी गतिविधि ''औषधीय पौधे संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना'' है। इस वर्ष कुल सात संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हेतु विभिन्न वन मण्डलों को लक्ष्य दिए गए हैं। यह संरक्षित क्षेत्र निम्न प्रकार स्थापित किए जा रहे हैं। एफ.आर.एम.एच.टी. ने इस वर्ष राज्य के औषधीय पौधों के डाटाबेस तैयार किए हैं जिसकी सीड़ी उदयपुर के एक कार्यक्रम में रिलीज की जा चुकी है।

प्रजाति का नाम	संरक्षित क्षेत्र की स्थिति	वन मण्डल	जिला
Boswellia serrata	कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर	उदयपुर
Buchanania lanzan	सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य	उप मुख्य वन जीव प्रतिपालक चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
Chlorophytum borrivilianum	रामकुण्डा	उप वन संरक्षक उदयपुर (मध्य)	उदयपुर
Commiphora wightii	बड़कोचरा	मण्डल वन अधिकारी, अजमेर	अजमेर
Commiphora wightii	गजरूप सागर	उप वन संरक्षक डी.डी.पी. जैसलमेर	जैसलमेर
Oroxylum indicum	भंवरकोट	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
Tribulus rajasthenensis	बड़ा भाकर	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर	जोधपुर

दुर्लभ पादप प्रजातियों का सूचीकरण

राजस्थान राज्य की महत्वपूर्ण पादप प्रजातियों को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम–1972 के परिशिष्ट–6 में सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान अभिजीत घोष की अध्यक्षता में एक बैठक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में 28 नवम्बर, 2008 को आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश की प्रतिनिधि पादप प्रजातियों के दुर्लभ, संकटापन्न, संवदेनशील तथा अन्य पक्षों की स्थिति पर विस्तार से गहन विचार किया गया। चर्चा में ऐसी 33 पादप प्रजातियों को शामिल कराने का प्रस्ताव किया गया जो परिशिष्ट–10 पर दृष्टव्य है।

इस प्रकार कई ऐसी पादप प्रजातियां, जो दुर्लभ अथवा संकटापन्न स्तर पर तो खड़ी नहीं हैं, लेकिन राज्य की वानस्पतिक विविधता को बनाये रखने हेतु उनका संरक्षण भी परम आवश्यक है। ऐसी 31 प्रजातियों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

यह निर्णय भी किया गया कि स्थिर अथवा गतिशील टिब्बों पर ऐसी स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जाये, जो प्रारम्भिक तौर पर नहीं रोपित/उगाई गई थी। जो स्थानीयवासियों के जीविकापार्जन एवं सेवा के लिए भी मददगार होगी। इस कार्य हेतु विशेषज्ञों ने 26 स्थानीय प्रजातियों को चिन्हित किया है, जो मरूस्थलीय परिस्थितियों में कारगर हो सकती है।

गूगल संरक्षण एवं विकास परियोजना

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग, नेचर थैरेपी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एवं आयुष विभाग तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक गूगल के 10 लाख पौधे तैयार करने हेतु 30 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 तक की अवधि में 649 लाख रुपये के निम्न कार्य कराए जाने हेतु आवंटित किए गए हैं। इस राशि से निम्न कार्य प्रगतिरत हैं:

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य	भौतिक लक्ष्य
1.	आधारभूत सर्वेक्षण व नक्शे बनाना	सम्पूर्ण राज्य
2.	2 औषधीय पौध संरक्षण स्थल	2
3.	वन क्षेत्रों में गूगल का पौधारोपण	2000 है.
4.	क्लोनल मल्टी प्लीकेशन उद्यान	18
5.	शोध, प्रशिक्षण एवं प्रसार गतिविधियां	सम्पूर्ण राज्य
6.	पौधारोपण सामग्री वितरण (पौध वितरण)	10 लाख

छाया : अनुराग भटनागर
वन खण्ड, कृपापुर रेंज जावदा में प्राकृतिक गुगल

गूगल के विकास के लिए जैसलमेर व बाड़मेर में दो औषधीय पौध विकास क्षेत्र (एमपीडीए) भी बनाया जा रहा है।

उक्त दोनों कार्यों हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल ने वर्ष 2008 में कुल 210 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है जिसे राज्य के आय मद में जमा करवाया जाकर इस वित्तीय वर्ष में 113.40 लाख रुपये का प्रावधान स्वीकृत कराया गया है।

❋ राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत राज्य की छः झीलों पर संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। ये झीलें हैं– आना सागर अजमेर, पुष्कर सरोवर, नक्की झील, माउण्ट आबू, पिछोला एवं फतेह सागर, उदयपुर। इन झीलों के आवाह क्षेत्र को उपचारित करने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इनमें से आना सागर व पुष्कर सरोवर के आवाह क्षेत्र के उपचार का कार्य वन मण्डल, अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। उपचार कार्यों में वृक्षारोपण, चैकडेम, गेबियन स्ट्रक्चर, पक्की दीवार निर्माण कार्य व झील के फ्रिज एरिया में पौधा रोपण कार्य सम्मिलित है। उक्त परियोजना में पुष्कर व अजमेर झीलों के लिए विभाग को क्रमशः 380 लाख व 125.8 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। पुष्कर झील के अंतर्गत निम्नांकित कार्य प्रस्तावित किये जाकर करवाये जा रहे हैं :–

1. टिब्बा स्थिरिकरण वृक्षारोपण कार्य — 235 हैक्टर
2. वृक्षारोपण कार्य — 170 हैक्टर
3. गेबियन स्ट्रक्चर संख्या — 210
4. चैकडेम — 20670 घ.मी.

आना सागर झील के अंतर्गत निम्नांकित कार्य करवाये जा रहे हैं :–

1. वृक्षारोपण कार्य — 206 हैक्टर
2. चैकडेम — 31 (नं.)
3. फ्रिज ऐरिया प्रोटकशन — 400 पौधे

शेष झीलों पर अभी विभिन्न कारणों से कार्य आरम्भ नहीं हो पा रहे हैं।

❋ मुख्यमंत्री बजट घोषणा

जयपुर के वन खण्ड, झालाना एवं आमेर 54 की अधिकांश वन भूमि शहरी क्षेत्र से सटी हुई है जिस पर अतिक्रमण की सबसे अधिक समस्या है वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी जिसके अन्तर्गत वन खण्ड आमेर 54 एवं झालाना में पक्की दीवार, लूज स्टोन चैक डैम, एनीकट, वाटर स्टोरेज टैंक इत्यादि कार्यों के प्रस्ताव शामिल किए गए थे जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	पक्की दीवार (RMT)		एनीकट (नग)		वाटर स्टोरेज टैंक (नग)		लूज स्टोन चैक डैम (घ.मी.)		विविध व्यय	कुल राशि
	PHY.	FIN.	PHY.	FIN.	PHY.	FIN.	PHY.	FIN		
प्रथम वर्ष	9000	117.00	2	6.00	2	2.00	3000	2.49	0.51	128.00
द्वितीय वर्ष	9000	117.00	2	6.00	2	2.00	3000	2.49	0.51	128.00
तृतीय वर्ष	9000	117.00	2	6.00	2	2.00	3000	2.49	0.51	128.00
चतुर्थ वर्ष	9000	117.00	2	6.00	2	2.00	3000	2.49	0.51	128.00
पंचम वर्ष	9000	117.00	2	6.00	2	2.00	3000	2.49	0.51	128.00
योग	45000	585.00	10	30.00	10	10.00	15000	12.45	2.55	640.00

उक्त योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 2007–08 में आवंटित राशि 128.00 लाख के विरुद्ध कुल 9200 र.मी. पक्की दीवार, 2 नग एनीकट, 2 नग वाटर स्टोरेज टैंक तथा 3000 घ. मी. लूज स्टोन चैक डैम बनाए थे इस वर्ष 2008–09 में आवंटित राशि 128.00 लाख के विरुद्ध माह फरवरी, 2009 तक 122.50 लाख रु. व्यय हो चुके हैं तथा 7375 र. मी. पक्की दीवार, 1728 घ. मी. चैक डैम, 2 नग एनीकट, 2 नग वाटर स्टोरेज टैक का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त योजना के स्वीकृत होने से राजधानी के आसपास वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या से काफी निजात मिली है।

❁ एकीकृत वन सुरक्षा योजना

उक्त योजना के तहत इस वर्ष फायर वार्चस, फायर लाईन क्रिएशन, फायर लाईन संधारण, वाचटावर, वाटर स्टोरेज टैंक, भवन निर्माण फार ट्रांजिट कैम्प फोरेस्ट स्टाफ, फेयर वेदर रोड, संचार प्रसार कार्य, वायरलैस सेट क्रम इत्यादि हेतु कुल राशि 22.912 लाख रु. आवंटित किए गए थे जिनके विरुद्ध माह फरवरी, 2009 तक राशि 13.78 लाख रु. व्यय हो चुके हैं तथा मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्पादित हो चुके हैं।

क्र.सं. नाम कार्य विवरण

1. वाच टावर 2 नग झालाना, गलता
2. वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर 1 नग झालाना
3. फेयर वेदर रोड निर्माण 3 कि.मी. झालाना
4. ट्रांजिट कैम्प भवन निर्माण 1 नग झालाना
5. फायर लाइन क्रिएशन 8.5 कि. मी. झालाना, आमेर 54, आमागढ़ इत्यादि
6. फायर लाइन संधारण 7 कि. मी. नाहरगढ़, जमवारामगढ़, रायसर इत्यादि
7. संचार प्रसार विज्ञापन डिजिटल कैमरा, विडियो कैमरा इत्यादि

❁ जे. डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

1. **जलमहल परियोजना** : जलमहल परियोजना के तहत मान सागर झील के कैचमेंट एरिया के अन्तर्गत रेंज आमेर अधीन बीट भूराड़ा में इस वर्ष प्राप्त राशि 25.00 लाख में 1300 र. मी. पक्की दीवार निर्माण, पक्के राउण्ड स्ट्रक्चर निर्माण कार्य करवाए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की पौध प्रजातियाँ लगाई जा चुकी हैं।

2. **खोले के हनुमान जी** : खोले के हनुमान जी सौन्दर्यकरण कार्य के तहत वन सीमा पर गत वर्ष 1100 र. मी. एवं इस वर्ष 1500 र. मी. पक्की दीवार निर्माण कार्य कराया जा चुका है तथा निर्मित दीवार पर कंगूरे निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना है।

3. **झालाना सौन्दर्यकरण** : झालाना सौन्दर्यकरण कार्य के तहत झालाना वन क्षेत्र में स्थित शिकार होदी की मरम्मत, साज सज्जा कार्य तथा निरिक्षण पथ का निर्माण कार्य सम्पादित कराए जा रहे हैं।

4. **स्मृति वन** : जयपुर स्थित स्मृति वन का रखरखाव भी जे.डी.ए. के सहयोग से किया जा रहा है।

5. **मीडिया से समन्वय** : राजस्थान प्रदेश में हरियाली संवर्धन के लिए इस वर्ष समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के साथ भी समन्वय बनाए रखा गया।

❁ परियोजना सूत्रीकरण

प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना वर्ष 2009–10 में समाप्त हो रही है। अत: इस परियोजना के द्वितीय चरण (फेज–द्वितीय) के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार को स्वीकृति हेतु 10 जुलाई, 2008 को प्रेषित की जा चुकी है जिसके वर्ष 2009–10 तक स्वीकृत होने की संभावना है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2009–10 में परियोजना पूर्व गतिविधियों (Pre-Project Activity) हेतु वित्तीय प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है। जे.बी.आई.सी. से परियोजना स्वीकृति उपरान्त इस राशि को व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

विगत वर्षों में राज्य के रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में क्रियान्वित किए गये इंडिया इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट की तर्ज पर राजस्थान के सभी संरक्षित स्थलों में वन एवं वन्य जीव प्रबन्ध व विकास के लिए राजस्थान इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से एक नवीन परियोजना तैयार की जा रही है।

एक अन्य परियोजना राज्य में उपलब्ध पशुधन को ध्यान में रखते हुए चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही है। इससे चारे की आपूर्ति मांग के अनुरूप किया जाना संभव हो सकेगा। परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपये आंकी गई है।

5

मृदा एवं जल संरक्षण

भारत सरकार द्वारा मैक्रोमोड मैनेजमेंट के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी एवं नदी घाटी परियोजनाएं संचालित हैं। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी एवं सांभर नम भूमि उपचार योजना का कार्य मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी प्रोजेक्ट, जयपुर के नियंत्रण में करवाया जा रहा है तथा इनके अधीन भू–संरक्षण अधिकारी (वानिकी), टोंक, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), टोंक, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), सवाई माधोपुर तथा भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि), सोजत (जिला पाली) में कार्यालय कार्यरत है। नदी घाटी परियोजना के कार्य मुख्य वन संरक्षक नदी घाटी परियोजना, कोटा के नियंत्रण में कार्य करवाये जा रहे हैं। इनके अधीन भू–संरक्षण अधिकारी, बेगूं भू–संरक्षण अधिकारी, बांसवाड़ा एवं भू–संरक्षण अधिकारी, आबूरोड में कार्यालय कार्यरत है।

छाया : योगेश शर्मा

सिल्ट डिटेन्शन डैम, सांडमारिया

उक्त तीनों परियोजनाओं के तहत मुख्यतया चम्बल, माही, दांतीवाड़ा, साबरमती, बनास, लूणी एवं इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों के उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

छाया : योगेश शर्मा

उन्नत मक्का प्रदर्शन स्थल उबाग्रह (सिरोही)

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य : जलग्रहण क्षेत्र में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने तथा **water holding capacity,** आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना; अनुकूल भूमि उपयोग (appropriate land use) प्रोत्साहित करना; नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत जल प्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना; जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबन्ध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

चम्बल परियोजना में चालू वर्ष में माह जनवरी, 2009 तक 5456 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 1359 संरचनाएं बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2009 तक 4272 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 1199 संरचनाओं का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना के कार्यों में 174728 मानव दिवसों का रोजगार श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है जिनमें से 22715 अनुसूचित जाति तथा 113572 अनुसूचित जनजाति के हैं। कुल मानव दिवसों में से

84095 महिलाओं के हिस्से में गए हैं।

कड़ाना (माही) नदी घाटी परियोजना में चालू वर्ष के नियमित कार्यों में 9 जलग्रहण क्षेत्रों में 3216 हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया है तथा 1118 संरचनाएं निर्मित की गई हैं। गत वित्तीय वर्ष के बकाया कार्यों में 11 जलग्रहण क्षेत्रों में 1138 हैक्टेयर भूमि का उपचार व 650 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों से मानव दिवस सृजित करने के 0.70 लाख मानव दिवसों के विरुद्ध माह जनवरी, 2009 तक 1.812 मानव दिवसों का सृजन किया गया है। परियोजना पर चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2009 तक 323.25 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

दांतीवाड़ा परियोजना में जिला सिरोही में गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 1462 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 803 संरचनाएं बनाई गई थीं। इस वर्ष माह दिसम्बर, 2008 तक 960 हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया एवम् 387 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में कुल 33 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं। इन समितियों के खातों में रुपये 4064645 मूल राशि के रूप में तथा 2133078 रुपये ब्याज राशि के रूप में जमा है।

साबरमती परियोजना का क्रियान्वयन भी भू–संरक्षण अधिकारी, दांतीवाड़ा, आबूरोड द्वारा ही किया जा रहा है।

इस परियोजना में उदयपुर जिले में गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 2700 हैक्टेयर भूमि को उपचारित एवं 1820 संरचनाओं का निर्माण कर शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित कर ली गई थी। वर्ष 2008–09 में इस परियोजना में 3376 हैक्टेयर भूमि को उपचारित करने तथा 1138 संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से 3149 भूमि को उपचारित एवं 713 सरंचनाओं का निर्माण माह सितम्बर, 2008 तक पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के अधीन कार्यरत कुल 6 सुरक्षा समितियों के पास 851450 मूल राशि के रूप में तथा 378049 रुपये ब्याज के रूप में उपलब्ध है।

उन्नत फसल प्रदर्शन

दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी परियोजनाओं में चयनित जलग्रहण क्षेत्रों में भू एवं जल संरक्षण कार्यों के साथ–साथ कृषि कार्य के विकास व कृषकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से 'इम्प्रूव्ड क्रॉप डिमास्ट्रेशन' (उन्नत फसल प्रदर्शन) तथा 'हार्टीकल्चर व एग्रोफोरेस्ट्री' (उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी) योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। गत वर्ष व चालू वर्ष में छोटी जोत वाले कृषकों को उन्नत बीजों व फलदार पौधों का वितरण अग्रांकित है :

छाया : योगेश शर्मा

उप जलग्रहण क्षेत्र नवाबास में उन्नत गेहूं प्रदर्शन प्लाट

दांतीवाड़ा परियोजना में उन्नत बीज व खाद का वितरण वर्ष 2007–08

क्र.सं.	नाम जलग्रहण	नाम ग्राम	लक्ष्य (है.)	सामग्री जो वितरित की गई (किलोग्राम)			लाभान्वितों की संख्या
				गेहूं	डीएपी	यूरिया	
1.	नवावास	पिछाड़ी पादर	5	160	150	–	10
2.	जायद्रा	जायद्रा	20	640	600	200	29
3.	छितरिया	घड़ा की खास	5	160	150	50	7
साबरमती परियोजना							
1.	नयाबास	कोलियागढ़	5	160	150	50	6
2.	सुलाव	सुलाव	5	160	150	–	16

उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी वर्ष 2007–08

क्र.सं.	नाम परियोजना	नाम ग्राम	वितरित पौधों की सं.	लाभान्वितों की संख्या
1.	दांतीवाड़ा	नवावास	1000 पौधे	103
2.	दांतीवाड़ा	छितरिया	1000 पौधे	108
3.	दांतीवाड़ा	जायद्रा	1000 पौधे	135
4.	दांतीवाड़ा	रोहिड़ा	1000 पौधे	58
5.	साबरमती	सुलाव	1000 पौधे	92
6.	साबरमती	नयावास	1000 पौधे	104

कार्पस फंड द्वारा एस.डी.डी. की हैड वाल ऊँचा उठाने का कार्य

एग्रोफारेस्ट्री के अन्तर्गत विभाग द्वारा वितरित पपीतों के वृक्षों में फल उत्पादन, जायद्रा

उद्यानिकी (वर्ष 2008–09)

क्र.सं.	नाम परियोजना	नाम ग्राम	वितरित पौधों की सं.	लाभान्वितों की संख्या
1.	दांतीवाड़ा	छितरिया	200	51
2.	दांतीवाड़ा	नवावास	200	50
3.	दांतीवाड़ा	जायद्रा	200	102
4.	साबरमती	नयावास	400	75
5.	साबरमती	सांड़ मारिया	600	55
6.	साबरमती	सुलाव	400	40

कृषि वानिकी (वर्ष 2008–09)

1.	दांतीवाड़ा	नयावास	1000	52
2.	दांतीवाड़ा	सांड़ मारिया	3000	220
3.	दांतीवाड़ा	सुताव	1000	50

बाढ़ सम्भाव्य नदी घाटी परियोजना

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बाढ़ संभावित नदी बनास और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। एफपीआर बनास तथा लूणी नदी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में 2619.00 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में 2357.09 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होने हैं तथा 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में राज्य सरकार से 261.91 लाख रुपये प्राप्त होने हैं। इसमें एफ.पी.आर. बनास की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: 1934.99+215.01 कुल 2150.00 लाख रुपये तथा लूणी परियोजना की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: 422.10+46.90 कुल 46.90 लाख रुपये है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में बनास नदी परियोजना में कुल 20526 हैक्टेयर तथा लूणी नदी परियोजना में 5000 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं में कुल 25526 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है।

बनास नदी परियोजना में गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में 23350 हैक्टेयर भूमि को उपचारित एवं 2982 संरचनाएं निर्मित की गई थीं तथा चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2009 तक 18414 हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया एवं 3440 संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

वर्ष 2007–08 में बनास नदी परियोजना में कुल 1547.52 लाख रुपये व्यय किये गये जिसमें से 1393.69 लाख रुपये केन्द्र प्रवर्तित मद से तथा शेष राज्य योजना से व्यय किये गये। चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2008 तक इस परियोजना पर 1412.82 लाख रुपये व्यय किये गये हैं जिसमें से 1266.86 लाख रुपये केन्द्रीय अनुदान से प्राप्त राशि व 145.96 लाख रुपये राज्य योजना मद से व्यय किये गये हैं।

छाया सौजन्य : डॉ. सुरेश चन्द्र

बनास परियोजना में निर्मित कन्टूर बन्ड मय फील्ड आउटलेट, जगमोदा

छाया सौजन्य : डॉ. सुरेश चन्द्र

जल संरक्षण संरचना, जगमोदा

लूणी नदी परियोजना में उप जल ग्रहण क्षेत्रों में चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी, 2009 तक 3400 हैक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया एवं 637 संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना पर कुल 317.84 लाख रुपये व्यय हुआ है जिसमें से 286.72 लाख रुपये केन्द्रीय मद से व 31.12 लाख रुपये राज्य योजना मद से व्यय किया गया है।

दोनों परियोजनाओं में गत वर्ष 248733 तथा चालू वर्ष में दिसम्बर, 2008 तक कुल 634425 मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। दोनों परियोजनाओं में कार्मिकों व ग्रामवासियों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि वे परियोजना के विकास कार्यों से पर्याप्त लाभ उठा सकें। प्रशिक्षण के महत्व के मद्देनजर गत वर्ष बनास परियोजना में 2.75 लाख रुपये तथा इस वर्ष 1.51 लाख रुपये एवं लूणी नदी परियोजना में 0.05 लाख रुपये व्यय किये गये। दोनों परियोजनाओं में वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ठ 6 पर द्रष्टव्य है :

छाया : योगेश शर्मा

उप जलग्रहण जायत्रा में उन्नत खाद एवं बीज वितरण कार्यक्रम में बीज वितरित करते माननीय विधायक

6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग एवं विकास कार्यों के यथेष्ट परिणाम प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती रही है। अत: वन विकास कार्यक्रम का सामयिक प्रबोधन एवं कार्य सम्पादन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करना ही समवर्ती मूल्यांकन का मूल ध्येय है। इस हेतु विभाग में चार मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न वृक्षारोपण गतिविधियों के समय–समय पर मूल्यांकन हेतु मुख्यालय स्तर एवं परियोजना स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रबोधन प्रकोष्ठ सृजित है। मुख्यालय स्तर पर समवर्ती मूल्यांकन प्रकोष्ठ है। सभी मूल्यांकन प्रकोष्ठों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं।

समवर्ती मूल्यांकन प्रकोष्ठ के कार्य

इस प्रकोष्ठ द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर सम्पादित सभी कार्यों का शत प्रतिशत/सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य एवं साझा एवं प्रबन्ध गतिविधियों के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में जन सहभागिता का सामाजिक अंकेक्षण कार्य भी किया जाता है।

विभाग में कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रभारी	क्षेत्राधिकार में जिले
1.	उप वन संरक्षक (पी.एण्ड एम.) सामाजिक वानिकी, राजस्थान जयपुर	जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ (आंशिक)
2.	उप वन संरक्षक (पी.एण्ड एम.) वानिकी विकास परियोजना (इकाई–प्रथम), जयपुर	जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जैसलमेर, (आंशिक), पाली (आंशिक)
3.	उप वन संरक्षक (पी.एण्ड एम.) अरावली वृक्षा. परियोजना (इकाई–द्वितीय), जयपुर	प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली (आंशिक)
4.	उप वन संरक्षक (पी. एण्ड एम.) इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर (आंशिक)

उप वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन द्वारा किये गये कार्य

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	मूल्यांकित कार्य स्थलों की सूची
1.	जयपुर (मध्य)	15
2.	नदी घाटी परि. दांतीवाड़ा आबू रोड (सिरोही)	7
3.	चूरू	27
4.	झालावाड़	7
5.	टोंक	8
6.	नदी घाटी परि. कडाना, बांसवाड़ा	9 (पूर्ण–7, अपूर्ण–2)
7.	भू–संरक्षण, करौली	9 प्रस्तावित
8.	बूंदी	14 प्रस्तावित

छाया सौजन्य : के. सी. मीणा

पौध गणना

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

आयोजना एवं प्रबोधन इकाई प्रथम द्वारा वर्ष 2008–09 में मूल्यांकित क्षेत्र

आयोजना प्रबोधन इकाई प्रथम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार तीन वन मण्डल के 11 वृक्षारोपणों का मूल्यांकन कार्य किया गया है :

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	वृक्षारोपण का नाम	मूल्यांकन पद्धति	जीवित प्रतिशत
1.	बांसवाड़ा	1. हाडीमाल–5	10% सैम्पलिंग	84.26
		2. फटीखान शम्भूपुरा	10% सैम्पलिंग	91.96
		3. झरनिया चापरिया	10% सैम्पलिंग	91.54
		4. चौखाड़ बस्सी 2	10% सैम्पलिंग	89.18
		5. हरेन्द्रगढ़ किशनपाड़ा	10% सैम्पलिंग	95.06
		6. लंकाई–ए	10% सैम्पलिंग	93.39
		7. सतबीडिया–4	शत प्रतिशत	86.70
2.	वन्य जीव, आबू पर्वत	1. मोरडू क्यारा	शत प्रतिशत	58.43
		2. डाईमाता	10% सैम्पलिंग	74.79
3.	डूंगरपुर	1. चुलखैया बी	10% सैम्पलिंग	78.57
		2. बलवाडा	शत प्रतिशत	74.72

उपरोक्त के अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष में मूल्यांकन किये गये निम्न तीन वन मण्डलों के 18 वृक्षारोपणों के प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देकर सम्बन्धित वन मण्डलों को भिजवाया जा चुका है।

1. उदयपुर (उत्तर), 2. उदयपुर (मध्य), 3. उदयपुर (दक्षिण)

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना

आयोजना एवं प्रबोधन इकाई–द्वितीय द्वारा किए गए कार्य

गत वित्तीय वर्ष की दिसम्बर, 2007 के बाद की उपलब्धि व 2008–09 की दिसम्बर, 2008 तक की उपलब्धि निम्न अनुसार है :

क्र.सं.	अवधि	वन मण्डलों की संख्या	मूल्यांकित कार्य स्थलों की सं.			वि.वि. वर्ष 07–08 की
			शत प्रतिशत	सैम्पल विधि	योग	
1.	जन., 08 से मार्च, 2008 तक कुल (वित्तीय वर्ष 2007–08)	4 8	4 10	15 23	19 33	वर्ष 07–08 की कुल उपलब्धि
2.	वित्तीय वर्ष 2008–09 (अप्रैल से दिसम्बर, 2008 तक)	2	24	25	49	
3.	योग (1 जन. 08 से 31 दिस. 08 तक)	6	28	40	68	दिसम्बर 07 के पश्चात् दिस. 08 तक की कुल उपलब्धि

आयोजना एवं प्रबोधन इकाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वारा किए गए कार्य :

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	चयनित कार्यों की संख्या			कार्य पूर्ण	कार्य शेष
		शत प्रतिशत मूल्यांकन	सैम्पल विधि	कुल		
1.	हनुमानगढ़	1	5	6	6	–
2.	छतरगढ़	2	9	11	11	
3.	श्रीगंगानगर	5	4	9	4	5
4.	विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसलमेर	8	9	17	–	17

❁ दांतीवाड़ा परियोजना का मूल्यांकन

केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में क्रियान्वित की जा रही दांतीवाड़ा परियोजना का मूल्यांकन गत वर्ष करवाया गया है। यह मूल्यांकन जल संसाधन क्षेत्र के अन्तरराष्ट्रीय सलाहकार ''वाटर एण्ड पॉवर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड'' गुड़गांव द्वारा किया गया है। इस मूल्यांकन कार्य का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :

- परियोजनान्तर्गत पांच जलग्रहण क्षेत्रों, टांकिया, रानोरा, पवा, उपलीबोर तथा तलेटी का मूल्यांकन विशेषतौर से किया गया।
- परियोजना क्षेत्र में 2562 चैक डैम 'अपर रीच' में, 892 'मिडिल रीच' में तथा 476 'लोअर रिचेज' में बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 3930 संरचनाएं निर्मित की गई हैं।
- इन संरचनाओं के माध्यम से 13,36,725 घन मीटर गाद हेतु भण्डारण क्षमता सृजित की गई है।
- मूल्यांकित क्षेत्र में 71 जल संरक्षण संरचनाएं तथा 93 'सिल्ट डिटेंशन डैम' बनाए गए हैं। इन के माध्यम से मूल्यांकित क्षेत्रों में 168000 घन मीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित की गई है।
- इस नई सृजित जल संग्रहण क्षमता से 105 हैक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- मूल्यांकित जल ग्रहण क्षेत्रों के भू–जल स्तर में वृद्धि हुई है। परियोजना क्रियान्वयन के बाद, मानसून पूर्व भू–जल स्तर 1.2 से 4 मीटर तथा मानसून बाद 2.1 से 4.5 मीटर बढ़ा हुआ रिकॉर्ड किया गया।
- बिना उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों में भू–जल का स्तर 0.1 से 2.0 मीटर तक गिरा है।
- भू–जल संग्रहण से प्रदूषण रहित पेयजल उपलब्ध हुआ है।
- रानोरा उप जल ग्रहण क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र 6 हैक्टेयर से बढ़कर 24 हैक्टेयर हुआ है।
- परियोजना लागू होने के बाद से मूल्यांकित जल ग्रहण क्षेत्रों में कुल मिलाकर 241 हैक्टेयर, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र परियोजना पूर्व के 237 हैक्टेयर से बढ़कर 478 हैक्टेयर हो गया है।
- मूल्यांकित क्षेत्रों में खरीफ की फसल का बुवाई क्षेत्र 2651 हैक्टेयर से बढ़कर 2882 हैक्टेयर हो गया है। रबी की बुवाई का क्षेत्र 1679 हैक्टेयर से बढ़कर 1936 हैक्टेयर हो गया है अर्थात् बुवाई के कुल क्षेत्रफल में 10.92% वृद्धि हुई है।

❁ वन विकास अभिकरणों का मूल्यांकन

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड के सहयोग से राज्य में जो 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं उनका बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के दो वन विकास अभिकरणों का अंतिम मूल्यांकन किया गया जिसके परिणाम इस प्रकार रहे :

क्र.सं.	नाम अभिकरण	समग्र मूल्यांकन
1.	हनुमानगढ़	बहुत अच्छा
2.	श्रीगंगानगर	अच्छा

हनुमानगढ़ अभिकरण का मूल्यांकन एन.एच. कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा श्रीगंगानगर अभिकरण का मूल्यांकन काउंसिल फोर ट्रैनिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एन्वॉयरमेंट, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

रिंग–पिट का मापन कार्य

❁ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मूल्यांकन

उक्त परियोजना के दो पृथक्–पृथक् मूल्यांकन कराये गये। यह दोनों मूल्यांकन मैसर्स एल. एन. सी. रायपुर ने किये। जिनका विवरण इस प्रकार है।

1. रायपुर स्थित इस संस्था द्वारा परियोजना गतिविधियों का मूल्यांकन रोपित प्रजातियों की वृद्धि/ जीवितता प्रतिशत, नमी संरक्षण उपायों की उपयोगिता, सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता, प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति, साझा वन प्रबन्ध के संस्थानीकरण में जन सहभागिता हेतु किये गये प्रयास, गतिविधियों पर लाभान्वितों की प्रतिक्रिया, समितियों के लाभ वितरण तंत्र तथा महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में किया गया। संस्था ने परियोजना क्रियान्वित किये जा रहे 355 साइटों का मूल्यांकन–अध्ययन किया। मूल्यांकन के परिणाम इस प्रकार रहे :–

- परियोजना स्तर पर रोपित पौधों का जीवितता प्रतिशत 84.36 पाया गया।
- उपचारित क्षेत्रों में बांस व टीक के तने 93 प्रतिशत जीवित पाये गये।
- रौझ, चुरैल, टोर्टलिस एवं बबूल की जीवितता एवं वृद्धि सर्वश्रेष्ठ पाई गई।
- बिना उपचारित एवं उपचारित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन अनुपात 1:1.83 पाया गया।
- बिना उपचारित एवं उपचारित क्षेत्र में प्राकृतिक घास की उपलब्धता का अनुपात 1:1.86 पाया गया।
- औसतन 3.64 प्रतिशत सीमांत श्रमिकों को रोजगार मिला व सभी साधनों से परिवार की औसत आय 4611.10 रु. प्रति वर्ष पाई गई।
- नजदीकी ग्रामों में रहने वाले लोगों में से 43.63 प्रतिशत लोगों ने रोपित प्रजातियों को उनकी आवश्यकता के अनुकूल बताया।
- औसतन 55.56 प्रतिशत महिलाओं की परियोजना गतिविधियों में सहभागिता रही।
- वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिये निर्मित मैकेनिकल संरचनाऐं पर्याप्त प्रभावशाली रही है।
- वृक्षारोपणों में रोपित किये गये औषधीय प्रजाति के पौधे जैसे कौंच, सर्पगंधा, ग्वारपाठा, गूगल एवं सिन्दूरी की संख्या वार्णियक विदोहन के लिये अपर्याप्त।

मूल्यांकनकर्त्ता संस्था ने भविष्य में बनाये जाने वाली परियोजनाओं के लिये, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की परम्परागत पद्धति के साथ–साथ नवीनतम तकनीकों को शामिल करने, वृक्षारोपण हेतु पौधशाला में तैयार दो वर्ष के पौधे काम में लेने तथा महिलाओं की भूमिका सशक्त करने हेतु समिति के पुरुष सदस्यों के प्रशिक्षण पर बल देने सहित अनेक सुझाव दिये हैं।

2. दूसरा अध्ययन परियोजना क्षेत्र में क्रियान्वित की गई कृषि वानिकी गतिविधियों के सम्बन्ध में करवाया गया था। इस अध्ययन में संस्था से निम्न विषयों पर मूल्यांकन करने व सुझाव देने की अपेक्षा की गई थी। कृषि वानिकी में कृषकों को वितरित पौधों की वृद्धि एवं जीवितता प्रतिशत की स्थिति, पौधों के मरने के उत्तरदायी कारणों की खोज करना, कृषिकों की पौध प्रजाति सम्बन्धी प्राथमिकताओं का पता लगाना, रोपित पौधों पर कृषकों की आर्थिक निर्भरता का पता लगाना/संस्था द्वारा प्राथमिक रूप से प्राप्त आंकड़ों के परिणाम इस प्रकार रहे :–

- परियोजना स्तर पर वितरित/विक्रय पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत पाया गया। रास्थान राज्य की जलवायविक परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि अच्छी पाई गई।
- 33 प्रतिशत पौधे अत्यधिक गर्म मौसम, 33 प्रतिशत देखभाल के अभाव में एवं 7 प्रतिशत पौधे परिवहन के दौरान मरना पाये गये।
- कृषकों का प्राथमिकता क्रम इस प्रकार पाया गया।

1. धार्मिक भावना से जुड़े पौधे। (धर्म से संबंधित पौधे)
2. पारम्परिक रूप से पाये जाने वाली स्थानीय प्रजातियां।
3. वाणिज्यिक रूप से उपर्युक्त पौध प्रजातियां।
4. चारा देने वाली प्रजातियां।
5. फूलदार पौधे।
6. औषधीय पौधे।

- रोपित किये गये फल एवं फूलदार पौधों से कृषक औसतन 1300/– रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष कमाई आरम्भ कर चुके हैं।

कृषि वानिकी के सन्दर्भ में संस्था ने उद्योगों व विद्यालयों को पौधारोपण हेतु अभिप्रेरित करने, पीआरए पद्धति से कृषकों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करने। पौधारोपण तकनीक का प्रशिक्षण देने व पौधारोपण तकनीक संबंधी साहित्य बंटवाने तथा ग्रामीणों को कुछ प्रोत्साहन राशि दिये जाने संबंधी सुझाव भी दिये हैं।

7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छंद विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में दो राष्ट्रीय उद्यान (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान) तथा 25 अभयारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9161.21 वर्ग किमी. है। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विवरण परिशिष्ट–7 पर दृष्टव्य है।

छाया सौजन्य : सुनयन शर्मा

एक ऐतिहासिक घटना : सरिस्का में बाघों का पुर्नवास

वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदेश में, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से राशि प्राप्त कर विकास कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 के बजट अनुमान में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए 1091.52 लाख रुपये का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में 193.27 रुपये का प्रावधान है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर भी आसपास विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वन्य जीव प्रबन्धकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य निरन्तर संघर्ष होता है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों की इन संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों को पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में 'हैबिटाट' सुधार, पानी स्थलों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वर्ष 2008–09 में वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

- राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व

कोटा चिड़ियाघरों को क्रमश: नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेडा जैविक उद्यान में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर ले–आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है। स्वीकृत मास्टर ले लाउट प्लान के अनुसार सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की विस्तृत परियोजना राशि रुपये 9.30 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। शेष तीनों जैविक उद्यानों की विस्तृत परियोजनाएं भी तैयार कर ली गई हैं जो स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

- रणथम्भौर बाघ परियोजना एवं सरिस्का बाघ परियोजना में शिकारियों के संभावित ठिकानों पर 'रेड' आयोजित किये जाकर (छापे मारकर) शिकार में लिप्त पाये गये कई शिकारियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है।
- रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आर.ए.सी. व होम गार्ड्स की तैनाती की गई है।
- रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये सुरक्षात्मक कारणों के फलस्वरूप इस वर्ष बाघों के प्रजनन के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं।
- वृक्षों के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 नर नारियों के बलिदान की याद में खेजड़ली में एक स्मारक बनाने हेतु राशि रुपये 499.00 लाख की परियोजना तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के उन्मूलन हेतु स्थानीय लोगों की भागीदारी से 'इको डवलपमेंट कमेटियों' के माध्यम से अब तक लगभग 1004 हैक्टेयर क्षेत्र से प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा के बीज देने वाले बड़े वृक्षों को हटाया जा चुका है। इस राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष उद्यान में उपलब्ध जलीय वनस्पति के सर्वेक्षण का कार्य ट्यूरिज्म एवं वाइल्ड लाइफ सोसायटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कराया जा रहा है। इस हेतु संस्था को 50 हजार रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं। उद्यान में ज्यूलीफ्लोरा उन्मूलन व अन्य विकास कार्यों के परिणामस्वरूप इस वर्ष विभिन्न प्रजातियों के लगभग 35 हजार पक्षियों ने प्रवास किया है। उद्यान में पर्यटकों को पक्षी अवलोकन के लिए नौका विहार की सुविधा भी

उपलब्ध है।

- सरिस्का बाघ परियोजना से दो गांवों (भगानी एवं कांकवाड़ी) को बडोद रुंध एवं मौजपुर बीड़ में विस्थापित करने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है तथा कांकवाड़ी एवं उमरी गांव को विस्थापित करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु एक प्रोजेक्ट, राशि रुपये 65 करोड़ का तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29.1.2009 से राशि रुपये 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
- तालछापर अभयारण्य के विकास के लिए राज्य योजना में वर्ष 2008–09 के लिए राशि रुपये 47.26 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस राशि से कर्मचारियों हेतु आवास, जन सुविधाएं तथा गार्ड हॉस्टल आदि बनाये जायेंगे।
- बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से एक बाघ एवं दो बाघिन को वायु सेना के हैलीकॉप्टर से लाया जाकर सफलतापूर्वक सरिस्का में विस्थापित कर दिया गया है।
- रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में बाघ के 2–3 वर्ष की उम्र के 3 बच्चों को रेडियो कॉलर लगाकर इनके व्यवहार का अध्ययन भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून द्वारा किया गया।
- राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जीवों द्वारा घायल किये जाने पर निम्नानुसार मुआवजा राशि दी गई :

  (1) वर्ष 2008–09 (दिसम्बर, 2008 तक) में जन श्रेणी में घायल होने के 19 मामलों में राशि रुपये

मेघपुरा रिलोकेशन सेन्टर बस्सी अभयारण्य (चित्तौड़गढ़)

बस्सी अभयारण्य की स्थापना 29 अगस्त, 1988 को हुई। यह जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ से 25 किलोमीटर दूरी पर राजमार्ग संख्या 76 कोटा–चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। अभयारण्य के कुल 14 वन खण्डों का क्षेत्रफल 13869.06 हैक्टर है। वनखण्ड जालेश्वर 2115 हैक्टर है। वर्ष 2001 में इस वन खण्ड में बस्सी ग्राम से 5 कि. मी. दूरी पर मेघपुरा व पालका ग्राम सीमा में ''मेघपुरा रिलोकेशन सेन्टर'' की स्थापना कर लगभग 1100 हैक्टर क्षेत्र के पक्की दीवार बनाकर बन्द करने का कार्य आरम्भ कर वर्ष 2009 तक 11 किलोमीटर दीवार बनाकर पूर्ण बन्द किया गया है। इस रिलोकेशन सेन्टर में व इसकी परिधि पर बस्सी व ओराई बड़े बांध एवं सारणा एनीकट हैं जिनमें साल भर पानी उपलब्ध रहता है। इसके अतिरिक्त 2 नाले हैं, जिनमें स्थान–स्थान पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। वन्यजीव सुरक्षा हेतु मेघपुरा, सारणा व केवड़िया में वन कर्मियों के निवास हेतु आवास है। क्षेत्र में जालेश्वर महादेव का पौराणिक स्थान है जो स्थानीय लोगों का आस्था स्थल है। इको ट्यूरिज्म योजनाके अन्तर्गत जालेश्वर महादेव का सौन्दर्यीकरण कार्य करवाया गया है। रिलोकेशन सेन्टर बनने के बाद मेघपुरा में 12 चिंकारे, 6 चीतल लाकर छोड़े गए हैं। हिन्दुस्तान जिंक फैक्ट्री के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पात मचाने वाले तीन बघेरे भी यहां लाकर छोड़े गए हैं।

छाया : मनोज पाराशर

रिलोकेशन सेन्टर का कार्य होने के बाद में क्षेत्र में वनस्पति के पर्याप्त पुनरुत्पादन हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप चिकारों व चीतलों की संख्या बढ़कर लगभग 50 व 35 हो गई है। इस वर्ष इसमें पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर 30 फीट ऊंचा वाच टावर निर्माण कराया गया है जिससे अभयारण्य के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र में निगरानी हो सकेगी।

क्षेत्र में मुख्य रूप से खैर, काला धोक, तेन्दू, रोंझ, करोंदा, कांटी, बेल, आवला के साथ महुआ, जामुन, टामट, सफेद, धौंक, गोदल, सालर, कड़ाया, बड, गूलर व पीपल आदि के अलावा नेगड, कलीहारी, वज्रदन्ती, नामे ग्वारपाठा, सफेद मूसली जैसे पौधे पाये जाते हैं।

इस पर्वतीय क्षेत्र में दो गुफाये हैं जिसमें पेन्थर का निवास है, संध्या के आस पास व भोर फटने से पूर्व अक्सर देखा जा सकता है। पुनरुत्पादन व जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में चिंकारा, चीत्तल, सुअर, जरख, लोमडी, सियार, सीवेट, जंगली बिल्ली, रेगिस्तानी बिल्ली, रुडी मंगूस, नेवला, रोजडा आदि संध्या के आस पास बस्सी बांध एवं सारणा ऐनीकट पर आसानी से देखे जाते हैं। रेंगने वाले प्राणियों में मगरमच्छ, स्टार टोरटोज, अजगर, कोबरा, वाईपर, गोह, रेट स्नेक व वाईन स्नेक आसानी से देखे जा सकते हैं। पक्षियों में मोर, सारस, इजिप्शीयन वल्चर, किंग वल्चर, लोंग बिल्ड वलचर, फिशिंग ईगल, कारमोरेट, स्नेक बर्ड, ग्रेट कामोरेन्ट, कठफोडा, चैन्जेबल होक ईगल, गागरोनी तोते, रंगीन तीतर आदि पाये जाते हैं। शीत प्रवासी पक्षियों में ब्राहमीनी डक, बार हेडेड गीज, पेन्टेड स्टोंक, ब्लेक हेडेड स्टोर्क आदि पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटकों को भ्रमण की अनुमति नियमानुसार दी जाती है। यद्यपि यहां स्थानीय पर्यटक कम संख्या में आते हैं किन्तु आस पास में अनेक हैरिटेज होटल होने के कारण विदेशी पर्यटक यहां काफी संख्या में आते हैं।

भैंस रोड गढ़ में यह तेंदूआ शिकारियों के क्लच वायर से बनाये गये जाल में फंस गया व घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी के. एस. राठौड़ ने इसकी टांग पकड़कर निशचेतन का इंजेक्शन लगाया व जाल के सहारे इसे पेड़ से नीचे उतारा गया।

सौजन्य : के. एस. राठौड़

1.89 लाख मुआवजा स्वीकृत किया गया।

(2) वर्ष 2008–09 (दिसम्बर, 2008 तक) में पशु हानि मामले में मुआवजा रुपये 1.50 लाख स्वीकृत किया गया है।

- वर्ष 2008 में असामयिक बारिश हो जाने से वाटर होल की संख्या बढ़ जाने के कारण तथा पगमार्क के स्पष्ट चिन्ह नहीं आने की संभावना के कारण माह मई–जून, 2008 में करवाई जाने वाली पगमार्क एवं वाटर होल वन्य जीव गणना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य में निम्नांकित जिलों में स्थित भूमि को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है –

1. बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व जिला टोंक

उक्त कन्जर्वेशन रिजर्व राज्य सरकार की अधिसूचना सं.प.319वन/2006 दिनांक 13.10.08 द्वारा घोषित किया गया था। इस कन्जर्वेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 48.31 वर्ग किमी. है।

2. जोडबीड गाडवाला बीकानेर कन्जर्वेशन रिजर्व

गिद्धों के संरक्षण हेतु उक्त कन्जर्वेशन रिजर्व राज्य सरकार की अधिसूचना सं.प.3(22) वन/2008/दिनांक 25.11.08 द्वारा घोषित किया गया है। इस कन्जर्वेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 5646.62 हैक्टेयर है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य में निम्नांकित क्षेत्रों/जिले में स्थित क्षेत्रों को भी कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जा रही है–

- सुन्धामाता कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला जालौर
- रामदेवरा कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला जैसलमेर
- मैनाल कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला भीलवाड़ा
- बडिफतेहपुर कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला सीकर
- लोहार्गल शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला सीकर व झुंझुनूं
- शाहबाद किशनगंज कन्जर्वेशन रिजर्व, जिला बारां

छाया : मनोज पाराशर

स्टार कछुआ पानी में

छाया : मनोज पाराशर

पानी के सांप मछलियों का सामूहिक शिकार करते हुए

8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना :

प्रदेश में वनों के तकनीकी प्रबंधन हेतु वन्य जीव प्रभाग से संबंधित वन्य जीव क्षेत्रों को छोड़कर सभी वन क्षेत्रों की कार्य आयोजना का होना आवश्यक है साथ ही केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत ऐसी कार्य आयोजना के अनुरूप ही वन क्षेत्र का प्रबंधन किया जाना अपेक्षित होता है। वन्य जीव प्रभाग क्षेत्र का प्रबंधन उन क्षेत्रों की स्वीकृत प्रबंध योजना के अनुरूप किया जाता है।

प्रदेश में मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है। मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

(अ) कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण

(ब) वन बन्दोबस्त सम्बन्धित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण की कार्यवाही करवाना

(स) कार्यालय सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण करवाना।

(अ) कार्य आयोजना : वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु 10 वर्ष के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान में केवल जयपुर एवं बीकानेर स्टेज प्रथम उन क्षेत्रों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत एवं क्रियान्वयन में है।

क्र.सं.	नाम जिला अथवा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि
1.	बीकानेर इंगानप स्टेज प्रथम	1.4.1999 से 31.3.2009 तक
2.	जयपुर	1.4.2000 से 31.3.2010 तक

(i) कार्य आयोजना तैयार करने हेतु प्रदेश में कुल चार कार्य आयोजना अधिकारियों के पद ही स्वीकृत हैं। इन कार्य आयोजना अधिकारी जिन जिलों की स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि समाप्त हो जाती है क्रमश: कार्य आयोजना पुन: तैयार करने का कार्य करते हैं। एक जिले की कार्य आयोजना का कार्य पूर्ण होने पर दूसरे जिले की कार्य आयोजना तैयार करने हेतु कार्यालय का स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किये जाने तथा कार्य आयोजना अधिकारी एवं अन्य स्टाफ पदस्थापन किये जाने पर उस जिले की कार्य आयोजना का पुनरवलोकन कर आगामी दस वर्ष के वानिकी प्रबन्धन हेतु कार्य आयोजना तैयार करने का कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाता है। वर्तमान में तीन कार्य आयोजना अधिकारी क्रमश: उदयपुर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर स्टेज-II इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज I के वन क्षेत्रों की कार्य आयोजना तैयार कर रहे हैं। कार्य आयोजना बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों की कार्य आयोजना मार्च, 2008 में तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कार्य आयोजना अधिकारी चित्तौड़गढ़ का

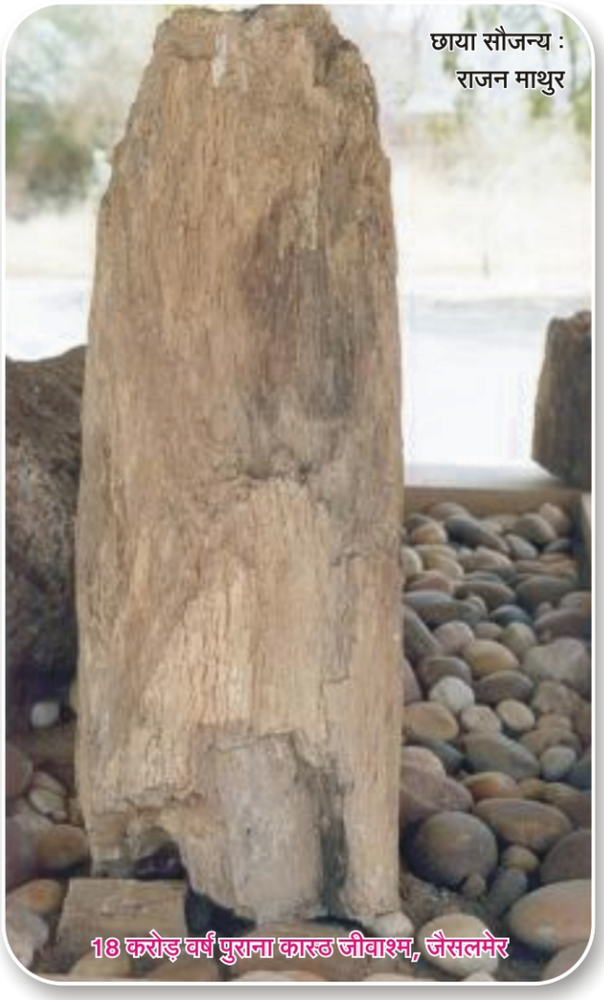

छाया सौजन्य : राजन माथुर

18 करोड़ वर्ष पुराना काष्ठ जीवाश्म, जैसलमेर

कार्यालय समाप्त कर कार्य आयोजना अधिकारी भीलवाड़ा में परिवर्तित कर मुख्यालय भीलवाड़ा पर स्थानान्तरित किया जाना एवं कार्य आयोजना अधिकारी का पदस्थापन किया जाना अभी अपेक्षित है। इसके पश्चात् अधीनस्थ कर्मचारियों का उक्त कार्यालय में पदस्थापन उपरान्त ही भीलवाड़ा जिले के वन क्षेत्रों की कार्य आयोजना तैयार करवाने का कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

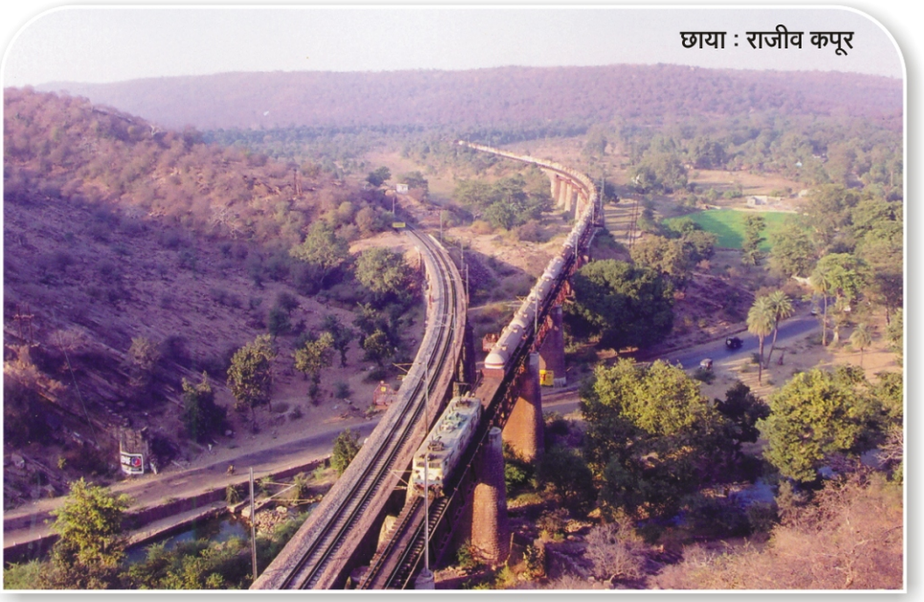

छाया : राजीव कपूर

दरा अभयारण्य का विहंगम दृश्य

(ii) अन्य अधिकारियों को अपने पद के दायित्व के अतिरिक्त कार्य आयोजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। एक कार्य आयोजना तैयार करने में करीब 3 वर्ष का समय लगता है। कार्य आयोजना दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है। अत: कुल 33 जिलों की कार्य आयोजना नियमित रूप से समय अनुसार तैयार करवाने के लिए चार कार्य आयोजना अधिकारी पर्याप्त नहीं है। इस क्रम में इस कार्यालय के प्रस्तावानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा कार्य आयोजना अधिकारियों के स्वीकृत चार पदों के अलावा 4 पदों के अतिरिक्त सृजन करने तथा कार्य आयोजना अधिकारियों के कुल 8 पद करने हेतु अनुरोध किया हुआ है। कार्य आयोजना तैयार करवाने की अन्तरिम व्यवस्था हेतु राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक एफ15 (12) वन/97 दिनांक 26.10.05 (संशोधित आदेश 27.7.06) से प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षकगणों के अधीन कार्यरत उनके प्रावैधिक सहायकों (उप वन संरक्षकगण) को विभिन्न जिलों की कार्य आयोजना तैयार करने का कार्य उनके मूल कार्य के साथ–साथ करने के आदेश जारी किये हैं। इन अधिकारियों को पृथक् से कोई कर्मचारी अथवा संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। इन अधिकारीगण को सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के कर्मचारियों एवं संसाधन के सहयोग से कार्य आयोजना तैयार करने के आदेश जारी हैं। लेकिन उक्त अधिकारीगण 23 वन मण्डलों/जिलों की कार्य आयोजना तैयार करने में विशेष प्रगति नहीं कर पाये हैं।

(iii) **वन बन्दोबस्त :** वन विभाग के नियंत्रण अधीन विभिन्न वन क्षेत्रों को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाकर उन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम अमलदरामद कराया जाता है। मौके पर वन सीमा पर मिनारे बनाकर इन वन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है। प्रदेश में वन बन्दोबस्त की स्थिति निम्नानुसार है।

(iv) **राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन :** किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी वन बन्दोबस्त नियम 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांचकर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अन्तिम विज्ञप्ति आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसका राजस्थान वन अधिनियम की 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी करवाई जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। प्रारम्भिक एवं अन्तिम रूप से घोषित तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :

(क्षेत्रफल वर्ग किमी.)

कुल वन क्षेत्र	अन्तिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29 (1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)	अवर्गीकृत वन क्षेत्र
32688.10	25900.44	3969.44	2818.22

अवर्गीकृत वन क्षेत्रों में से काफी वन क्षेत्रों की अधिसूचना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। कुछ अधिसूचनाएं राज्य सरकार स्तर से राजकीय मुद्रणालय को भिजवा दी गई हैं तथा मुद्रणालय एवं राज्य सरकार स्तर पर कुछ अधिसूचनाएं पेंडिंग हैं।

(v) वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद : वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। माह अक्टूबर 2008 तक वन भूमि के अमलदरामद की स्थिति निम्नानुसार है :

(क्षेत्रफल वर्ग किमी.)

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल	अमलदरामद से शेष वन भूमि
32688.10	27653.17	5034.92
प्रतिशत 100	84.59	15.40

सीमांकन : राज्य वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है :

वन बन्दोबस्त अनुसार सीमा स्तम्भों की कुल संख्या	सीमा स्तम्भ लगाये जा चुके हैं दिनांक 31.3.08 की स्थिति	सीमा स्तम्भ जो लगाये जाने शेष हैं
308639	94488	214151
प्रतिशत 100	31.61	69.39

इस वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु 7500 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षकगण को आवंटित है। प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वेआदि के लिए वर्ष 2008–09 में कोई भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित नहीं है।

क्र.सं.	नाम कार्यालय	भौतिक (मिनारों की संख्या)	वित्तीय (राशि रुपये लाखों में)
1.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	2000	20.00
2.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	2000	20.00
3.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	2000	20.00
4.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	1500	15.00
	योग	**7500**	**75.00**

9

वन अनुसंधान

राज्य वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र शोध एवं अनुसंधान कार्य हेतु कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं।

वन अनुसंधान कार्यों को विभागीय आवश्यकतानुरूप दिशा देने के लिए शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन वर्ष 2005–06 में किया गया था। यह समूह कार्यालय द्वारा प्रस्तावित शोध एवं अनुसंधान कार्यों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श कर उनकी उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करता है तथा किए जा रहे शोध कार्यों की समीक्षा भी करता है। दिनांक 19.2.08 को हुई शोध परामर्शी समूह की बैठक में गत वर्षों के वानिकी प्रयोगों के परिणामों की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2008–09 के लिए प्रस्तावित 11 प्रयोगों का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में किए जा रहे सभी प्रयोगों की समीक्षा शोध परामर्शी समूह की दिनांक 16.2.09 को प्रस्तावित बैठक में होनी है।

विभागीय पौधशालाओं के लिए विभिन्न प्रजातियों के अंकुरण का ज्ञान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी से बीज क्रय करने की मात्रा व खर्च की जाने वाली राशि का वास्तविक अनुमान संभव हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में वनवर्धन शाखा द्वारा बीजासाल *(Pterocarpus marsupium)*, कैर *(Capparis decidua)*, मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)*, पारस पीपल *(Thespesia populnea)*, तनस *(Ougeinia oojeinensis)* तथा मुंजाल *(Caeseria tomentosa)* के बीजों के अंकुरण के बारे में अध्ययन किए गए।

विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में सर्पगंधा, गुगल, अर्जुन, बहेड़ा, मालकांगनी, पारस पीपल आदि पौधे लगाये गये। 'रूट ट्रेनर' एवं पॉलीथीन थैली में तैयार किए गए पौधों की वृद्धि का 'फील्ड' में अध्ययन गोविन्दपुरा अनुसंधान केन्द्र पर जारी है।

छाया सौजन्य : बुद्धिप्रकाश पारीक

Growth study plot of Aritha (*Sapindus emaginatus*)

वनवर्धन कार्यालय द्वारा प्रकाशित होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से किए गए प्रयोगों की विस्तृत जानकारी सभी वन मण्डलों को उपलब्ध कराई जाती है। अग्रिम पंक्ति के वनाधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान वृद्धि के लिए वन वर्धन कार्यालय द्वारा इस वर्ष गुगल की पौध तैयारी, दीमक पर नियंत्रण राजस्थान की वनस्पति एवं राजस्थान की आठ स्थानीय प्रजातियों के 'ग्रीन वेट' की तालिकाएं प्रकाशित करवाई जाकर वन मण्डलों को प्रेषित की गईं।

छाया सौजन्य :
बुद्धिप्रकाश पारीक

Germination study of *Sterculia urens*

जांच करता है अपितु आम जनता द्वारा लाए गए नमूनों की जांच कर उपयुक्त सुझाव देता है। कार्यालय की जयपुर स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में इस वर्ष में दिसम्बर, 2008 तक वन विभाग के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त वानिकी प्रजातियों के बीजों के 572 नमूनों (सेम्पल) का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से प्राप्त जल के 11 एवं मृदा के 26 नमूनों की जांच कर रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तियों एवं कार्यालयों को भिजवाई गई है।

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। इस वर्ष जयपुर जिले की आमेर रेंज के अधीन वन खण्ड बूकला के वृक्षारोपण कूकस – बूकला 'बी' वर्ष 1994–95, क्षेत्रफल 50 हैक्टेयर को दिनांक 11.11.08 को कूमठा *(Acacia senegal)* का बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किया गया। इसी प्रकार उदयपुर जिले की सायरा रेंज अधीन वन खण्ड उमरो का मथारा में 40 हैक्टेयर एवं वन खण्ड आडीवाली बरवाड़ी में चार वृक्षारोपणों के कुल 200 हैक्टेयर क्षेत्र को दिनांक 22.12.08 को रतनजोत का बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किया गया। इस वर्ष देशी बबूल *(Acacia nilotica)* का 18.15 क्विं. बीज घड़साना (हनुमानगढ़) से एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। स्टॉक में अभी 4.80 क्विं. बबूल बीज उपलब्ध है। कूमठा *(Acacia senegal)* का बीज पुष्कर से एकत्रित किया जा रहा है।

वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गए बीज मिट्टी व पानी के नमूनों की

वनवर्धन शाखा वानस्पतिक शोध व अनुसंधान में जुटी अन्य राजकीय व गैर राजकीय संगठनों से भी समन्वय बनाए रखती है तथा नवीनतम निष्कर्षों का निरन्तर आदान–प्रदान करती रहती है। इसी क्रम में इस वर्ष वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए आफरी, जोधपुर में आयोजित 'स्टेक होल्डर्स मीट' एवं शोध परामर्शी समूह की बैठक में वनवर्धन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। देहरादून में दिनांक 15 व 16 जनवरी, 2009 को आयोजित 'एक्सटेंशन स्ट्रटेजीज इन फोरेस्ट्री रिसर्च' कार्यालय में उप वन संरक्षक (वनवर्धन) द्वारा भाग लिया गया। स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान कार्यों के लिए निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

छाया सौजन्य : बुद्धिप्रकाश पारीक

Vegetative propagation of *Sterculia urens*

10

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी कोयला व्यापार योजना:

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। वर्ष 2007–08 के दौरान विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत 3.73 लाख क्विंटल जलाऊ लकड़ी एवं 3.85 लाख क्विंटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई। वर्ष 2008–09 में दिसम्बर, 2008 तक 1.81 लाख क्विंटल जलाऊ लकड़ी एवं 1.81 लाख क्विंटल इमारती लकड़ी विदोहन एवं एकत्रीकरण से प्राप्त हुई।

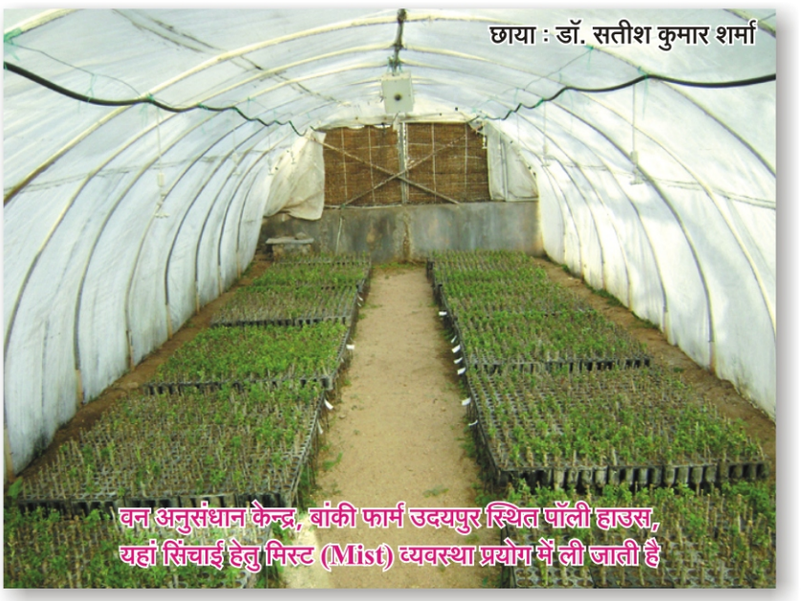

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी फार्म उदयपुर स्थित पॉली हाउस, यहां सिंचाई हेतु मिस्ट (Mist) व्यवस्था प्रयोग में ली जाती है

बाँस विदोहन योजना:

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2007–08 के दौरान 11.00 लाख मानक बाँस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2008–09 में माह दिसम्बर, 2008 तक 7.07 लाख मानक बांस विदोहन से प्राप्त हो चुके हैं।

गत वर्ष बांस विदोहन की स्वीकृति भारत सरकार से माह जनवरी, 08 में प्राप्त होने के कारण बांस विदोहन कार्य देरी से आरम्भ हुआ था। इस वर्ष यह स्वीकृति 19 अगस्त, 2008 को जारी होने के कारण कार्य माह अक्टूबर में ही आरम्भ कर दिया गया है।

काष्ट निर्माण योजना:

इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा व भरतपुर में फर्नीचर निर्माण की इकाइयां कार्यरत थीं। इन इकाइयों द्वारा विभिन्न प्रकार का फर्नीचर मांग अनुसार तैयार किया जाकर सप्लाई किया जाता था, परन्तु राज्य सरकार से फर्नीचर क्रय पर रोक होने से समुचित मात्रा में सप्लाई आदेश न मिलने एवं जयपुर के समीप इमारती लकड़ी की अनुपलब्धता से अलाभप्रद होने के कारण वर्ष 2001–02 में इन इकाइयों को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया था। केवल अवशेष हार्डवेयर का उपयोग किए जाने हेतु सीमित मात्रा में फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फर्नीचर बेचान से वर्ष 2006–07 में 0.80 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2007–08 से शेष फर्नीचर का कोई बेचान नहीं हुआ है।

अन्य कार्य

विभागीय कार्य द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त निम्न कार्य भी सम्पादित किए जाते हैं:

- ऐसे वन क्षेत्र जो, अन्य परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किए जाते हैं, में वन उपज का विदोहन;
- प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी पड़ी लकड़ी का निष्पादन;
- राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना; तथा
- उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थुरों में कल्चरल कार्य भी करवाए जा रहे हैं।

विभागीय कार्य की गतिविधियों से चालू वर्ष में माह दिसम्बर, 2008 तक 56300 मानव दिवसों का सृजन किया गया। उदयपुर वन मण्डल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 50 अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 563 मानव दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

राजस्व

विभागीय कार्य के लिए वर्ष **2007–08 का कुल राजस्व लक्ष्य 1880.00 लाख रुपये रखा गया था जिसके विरुद्ध गत वर्ष 2266.37 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। गत वर्ष में विभागीय कार्य का कुल व्यय 873.18 लाख रुपये ही हुआ था।** वर्ष 2008–09 के लिए इस शाखा का राजस्व लक्ष्य 2750.00 लाख रुपये निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2008 तक 563.12 लाख रुपये व्यय किए जाकर 1538.03 लाख रुपये राजस्व अर्जित किया गया है।

थार मरुस्थल का दृश्य

कपूर सागर झील

प्रदेश के दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र : एक ओर जहां प्रदेश में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है तो दूसरी ओर माउण्ट आबू में अर्द्ध सदा बहार वनों का पारिस्थितिकी तंत्र । छाया सौजन्य : राजन माथुर

11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न वन वृत्तों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक वृत्त हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिससे सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर 18/– से 20/– रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2008 के संग्रहण काल हेतु 375/– रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2008 के लिए राज्य की कुल 183 इकाइयों का गठन किया गया जिनका निष्पादन निम्नानुसार किया गया है तथा इस प्रकार किये गये बेचान से निम्नानुसार आय प्राप्त होने का अनुमान है:

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	183	8.56 करोड़
	योग	**183**	**8.56 करोड़**

वर्ष 2008 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रुपये 375/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी जिसके लिए लगभग 1292.04 लाख रुपये श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही हैं:

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (लाखों रुपये में)		माह दिस. 08 तक कुल प्राप्तियां (लाखों रुपये में)
		2007–08	2008–09	
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1635.00	809.41	809.41
2.	अन्य विविध आय	17.17	6.11	6.11
	योग	**1652.17**	**815.52**	**815.52**

वर्ष 2009 के संग्रहण काल हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रुपये 425/– प्रति मानक बोरा की संग्रहण दर निर्धारित की गयी है। वर्ष 2009 के लिए 183 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर उनके अग्रिम बेचान हेतु निविदा/नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। अब तक कुल 163 इकाइयों का निविदा द्वारा बेचान किया गया है, जिससे राज्य सरकार को 11,24,54,515/– रुपये का राजस्व प्राप्त होगी। विक्रय से शेष 20 इकाइयों के विक्रय से राजस्व में और वृद्धि होगी।

पौधशाला में राखी बेल (*Passiflora sp.*)

12

सूचना प्रौद्योगिकी

विभागीय वेबसाइट (rajforest.nic.in) का विकास एवं संधारण :

वर्तमान में विभागीय वेबसाइट पर विभाग के कार्य–कलापों को जन–जन तक पहुंचाने हेतु अनेक उपयोगी सामग्री डाली गयी है और निरन्तर प्रयास कर इसे अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले अधिनियम व नियम, वन प्रबन्ध, वन संरक्षण एवं परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गयी है। राज्य के वन संसाधनों का नवीनतम विवरण भी दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक तौर पर नवीनतम विवरण दिया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक प्रस्तावों का विवरण अभिकरण/विभाग (Agency/Department) की शाखा अनुसार देखा जा सकता है। वर्ष 2008–09 के दौरान विभागीय वेबसाइट में तकनीकी सुधार का कार्य एवं अन्य आवश्यक परिवर्तन का कार्य किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वेबसाइट को अधिक सरल बनाने का कार्य, अधिक व्यवस्थित सूचनाएं उपयोगी 'लिंक' एवं उनका दृश्यांकन अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक बनाया गया है।

जियोग्राफिकल इनफोरमेशन सिस्टम (GIS) का विकास:

इसके अन्तर्गत स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर के सहयोग से वन एटलस बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक जयपुर, दौसा एवं अलवर जिले के वन खण्ड नक्शों का डिजिटाईजेशन पूर्ण कर शेष जिलों के लिए कार्यवाही जारी है। तदुपरान्त इन जिलों के वन एटलस बनाने की कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग :

सूचनाओं के आदान–प्रदान को तीव्र गति देने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया जाता रहा है। विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत ई–गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए ई–मेल द्वारा सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajasthan.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिए E-mail IDs जारी करवाये गये हैं। अब तक विभाग में उप वन संरक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारीगणों को E-mail IDs जारी किये जा चुके हैं। सूचनाओं के आदान–प्रदान करने में ई–मेल प्रणाली का उपयोग करने हेतु सभी अधिकारियों को प्रेरित किया जा रहा है एवं इसके उपयोग में वृद्धि हो रही है।

ई–मेल इन्टरनेट एवम् ब्राडबैंड के उपयोग हेतु अधिकारी अपने निवासीय टेलीफोन का उपयोग कर सकेंगे। इस हेतु राज्य सरकार ने अधिकारियों को एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। वन विभाग के अधिकारियों हेतु 1750/– से लेकर 3500/–

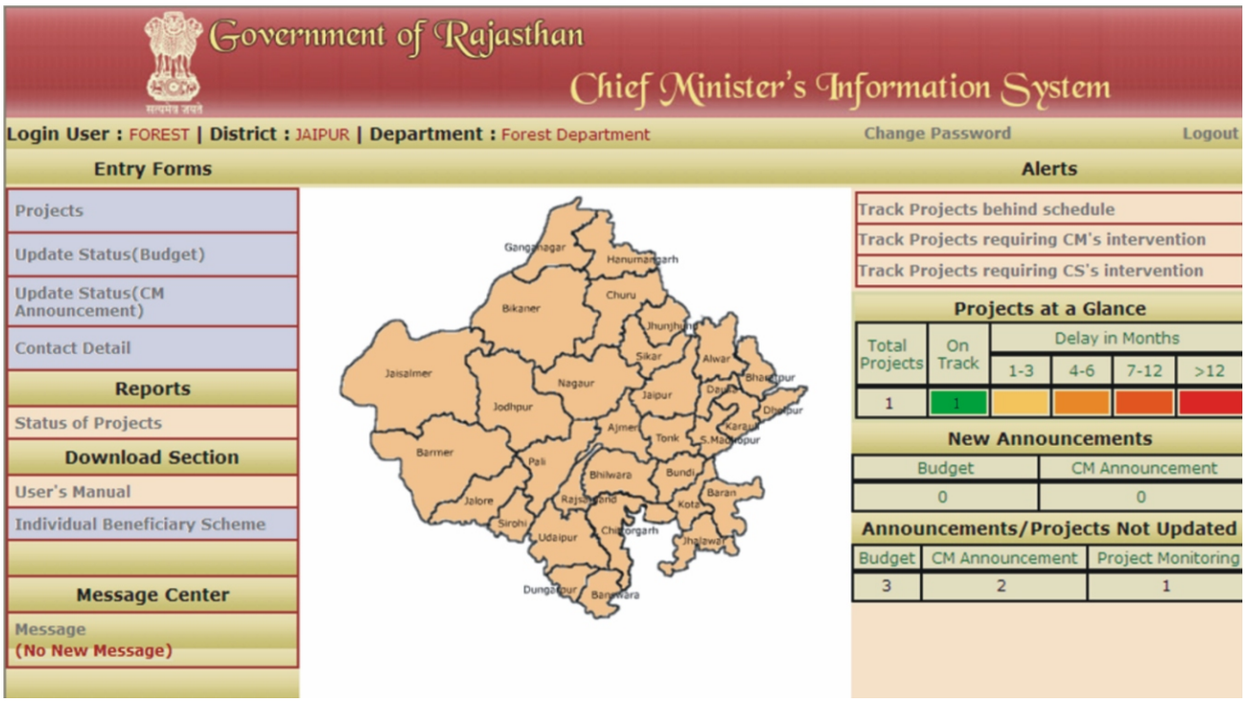

रुपये प्रतिमाह तक निर्धारित किया है।

राज्य कार्यों का त्वरित गति से निपटारा करने के लिए वन संरक्षक व उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों को चालू वर्ष में लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

वन प्रबन्धन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबन्धन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न Module विकसित किये जा रहे हैं। वन प्रबन्धन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप में संधारित किया जा सकेगा जिससे समय की बचत के साथ–साथ कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। वर्तमान में Joint Forest Management Information Monitoring System Module को State Data Center पर Upload कर प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे राज्य के विभिन्न वन मण्डलों में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के द्वारा की जा रही गतिविधियों व उनकी प्रगति की सूचना सीधे कम्प्यूटर के माध्यम से अंकित करना सम्भव हो सकेगा व विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग अनेक स्तर पर सम्भव होगी। साथ ही भविष्य में इसे और विकसित करने की कार्यवाही की जावेगी। Joint Forest Management Information Monitoring System से साझा वन प्रबन्ध का प्रबन्धन कार्य आसान हो जावेगा एवं प्रभावी सूचना प्रस्तुतीकरण से कार्यों में गुणोत्तर वृद्धि होगी।

इसके साथ ही Forest Conservation Act Cases Monitoring Module को भी तैयार कर State Data Center पर Upload किया गया है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में प्राप्त प्रस्तावों की प्रगति की स्थिति का बेहतर प्रबोधन हो सकेगा। इस वर्ष इसमें नवीन सुविधाएं जोड़ कर अधिक उपयोगी बनाये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य में वन भू–अभिलेखों के रिकार्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से एक Module विकसित किया जा रहा है जो कि राज्य के लिए राजस्व विभाग एवं NIC जयपुर द्वारा तैयार Online Application "apnakhata.nic.in" के समरूप होगा। इसमें आम व्यक्ति किसी भी जिले के वन भू–अभिलेख की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। अभी इसी वर्ष यह कार्य उदयपुर जिले के लिये किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर इसे शीघ्र ही Upload कर दिया जावेगा।

चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (CMIS) :

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए ऑन लाइन सूचनाएं मांगी जाती हैं। इसमें बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना की सूचनाएं मुख्यमंत्री घोषणा, बजट घोषणा, परियोजना प्रबोधन प्रणाली को नियमित रूप से मासिक तौर पर 'अपडेट' किया जाता है।

Secretariat Local Area Network (SecLAN)

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों को 'सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क' से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत फिलहाल विभाग के मुख्यालय, वन भवन में 'कनेक्टिविटी' दी गई है। विभाग के जयपुर स्थित अन्य प्रमुख भवनों में से अरावली भवन को SecLAN जोड़ने हेतु निवेदन किया गया है। विभाग की अन्य विभागों से 'कनेक्टिविटी' होने से विभिन्न सूचनाओं में त्वरित आदान–प्रदान में सहयोग मिलेगा।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) :

राज्य सरकार के 'वीडियो कान्फ्रेंसिंग' कार्यक्रम के तहत हर महीने के तृतीय शुक्रवार का दिन वन विभाग के लिए रखा गया है। इसमें सचिवालय स्थित NIC के VC केन्द्र के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित विभाग के कार्यालय को 'कनेक्ट' कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिसमें समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहयोग मिलता है।

रेंज कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व वन प्रबन्धन के क्षेत्र में त्वरित सूचनाएँ वांछित होने के कारण वन रेंजों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता अनुभूत की जा रही है। अतः गत वर्ष 2007–08 में उदयपुर (मध्य) वन मण्डल की झाडोल, फलासिया, ओगणा, देवला, कोटड़ा व कूकावास रेंज में एक–एक कम्प्यूटर मय प्रिन्टर उपलब्ध कराए गए है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारियों को कम्प्यूटर उपयोग का प्रशिक्षण उदयपुर स्थित हरिश्चन्द्र लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान से दिलवाया गया। अन्य कार्यों के साथ वर्तमान में कम्प्यूटर की सर्वाधिक उपयोगिता वन मान्यता अधिकार अधिनियम में प्रमाणित हो रही है। इससे क्षेत्र की गणना त्रुटि रहित हो पाना संभव हुआ है।

13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति में अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ–साथ सभी स्तरों के कर्मचारियों के निरन्तर प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। टिकाऊ विकास की ओर हमारी यात्रा समस्या आधारित ज्ञान के उत्पादन व उपयोग पर निर्भर है। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान को नीति तथा कार्य से जोड़ने में मदद करना है। तद्नुसार राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण में दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले परिवर्तन किये गये हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर में तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी अनुशासनों से उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य प्रारम्भ किया है। इस संस्थान व इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस सहमति पत्र के अन्तर्गत वानिकी प्रशिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। कतिपय वन अधिकारियों व कार्मिकों को इस केन्द्र का एकेडमिक काउंसलर भी नियुक्त किया गया है। वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सदस्य यहां वन एवं पर्यावरण विषयक पाठ्यक्रमों का सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में माह दिसम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

- एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 105 सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 48 कार्मिकों को कम्प्यूटर संचालन, वृहद् दस्तावेजों का प्रबन्धन तथा इन्टरनेट पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया।
- एक एक्सचेंज विजिट का आयोजन कर टोंक वन मण्डल की ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों को भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

छाया सौजन्य : राजेश शर्मा

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर का ऑडिटोरियम

वन मण्डलों के कार्य दिखाए गए व प्रबन्ध समितियों के सदस्यों से चर्चा कराई गई।

- सुरक्षा समितियों के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों व अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कर 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 70 कार्यालय सहायकों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिकों को कार्यालय प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।
- 35 सहायक वन संरक्षकों व क्षेत्रीय वन अधिकारियों को विधि प्रवर्तन का प्रशिक्षण दिया गया।
- इस वर्ष भारतीय वन सेवा के सदस्यों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें एक वन्य जीव प्रबन्ध पर रहा।
- भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए दूसरा अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को एक प्रशिक्षण वन्य जीव अपराधों की जांच व निराकरण पर दिया गया।
- भारतीय वन सेवा के 60 अधिकारियों को पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अधीनस्थ वन कार्मिकों के लिए दो सप्ताह के विशेष कार्यक्रम में अधीनस्थ वन कर्मियों का प्रशिक्षित किया गया।
- इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के सौजन्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला ''ग्रिनिंग राजस्थान : चैलेंजेज एवं अपॉरचुनिटीज'' विषय पर आयोजित की गई है।
- प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परिसर स्थित छात्रावास को दो मंजिला बनाया गया तथा प्रत्येक कक्ष को वातानुकूलित किया गया।
- संस्थान के मुख्य ऑडिटोरियम का नवीनीकरण किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को आरामदायक कुर्सियां व प्रशिक्षण के लिए अन्य आवश्यक उपकरण स्थाई रूप से लगवाए गए हैं। एल.सी.डी. प्रोजेक्टर की स्क्रीन भी अपेक्षाकृत बड़े आकार की लगाई गई है।

राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

चालू वित्तीय वर्ष में इस केन्द्र में कुल 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित थे जिनमें से माह दिसम्बर, 2008 तक नौ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए हैं। केन्द्र द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

छाया सौजन्य : सुभाष शर्मा

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में नवनिर्मित कॉन्फ्रेन्स हॉल

- 15 अप्रैल, 2008 से 15 अक्टूबर, 2008 तक वनपाल नियमित प्रशिक्षण का 56वां सत्र आयोजित कर 28 वनपालों को प्रशिक्षित किया गया।
- कार्मिकों के दक्षता विकास हेतु पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से एक वनपाल पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, तीन वन रक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित फ्रन्ट लाइन स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक प्रशिक्षण

छाया सौजन्य : सुभाष शर्मा

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में क्लास रूम का नवीनीकरण

कार्यक्रम वाहन चालकों के लिए आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कुल 140 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

- साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के 25 सदस्यों की भ्रमण कार्यशाला (ट्रेवलिंग वर्कशॉप) के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।
- वाहन चालकों एवं वन रक्षकों के लिए दक्षता विकास के पांच कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष में आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं।

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

इस प्रशिक्षण केन्द्र में चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह दिसम्बर, 2008 तक निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- वन संरक्षक से लेकर अधीनस्थ व मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए ''वेब बेस्ड साझा वन प्रबन्ध'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 48 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
- वनपालों के लिए एक 21 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 27 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
- वनपाल, स. वनपाल एवं वन रक्षकों के लिए क्षमता विकास के 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 117 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित फ्रन्ट लाइन स्टाफ ट्रेनिंग में 39 अधीनस्थ कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।
- 17 वाहन चालकों को दक्षता विकास का प्रशिक्षण दिया गया।
- वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में वाहन चालक व अधीनस्थ कार्मिकों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और आयोजित किए जाएंगे।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों – सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र–छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस हेतु वन मण्डलों को पृथक् से बजट आवंटित किया जाता है।

विद्यालयी अध्यापिकों को सचिवालय पौधशाला में पर्यावरणीय प्रशिक्षण

14

सम्मान एवं पुरस्कार

वनों के संरक्षण, विकास, सुरक्षा, विस्तार एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं/विभागीय कर्मचारियों–अधिकारियों को वन विभाग, राजस्थान तथा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार पुरस्कार स्वरूप नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हैं।

वन विभाग, राजस्थान द्वारा प्रति वर्ष निम्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :

वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं वन्य जीव संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार (प्रति वर्ष नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र) :

- **वन विकास के उत्कृष्ट कार्य हेतु 'वृक्षवर्धक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण–पत्र)**

	राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
(1) वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी व्यक्ति/कृषक	1000/–	500/–
(2) वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठान	1000/–	500/–
(3) वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली शिक्षण संस्था	1000/–	500/–
(4) वृक्षारोपण का सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायत	1000/–	500/–
(5) शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का उत्कृष्ट कार्य करवाने वाली नगरपालिका/परिषद् (स्थानीय निकाय)	1000/–	500/–
(6) खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर पुनर्वास करने वाला व्यक्ति/संस्था	1000/–	500/–

- **वन जीवन, वन सुरक्षा एवं संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु 'वन प्रहरी' (नकद राशि एवं प्रमाण–पत्र)**

(1) सर्वोत्तम वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्य करने वाली संस्था ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति	1000/–500/–
(2) वृक्षों/वनों की सुरक्षा में सहयोग का उत्कृष्ट कार्य करने वाला निजी व्यक्ति/संस्था	

- **वानिकी प्रसार प्रचार हेतु 'वन विस्तारक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण–पत्र)**

(1) प्रचार प्रसार का सर्वोत्तम कार्य करने वाला निजी व्यक्ति

(2) प्रचार प्रसार का उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था

- **वनाधिकारियों तथा वनकर्मियों हेतु 'वनपालक' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण–पत्र)**

(1) सर्वोत्तम वन रक्षक

(2) सर्वोत्तम वनपाल

(3) सर्वोत्तम क्षेत्रीय (ग्रेड–I एवं II)

(4) सर्वोत्तम वनमण्डल शील्ड

- **'वानिकी लेखन एवं अनुसंधान' पुरस्कार**

वानिकी क्षेत्र में मौलिक, सृजनात्मक एवं अनुसंधान कार्य जैसे लेख, पुस्तक, अनुसंधान, पत्र लिखने वाले व्यक्ति को पुरस्कार 2000/––

- **'वानिकी पण्डित' पुरस्कार (नकद राशि एवं प्रमाण–पत्र)**

वन सुरक्षा, संवर्धन, प्रचार–प्रसार का समग्र रूप से पूरे राज्य में सर्वोत्तम कार्य करने वाला व्यक्ति/निजी संस्था/विभाग (वन विभाग के अतिरिक्त) 5000/– –

वर्ष 2006 व 2007 के पुरस्कार इस वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार प्रदान किये गये :

- **अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार–2007**

वर्ष 2007 के लिए राज्य स्तरीय अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, सोबनिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा को प्रदान किया गया। जिसमें पुरस्कार राशि रु. 50,000/– एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

बांसवाड़ा जिले की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति तत्कालीन, सोबनिया को अमृतादेवी विश्नोई राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करते हुए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रतापसिंह सिंघवी

• राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार–2006

वर्ष 2006 के वानिकी पुरस्कार निम्न को प्रदान किये गये।

वन प्रहरी पुरस्कार : श्री लक्ष्मीनाराय पुत्र श्री चिमनाराम विश्नोई (भादू), ग्राम पोस्ट रोटू, तहसील जायल, जिला नागौर को प्रदान किया गया।

सर्वोत्तम वनरक्षक : श्री भंवराराम, वन रक्षक रेंज रावली, वन मण्डल राजसमन्द को प्रदान किया गया।

सर्वोत्तम वनपाल : श्री प्रभुलाल पालीवाल, सहायक वनपाल, रेंज गोगुन्दा, वन मण्डल, उदयपुर (उत्तर), श्री छत्रसिंह चौहान, सहायक वनपाल, नाका पीपलखूंट, रेंज पीपलखूंट, वन मण्डल, बांसवाड़ा तथा श्री नखताराम वनपाल, वन मण्डल, जैसलमेर को प्रदान किया गया।

सर्वोत्तम क्षेत्रीय : श्री प्रकाशचन्द कुमावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज ऑतरी, वनमण्डल, डूंगरपुर को प्रदान किया गया।

जिसमें पुरस्कार राशि रु. 1,000/– एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

❑ पद्म श्री कैलाश सांखला पुरस्कार :

वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा में असाधारण कार्य जैसे वन्य जीवों की शिकारियों से रक्षा करना, घायल जीवों को समय पर राहत पहुंचाकर उनका जीवन बचाना, वन्य जीव क्षेत्रों में घटित वन अपराध, अग्नि आदि की रोकथाम में किये गये उत्कृष्ट प्रयत्न एवं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले वनकर्मियों एवं नागरिकों को दिया जाता है।

इस पुरस्कार के अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर 50,000/– रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसमें रुपये 25,000/– राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं एवं रु. 25,000/– की राशि का योगदान टाईगर ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है।

❑ इतर विभागीय सम्मान

वन विभाग के अधिकारी/कार्मिक अनेक ऐसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो राष्ट्रीय अथवा राज्य महत्व के होते हैं। ऐसी उपलब्धियों के लिए वन विभाग से इतर संस्थाएं/संगठन भी उनका सम्मान करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग के निम्न अधिकारी/कर्मचारी अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित किए गए:

- डॉ. सतीश कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सज्जनगढ़, उदयपुर को उनके द्वारा लिखित पुस्तक ''वन्य प्राणी प्रबन्ध'' के लिए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2006 का मेदिनी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें इस वर्ष 'ओजोन दिवस' पर नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा ने प्रदान किया। पुरस्कार स्वरूप डॉ. सतीश को 20000/– रुपये नकद व प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री नमोनारायण मीणा डॉ. सतीश कुमार शर्मा को मेदिनी पुरस्कार प्रदान करते हुए

- डॉ. राकेश कुमार शर्मा, वनपाल, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को राज्य सरकार के भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2008 को वर्ष 2008 का ''हिन्दी सेवा पुरस्कार'' प्रदान किया। यह पुरस्कार तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप डॉ. राकेश को 21,000 रुपये नकद, एक शॉल, श्रीफल व प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

❑❑❑

15

संचार एवं प्रसार

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2008 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं:

- दूरदर्शन पर 122 टाइम चैक स्पोट, 195 स्पीकिंग स्पोट एवं चौपाल कार्यक्रम में वानिकी एवं विशेषज्ञों की आठ वार्ताएं प्रायोजित की गई हैं।
- आकाशवाणी के एफ.एम. रेडियो पर प्रति दिन प्रात: 8.30 बजे, 9 बजे एवं 9.30 बजे प्राइम टाइम पर 10–10 सैकिण्ड के तीन विज्ञापन वनों, वन्य जीवों एवं पर्यावरण सम्बन्धित प्रसारित किये जा रहे हैं तथा इन्हीं विज्ञापनों का सायं काल 5.30 बजे, 6.00 बजे एवं 6.30 बजे पुन: प्रसारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के जयपुर, अजमेर केन्द्र के मीडियम वेव पर प्रत्येक बुधवार को सायंकाल 7.15 बजे से 7.45 बजे के मध्य वानिकी चौपाल कार्यक्रम के अन्तर्गत 'धरा की पुकार' कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है जिसमें वानिकी विकास सम्बन्धित विषयों पर विभाग के अधिकारियों की वार्ता प्रसारित करवाई जा रही है।
- सामान्य प्रचार के अन्तर्गत इस वर्ष दिसम्बर, 2008 तक 4 वन महोत्सव, एक कठपुतली कार्यक्रम, 3 पद यात्रा एवं 5 वानिकी प्रदर्शनी लगाई गई है।
- प्रशिक्षण के अन्तर्गत 45 वन सुरक्षा समिति कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 40 विभिन्न

छाया सौजन्य : के. आर. काला

नागौर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस 2009 पर निकाली गयी वन विभाग की झाँकी।
इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। माननीय कृषि मंत्री हरजीराम बुरड़क, नागौर उप वन संरक्षक के. आर. काला को शील्ड प्रदान करते हुए।

विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को वन महोत्सव आयोजित कर पौध रोपण का प्रशिक्षण एवं वन एवम् वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन की जानकारी दी गई है।

छाया सौजन्य : डी. के. जोशी

विद्यार्थीगण उच्च तकनीक पौधशाला का अवलोकन करते हुए

- अधीनस्थ वन कार्मिकों के कौशल संवर्धन के लिए प्रचलित विभागीय निर्देशों–आदेशों व परिपत्रों को संकलित कर पुस्तक के रूप में तैयार किया गया। यह प्रकाशन ''विभागीय कार्य निर्देशिका'' के रूप में मुद्रित हो रहा है जिसे माह मार्च, 2009 तक प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचा दिया जाएगा।

- गत वर्ष विभाग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना तक के वन प्रबन्ध के इतिहास ग्रन्थ 'विरासत' की उपलब्धियों से प्रभावित एक अराजकीय संस्था, ग्राम विकास नवयुवक मण्डल, लापोडिया ने एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कर विभाग के सभी अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्षों, सभी पद सोपानों में एक–एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी तथा पुस्तक के लेखक, सहायक सम्पादक व तकनीकी परामर्शदाता को साफा पहनाकर व अभिनंदन पत्र प्रदान कर अभिनंदित किया गया।

- इस वर्ष 26 जनवरी विभिन्न जिला मुख्यालयों व अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में विभाग की झांकियां प्रदर्शित की गईं। नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में तथा लक्ष्मणगढ़, अलवर में विभागीय झांकियों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

- विभिन्न वन मण्डलों द्वारा स्थानीय स्तर, विद्यालयी छात्र–छात्राओं, अध्यापकों व ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विरासत के सहायक सम्पादक का अभिनन्दन करते GVNML के मंत्री लक्ष्मण सिंह

छाया सौजन्य : डी. के. जोशी

सचिवालय पौधशाला में कठपूतली प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों में वन चेतना जाग्रत करना

- पर्यावरण सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में 22 कार्यशाला/सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इस हेतु परियोजना में 30.00 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।

16

सामाजिक आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :

घटक	योगदान (लाख रुपयों में)
ईंधन	22100.00
चारा	126750.00
इमारती लकड़ी	16800.00
लघु वन उपज	5200.00
योग	**170850.00**

❖ लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रावधान भी हो सके।

छाया : ओ. पी. चौधरी

वृक्षारोपण से ग्रामीणों द्वारा घास परिवहन (चित्तौड़गढ़)

चित्तौड़गढ़ जिले के जावदा क्षेत्र में दूधीतलाई, सांगवा, चितोड़िया, गजपुरा व परलई गांवों में चार दीवारी बनाकर ग्यारह पैडोक में सही प्रबन्धन व जनभागीदारी से सुरक्षा होने के कारण इस वर्ष 10,000 क्विं. घास खड़ी हुई है। समाचार पत्रों का आकलन है कि क्षेत्र के मवेशियों के लिए जितना घास चाहिए उसके मुकाबले दस गुना से अधिक घास उपलब्ध है। यह घास वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की अच्छी आय का जरिया बन सकती है। समितियों को इससे सालाना करीब एक–एक लाख रुपये मिल सकते हैं। आग के खतरे को ध्यान में रखते हुए समितियां घास का निस्तारण जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रही हैं।

गत वर्ष समितियों के माध्यम से 5 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक की निम्न उपज नि:शुल्क वितरित की गई :–

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से विदोहन कराये गये बांसों की सूचना

क्र.सं.	वन सुरक्षा समिति का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र के वन खण्ड का नाम	विदोहन का वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस की संख्या	बांस विक्रय से प्राप्त मूल्य	विदोहन पर व्यय	शुद्ध लाभ का नाम	हिस्सा राशि		वृक्षारोपण का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	योजना का नाम जिसमें वृक्षारोपण किया गया
								विभाग	समिति			
1.	धार	चितरीमाता	2004-05	32431	351558	95000	256558	128279	128279	धार I	1997	जनित कोष बांस सुधार
			योग	32431	351558	95000	256558	128279	128279			
1.	धार	चितरीमाता	2005-06	15743	455022	98511	356511	178256	178255	धार II	1998	जनित कोष बांस सुधार
2.	दाणीतलाई	उमरकोटा एवं चितरीमाता	2005-06	15740	98238	38257	59981	29991	29990	दाणीतलाई I	1990	MFP
			योग	31483	553260	136768	416492	208247	208245			
1.	धार	चितरीमाता	2006-07	11755	202677	69184	133493	66747	66746	धार III	1999	जनित कोष बांस सुधार
2.	दाणीतलाई	उमरकोटा एवं चितरीमाता	2006-07	14770	96882	36040	60842	30421	30421	दाणीतलाई II	1991	MFP
3.	दासगुड़ा	दासगुड़ा	2006-07	7370	47227	13482	33745	16873	16872	दासगुड़ा	1999	LAEP
4.	साडनी	जानागढ़	2006-07	65049	536647	149173	387474	193737	193737	साडनी I	1997	जनित कोष बांस सुधार
			योग	98944	883433	267879	615554	307778	307776			
1.	दतियार	जानागढ़	2007-08	9040	74047	48274	25773	12887	12886	दतियार	2004-05	RFBP PEO

क्र.सं.	वन सुरक्षा समिति का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र के वन खण्ड का नाम	विदोहन का वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस की संख्या	बांस विक्रय से प्राप्त मूल्य	विदोहन पर व्यय	शुद्ध लाभ का नाम	हिस्सा राशि		वृक्षारोपण का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	योजना का नाम जिसमें वृक्षारोपण किया गया
								विभाग	समिति			
2.	साडनी	जानागढ़	2007-08	33935	722015	245182	476833	238417	238416	साडनी II	1998	जनित कोष बांस सुधार
3.	आरामपुरा	आरामपुरा	2007-08	27238	231764	116346	115418	57709	57709	आरामपुरा ए एवं बी	2003-04	REBP PEO
4.	बलिचा	बलिचा	2007-08	13483	168529	74437	94092	47046	47046	बलिचा	1995, 1999	अ.पृ.प.
5.	चितरीमाता	अमरकोटा एवं चितरीमाता	2007-08	19975	125024	93073	31951	15976	15975	चितरीमाता I	1993	ECO Restotation
6.	धार	धार	2007-08	21781	368801	131596	237205	118603	118602	धार IV	2000	IAEP
			योग	125452	1690180	708908	981272	490638	490634			

वृत्त कार्यालय : पश्चिमी वृत्त उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से विदोहन कराये गये बांसों की सूचना

क्र.सं.	वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र के वनखण्ड का नाम	विदोहन वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस संख्या	बांस विक्रय से प्राप्त मूल्य रु. में	विदोहन पर व्यय रु. में	शुद्ध लाभ रुपये में	समिति को प्राप्त भाग रु. में	वृक्षारोपण का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	वृक्षारोपण किस योजना में कराया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पलनमा	जरन	2004–05	14585	154221	18288	135933	67966	जरण गुर्जरों का गुड़ा	1993 1994 1998	50 है. आर्थिक वृक्षा. 50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. अरावली वृक्षा.
2.	लखावली	खन्नाल	2005–06	12420	170802	39020	131782	65891	जरमा–ए खरमाल–ए खरमाल–बी	1994 1993 1994	50 है. अरावली वृक्षा. 10 है. ईएएस 100 है.ई.ए.एस.
3.	रामा	रामा	2005–06	3312	44110	8724	35386	17693	रामा–सी रामा–बी झीण्डाली–ए झीण्डाली–बी	1995 1996 1996 1996	50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. ई.ए.एस. 50 है. ई.ए.एस.
4.	गणावल	जग्गा	2005–06	5355	93724	15956	77768	38884	जग्गा जग्गा कला की कुई	1995 1995 1997	50 है. एम.एफ.पी. 45 है. ई.ए.एस. 50 है. अरावली वृक्षा.
5.	रोहिड़ा	माण्डा	2006–07	11308	234724	42420	192304	96152	माण्डा रोहिड़ा गायफल थानावली मंडी	1995 1996 1997 2006	50 है. ई.ए.एस. 50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. आर.एफ.बी.पी.
6.	भानपुरा	नटों का चौरा	2006–07	12788	246076	46593	199483	99741	नटों का चौरा नटों का चौरा नटों का चौरा	1995 1996 1999	50 है. ईंधन वृक्षा. 50 है. अरावली वृक्षा. 50 है. एम.एफ.पी.

क्र.सं.	वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र के वनखण्ड का नाम	विदोहन वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस संख्या	बांस विक्रय से प्राप्त मूल्य रु. में	विदोहन पर व्यय रु. में	शुद्ध लाभ रुपये में	समिति को प्राप्त भाग रु. में	वृक्षारोपण का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	वृक्षारोपण किस योजना में कराया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	बीकोड़ा	अमलों का चौरा थाना का मथारा	2006–07	26001	441103	89055	351948	175974	अमलों का चौरा थाना का मथारा	1994 1995	50 है. आदिवासी रोजगार योजना 50 है. आदिवासी रोजगार योजना
8.	धार	उबेश्वरजी	2006–07	9620	125895	47261	78634	39317	वनवाटिका उबेश्वरजी उबेश्वर जीए व बी	1984 1985	70 है. टी.पी.पी. 100 है. आरएलईईपी
9.	रावों का नायरा	उमारा का मथारा	2007–08	5160	51137	17816	34121	17061	उमारा का मथारा उमारा का मथारा	1997 2006	50 है. अरावली वृक्षारोपण 40 है. आर.एफ.बी.सी.
10.	उमरोद	उमारा का नथार बीड़	2007–08	3400	39160	11307			बांसमाथ	1998	50 है. वानिकी विकास परियोजना
11.	सामल	सातरमाल टमड़ा	2007–08	5000	20672	15634			सातरनाल टामड़ा सातरनाल टामड़ा सातरनाल टामड़ा	1993 1994 2004	50 है. अरावली वृक्षारोपण 35 है. अरावली वृक्षारोपण 50 है. आर.एफ.डी.पी.
12.	पदराड़ा	लेटों का मथारा	2007–08	5850	24846	15814	9032	4516	लेटों का मथारा लेटों का मथारा	1997 1998	50 है. वानिकी विकास परियोजना 50 है. वानिकी विकास परियोजना

कार्यालय उप वन संरक्षक उदयपुर - मध्य

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से विदोहन कराये गये बांसों की सूचना

क्र.सं.	समिति का नाम	वन खण्ड	विदोहन वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस	बांस विक्रय से प्राप्त राशि	विदोहन पर व्यय	शुद्ध लाभ	समिति को प्राप्त लाभ	वृक्षारोपण का नाम	वृक्षारोपण वर्ष	योजना जिसमें वृक्षारोपण कराया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मदनाड़ी	खोखरिया की नाल	2005–06	28656	241498	70902	170596	85298	खोखरिया की नाल 9.50 है.	1997	एएपी
2.	आमलेटा	आदिवान	2005–06	4285	65270	17314	50953	25476	आदिवासी आमलेटा 50 है. आदिवासी आमलेटा 50 है.	1995 1996	एएपी एएपी
3.	मालकिया मेरपुर	मेरपुर	2006–07	5165	20786	11309	9477	4738	तोरना–I 1 100 है. तोरना–I 2 100 है. तोरना–I 3 50 है. तोरना–I 4 100 है.	1987 1990 1996 1994	एनएसएफपी एनएसएफपी एएपी एएपी
4.	खोखरिया की नाल	खोखरिया की नाल	2006–07	7135	45315	11454	33861	16930	खोखरिया की नाल 8.50 है. खोखरिया की नाल 9.50 है. खोखरिया की नाल 10डी 50 है. खोखरिया की नाल 10 ई. 50 है.	1996 1998 1998 1998	एएपी एएपी एएपी एएपी

कार्यालय मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा

वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से विदोहन कराये गये बांसों की सूचना

क्र.सं.	वन सुरक्षा प्रबन्ध समिति का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र के वनखण्ड का नाम	विदोहन वर्ष	कुल विदोहित मानक बांस संख्या	बांस विक्रय से प्राप्त मूल्य रु. में	विदोहन पर व्यय रु. में	शुद्ध लाभ रु. में	समिति को प्राप्त भाग रु. में	प्लांटेशन का नाम	वृक्षारोपण वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	डूंगरीपाड़ा	भागतोल	2005-06	20574	224523	58607	165916	82958	भागतोल-25 है.	1987
2.	कुवानिया	जगमेर जोगीनाल	2005-06	23333	246444	75452	170992	85496	जगमेर जोगीमाल-50	1992
3.	अमरथून	जगमेर जोगीमाल	2006-07	19885	289081	79265	209816	104908	जगमेर जोगीमाल-29 100	1990
4.	झातला	झातला	2006-07	6061	36648	9035	27513	13756	झातला	1989
5.	गराड़खारा	गराड़खारा	2006-07	48582	50058	159087	340971	170486	गराड़खोरा	
6.	डागल	उमरझाला पठारा	2006-07	6883	247334	59722	187612	93806	उमरझाला पठारा-50	1995
			योग	**125318**	**1643988**	**441168**	**1102820**	**551409**		

बांस विदोहन का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर जारी है। चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिमी वृत्त कार्यालय उदयपुर द्वारा निम्न स्थानों पर बांस विदोहन की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है।

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	नाम रेंज	वन सुरक्षा समिति का नाम
1.	बांसवाड़ा	घाटोल	समुवाल
2.	बांसवाड़ा	घाटोल	पठारा
3.	बांसवाड़ा	घाटोल	लखेरिया
4.	बांसवाड़ा	घाटोल	बड़ला
5.	बांसवाड़ा	घाटोल	मूंगर
6.	बांसवाड़ा	घाटोल	कोटेलापाड़ा
7.	बांसवाड़ा	घाटोल	मोसियापाड़ा
8.	बांसवाड़ा	डूंगरा	भीमपुरा
9.	बांसवाड़ा	पीपलखूंट	जैथलिया
10.	बांसवाड़ा	बागीदौरा	चिकलीपूना
11.	उदयपुर (मध्य)	ओगणा	गेजवी
12.	उदयपुर (मध्य)	फलसिया	करैल
13.	उदयपुर (मध्य)	देवला	पावटीकलां

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी फार्म उदयपुर स्थित नेट हाउस, यहां सिंचाई हेतु मिस्ट (Mist) व्यवस्था प्रयोग में ली जाती है।

तम से ज्योति की ओर

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति नरूखेड़ा की शिक्षा हेतु अनूठी पहल

प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट पंचायत समिति की महिलाएं शिक्षा से पिछड़ी हुई आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, बेरोजगारी से अभिशापित है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन आज भी है। शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु वन सुरक्षा समिति नरूखेड़ा ने 6 से 14 वर्ष की शिक्षा से वंचित बालिकाएं जो अन्य किसी शैक्षिक कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाई है उनको शिक्षित कर उच्च अध्ययन हेतु तैयार करने का बीड़ा उठाया है। इस अभिनव कार्य हेतु समिति के सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि समिति के सदस्य इस हेतु सर्वे कर शिक्षा से वंचित बालिकाओं की सूची बनायेंगे। समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे उपरान्त सूची बनाकर 20 बालिकाएं शिक्षा से वंचित पाई गई। समिति के द्वारा शिक्षण स्थल हेतु गांव के मध्य में श्री सुन्दरलाल पिता धारिया के मकान का चयन किया गया। बालिकाओं के अध्ययन हेतु स्थानीय अध्यापक के चान हेतु गांव के ही पढ़े लिखे श्री लालसिंह पिता भूरा, अमरा जो कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है को अध्यापक नियुक्त किया और उसे मानदेय के रूप में 1000 रुपया प्रतिमाह देने का निर्णय किया गया। लालसिंह ने खेती एवं शिक्षा के साथ साथ शिक्षण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की। शिक्षण सामग्री हेतु स्वयं सेवी संस्था व्यक्ति विकास केन्द्र, बांसवाड़ा ने सहमति प्रदान की। इस प्रकार मिलेजुले प्रयासों से समिति की यह कोशिश है कि शिक्षा से वंचित बालिकाओं को दो वर्ष की अवधि में एक से पांचवी कक्षा तक अध्यापन कर उच्च शिक्षा से जोड़ा जाये। वन विभाग इस कार्यक्रम में उत्प्रेरक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। स्वैच्छिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर आवश्यक संसाधनों को जुटाने के प्रयास जारी है। बालिका शिक्षा हेतु समिति द्वारा उठाया कदम निःसंदेह अन्य संगठनों समितियों के लिए प्रेरणादायक है।

आलेख एवं छाया सौजन्य : के. पी. गुप्ता, मण्डल वन अधिकारी, बांसवाड़ा

पंचायत भूमि पर परिपक्व वृक्षारोपण का विदोहन

वृक्षारोपण दौलतपुरा

वन मण्डल दौसा की रेंज लालसोट में ग्राम पंचायत दौलतपुरा की चारागाह भूमि पर वर्ष 1983–84 में आर. एल. ई. जी. पी. योजना के मॉडल VII के अन्तर्गत 30 हैक्टर भूमि पर वृक्षारोपण कर 33,000 पौधे रोपित किए गए थे। उक्त वृक्षारोपण पर तत्समय राशि रु. 99,532/– का व्यय किया गया था। वृक्षारोपण परिपक्व हो जाने पर इसके विदोहन हेतु ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार अकेशिया टोर्टलिस के 1461 पेड़ों का विदोहन किया जाकर राशि 4,98,964.87 की आय अनुमानित की गई थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा द्वारा स्वीकृत विदोहन योजना के अनुसार नीलामी कमेटी का अनुमोदन किया गया। नीलामी कमेटी द्वारा दिनांक 6–3–09 को नीलामी की गई जिसमें उच्चतम बोली रुपये 5,71,000/– प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त वृक्षारोपण से समय–समय पर घास, छॉगन आदि से मध्यवर्ती आय प्राप्त होने के साथ ही अंतिम विदोहन के रूप में रु. 5,71,000.00 की आय प्राप्त हुई है, जिसका विभाजन वन विभाग एवं ग्राम पंचायत दौलतपुरा के मध्य आधा–आधा किया जावेगा। उक्त क्षेत्र में नरेगा योजना के अन्तर्गत पुर्नरोपण प्रस्तावित किया गया है।

वृक्षारोपण भूरी भड़ाज

वन मण्डल जयपुर (उत्तर) की कोटपूतली रेंज की ग्राम पंचायत भूरी भड़ाज के वृक्षारोपण भूरी भड़ाज वर्ष 1984 को परिपक्व होने पर विदोहन किए जाने हेतु 20 मार्च, 2009 को नीलाम किया गया। इस नीलामी में अधिकतम बोली एक करोड़ साढ़े सात लाख पर छूटी। पंचायत व वन विभाग के मध्य में हुए इकरारनामे के अनुसार यह आय दोनों में 50:50 के अनुपात में बटेगी। इस प्रकार ग्राम पंचायत व विभाग दोनों के 53.75 लाख रु. प्राप्त होंगे। पंचायत भूमि पर किया गया यह वृक्षारोपण वर्ष 2003 में ग्राम पंचायत को सौंपा गया था जिसके बाद वृक्षारोपण का प्रबन्धन व सुरक्षा ग्राम पंचायत ही कर रही थी। विदोहनकर्ता वृक्षारोपण में बेर व खेजड़ी के वृक्षों का कटान नहीं कर सकेगा।

क्र.सं.	वन उपज	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रु.)
1.	घास	802234.03	4,83,00,018.00
2.	लघु वन उपज	182357.10	10,60,239.00
3.	अन्य उपज	31463.00	12,55,851.00
	योग	**1016054.13**	**5,22,85,783.00**

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जातियां एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है।

राज्य में अब तक ऐसे 1488 समूहों का गठन किया गया है। इसमें से 607 समूह केवल महिलाओं के तथा शेष समूह पुरुषों के हैं। ये समूह मसाला निर्माण, जैविक गुलाल बनाने, अनाज बैंक, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन, गुड़िया व दरी निर्माण, बांस का विभिन्न सामान बनाने तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं के विक्रय केन्द्र का संचालन, अगरबत्ती तथा मिठाई के लिए पैकिंग के डिब्बे आदि बनाने, फूलों की खेती व अन्य अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। इनमें से अनेक समूहों का बैंक लिंकेज भी हो चुका है।

अकेली राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में कुल 1281 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। ये समूह डेयरी, सिलाई उद्योग, दरी निर्माण, मुर्गीपालन एवं लघु बैंकिंग कार्य से जुड़े हैं। वर्ष 2007–08 तक इन समूहों में 21.68 लाख रुपये की राशि समूह सदस्यों की है तथा इन्हें 68.31 लाख रुपये ऋण दिया गया है। कुछ समूहों ने ऋण की अदायगी वापिस शुरू कर दी थी।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षण देने तथा उनकी आय सृजक गतिविधियां आरम्भ करने हेतु सीडमनी उपलब्ध कराने के लिए आय सृजक गतिविधियों पर 55.80 लाख रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है।

वैकल्पिक रोजगार

प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल बनाना : एक अनुकरणीय उदाहरण

भारत वर्ष में होली रंगों के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग एवं गुलाल लगाकर खुशी प्रकट करते हैं। सामान्यतया ये रंग एवं गुलाल विभिन्न प्रकार के रसायनों से तैयार किये जाते हैं जो कभी–कभी मानव के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बन जाते है। अनेक बार इनसे आँखों की जलन, चर्म रोग व अस्थमा भी हो जाता है। इसका एक प्रमुख कारण उस परम्परा को विस्मृत कर देना है जब स्थानीय स्तर पर लोग पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेला करते थे।

वन विभाग द्वारा वनों पर आश्रित परिवारों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनेक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर इन्हे वैकल्पिक रोजगार करने हेतु प्रेरित किया जाता है तथा यथासंभव राजकीय सहायता, अनुदान, आवश्यक प्रशिक्षण एवं तैयार माल के विपणन की व्यवस्था की जाती है। होली पर रंगों के कुप्रभावों को देखते हुए विभाग का ध्यान प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वनस्पति के फूलों, पत्तियों से वानस्पतिक गुलाल बनाने पर गया। प्रारम्भिक अभ्यास में यह ज्ञात हुआ कि एक किलोग्राम गुलाल बनाने हेतु 5 से 6 किलोग्राम फूल/पत्ती/छाल तथा लगभग एक किलो स्टार्च पावडर काम में आता है। विभाग के प्रयासों से उदयपुर क्षेत्र की ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति चौकड़िया ने इस रंग बनाने के कार्य को लघु उद्योग के रूप में आरम्भ किया।

आदिवासी बाहुल्य उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील का गांव चौकड़िया, उदयपुर–झाड़ोल

गुलाल निर्माण

मुख्य मार्ग पर मुख्यालय से 16 कि.मी. दूर पर स्थित है। यहां के लोगों का मुख्य पेशा मजदूरी है। स्थानीय लोगों के लिये वनों पर निर्भरता कम करने एवं रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु स्वयं सहायता समूह चौकड़िया का गठन किया गया। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति, चौकड़िया के क्षेत्राधिकार में पलाश, आवंल आदि के पौधे बहुतायत में पाये जाते हैं। पलाश के फूलों से रंग बनाने की पुरानी परम्परा को ध्यान में रखते हुए इसके फूलों से हर्बल गुलाल बनाने पर विचार किया गया एवं स्वयं सहायता समूह चौकड़िया के सदस्यों को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के बाद होली वर्ष 2008 के लिए समूह द्वारा 60 किलो हर्बल गुलाल बनाई गई, जिसे विक्रय करने पर समूह को लागत 2340/– के विरुद्ध 735/– रु. का लाभ प्राप्त हुआ, जो लागत का लगभग 31 प्रतिशत है।

जापानी दल द्वारा अवलोकन

इससे उत्साहित होकर इस वर्ष एस. जी. एस. वाई. योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को आधारभूत संरचना विकास हेतु जिला परिषद्, उदयपुर से 62000/– रु. स्वीकृत कराये गये। उक्त राशि से हर्बल गुलाल बनाने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे– बर्तन, ग्राइन्डर, पैकिंग मशीन, कच्चा माल आदि क्रय करवाये गये। इस होली पर 6 क्वि. हर्बल गुलाल के उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें से अधिकांश गुलाल बन चुकी है। इस समूह द्वारा इस बार 6 प्रकार की गुलाल बनाई गई है।

1. रंग–ए–पलाश,
2. रंग–ए–गुलाब
3. रंग–ए–गुलमोहर
4. रंग–ए–अमलतास
5. रंग–ए–छाल
6. रंग–ए–हरियाली

हाल ही में आयोजित ग्राम मेले बेदला आदि स्थलों पर 60 कि. ग्रा. गुलाल का विक्रय हो चुका है। शेष के विक्रय हेतु एक मार्च से 10 मार्च तक निम्न स्थलों पर विक्रय केन्द्र स्थापित किये गये। अब तक तैयार 6 क्विंटल गुलाल विक्रय की जा चुकी है।

गुलाल विक्रय केन्द्र

1. फतह सागर पाल
2. गुलाब बाग
3. वन भवन परिसर, चेटक सर्कल
4. नर्सरी चौकड़िया, उदयपुर–झाड़ोल रोड

भविष्य में ऐसी दो यूनिट बड़ी उन्दरी व केवड़ा में ओर स्थापित करने के प्रस्ताव जिला परिषद्, उदयपुर को भेजे जा चुके हैं, जिससे इस परियोजना से अन्य वन सुरक्षा समितियों को भी लाभान्वित किया जा सकेगा।

आलेख एवं छायाचित्र सौजन्य
फिरोज हुसैन, वनपाल

आधारभूत संरचना का विकास

परियोजना अन्तर्गत ग्राम विकास के लिए प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत अनेक गतिविधियां की जाती हैं, इनमें सामुदायिक भवन का निर्माण, यात्री विश्राम गृह, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, चबूतरा, पशु चिकित्सा शिविर, सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है। इन कार्यों में अपने अंशदान के रूप में ग्रामवासी भी नकद राशि प्रदान करते हैं। गत वर्ष यह राशि 9117787 रुपये थी। चालू वित्तीय वर्ष में आधारभूत संरचना के विकास कार्यों के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 17.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्थानीय लोगों को रोजगार

वानिकी विकास, विदोहन व वन उत्पाद संग्रह सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वन क्षेत्रों के आसपास अंदरूनी क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के श्रम साध्य लोगों को प्रतिवर्ष स्थानीय स्तर पर जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध होता है, जिससे इन लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से छुटकारा मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में (दिसम्बर, 2008 तक) 131.42 लाख मानव श्रम दिवसों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। गत वर्ष श्रम दिवसों की संख्या 131.06 लाख थी। इस वर्ष सृजित 131.42 लाख मानव दिवसों में से अनुसूचित जाति हेतु 2831292 मानव दिवस, अनुसूचित जनजाति हेतु 4961026 मानव दिवस तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 5349660 मानव दिवस सृजित हुए। कुल सृजित मानव दिवसों में से 5867688 कार्य दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गए। उल्लेखनीय है कि विभाग इन लोगों को वर्ष में ऐसे समय में रोजगार उपलब्ध कराता है, जब इन लोगों के लिए अन्य कोई काम नहीं होता। इससे मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) से निजात मिलती है।

वनों का परोक्ष योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का सर्वाधिक परोक्ष योगदान है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार आकार का एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

अनुसार आकार का एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों रुपये मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय–समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है। राज्य में वर्तमान में 207 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य में 4916 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 779322.1 हैक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 116076 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र तथा 43892 हैक्टेयर वन खण्डों का क्षेत्र है।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 4243 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुल समितियों में 540985 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 183103 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 67685 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 254035 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। कुल समितियों में से 3669 समितियों में महिलाओं की उप समितियों का गठन का कार्य पूर्ण हो गया है।

राज्य की कुल समितियों में से 2857 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें 629.443 लाख रुपये की धनराशि जमा है। 706 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें 4,33,90,745 रुपये की विशाल धनराशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त

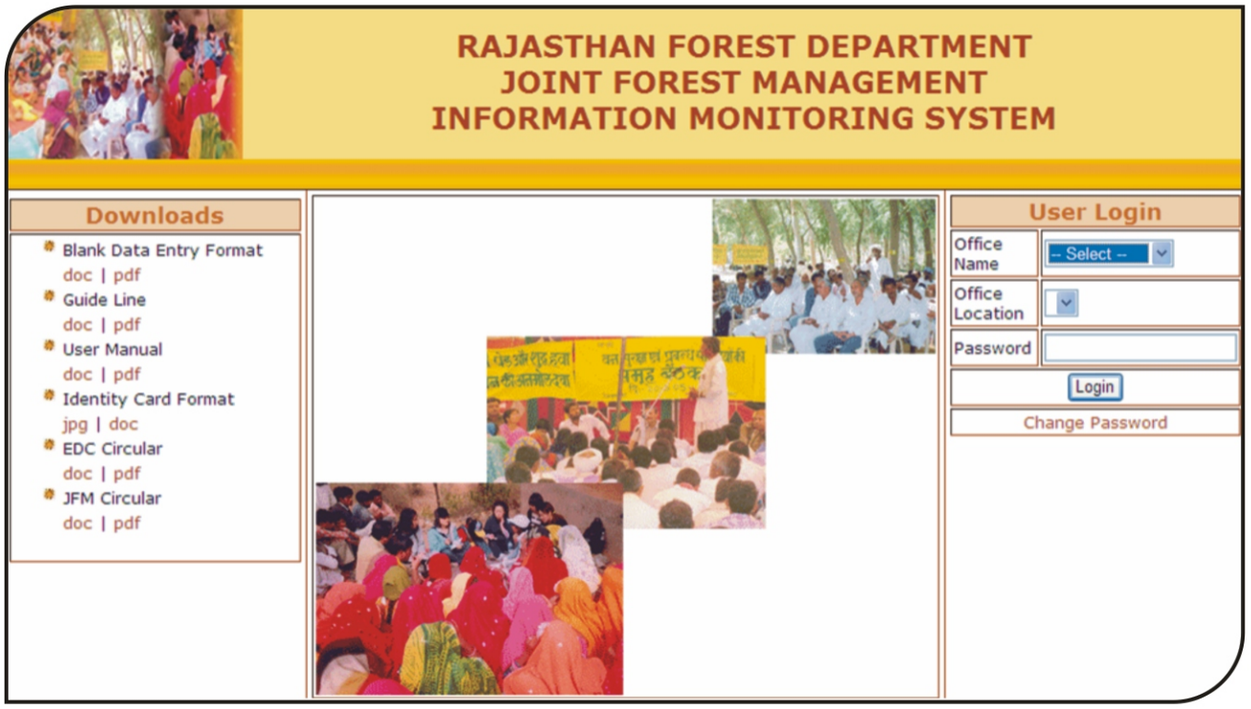

किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपण का बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में राज्य में नवगठित वन सुरक्षा समितियों को 1.5 लाख रुपये आधारभूत संरचना के विकास के लिए, 1.00 लाख रुपये परियोजना अवधि में सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु कारपस फण्ड सृजित करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक समिति को आय सृजन गतिविधियों हेतु 80,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि समिति के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को 20,000 रुपये प्रति समूह, कार्यकारी पूंजी के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे वे अपनी रोजगार की गतिविधियां आरम्भ कर सकें।

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष 2008–09 में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण एवं ढांचागत विकास कार्यों हेतु 17.70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यरत समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, एक्जिट प्रोटोकॉल व्यवस्था के अनुरूप, इस वर्ष 55.00 लाख रुपये की राशि इन समितियों के खातों में कारपस फण्ड में स्थानान्तरित की जा रही है।

वैकल्पिक रोजगार

कुटीर उद्योगों की स्थापना : वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदयपुर संभाग में गत वर्ष कतिपय नवीन गतिविधियां आरम्भ की गई थी जिनकी इस वर्ष की प्रगति इस प्रकार से है :–

लेमन ग्रास :

इसमें पाये जाने वाले सुगंधित तेल की वजह से यह आर्थिक महत्व की उपज है। इस वर्ष स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लेमन ग्रास की उन्नत वैराइटी का रोपण लखनऊ से मंगाकर किया गया है। इसके विक्रय हेतु निर्यातक संस्था से वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का एम.ओ.यू. हो चुका है। गत वर्ष 2.5 टन सूखी लेमन ग्रास विक्रय से वन सुरक्षा समिति सैलाना को 30 हजार रुपये की आय हुई है। लेमन ग्रास का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोपण व विदोहन करवाकर 'शार्टरोटेशन' पर आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्वारपाठा (Aloe Vera) रोपण द्वारा आय सृजन

उदयपुर (मध्य) वन मण्डल ओगणा रेंज के मकोडिया औषधीय वृक्षारोपण में वर्ष 1997 व 1999 में 10,000–10,000 ग्वार पाठे के पौधे रोपित किए गए थे। बाद में वर्ष 2000 में 50,000 पौधों का रोपण और किया गया। ग्वार

सज्जनगढ़ में एलोवेरा उत्पाद विक्रय स्टाल

पाठे के इस पौधारोपण से वन विभाग, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा ग्रामवासियों को आय अर्जन की नवीन संभावनाएं नजर आने लगीं। किन्तु ग्वार पाठे के पौधों की संख्या कम होने से इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था कि इसे कुटीर उद्योग का रूप दिया जा सके अत: वर्ष 2007–08 में वन खण्ड रायदरी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 12 लाख पौधे रोपित किए गए। गत वर्ष ऐलोवेरा का रस निकाल कर विक्रय करने की दिशा में कार्य आरम्भ किया गया। ग्वारपाठा के पत्तों से 'ज्यूस' बनाने हेतु स्वयं सहायता समूहों को महाराणा कृषि विश्वविद्यालय के 'पोस्ट हार्वेस्ट' विभाग से दो बार दिलवाया गया। विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण उपरान्त दो मशीनें (क्रशर व पल्पर) प्रायोगिक तौर पर कार्य करने हेतु उपलब्ध कराई।

ग्वारपाठे के तैयार पत्ते का वजन 400 से 600 ग्राम होता है तथा प्रतिवर्ष एक पौधे से 1.5 से 2 किग्रा. तक ताजा पत्ते प्राप्त हो जाते हैं। ग्राम अटाटिया के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तीन ''फ्लेवर'' अर्थात् पुदीना, नीबू व अदरक में 'एलोवेरा ज्यूस' तैयार किया जा रहा है। इस तैयार ज्यूस की बिक्री के लिए 4 फरवरी, 2009 को सज्जनगढ़ किला उदयपुर पर एक स्टाल (विक्रय केन्द्र) की स्थापना ''स्वास्थ्य की वृद्धि – ग्रामीणों की समृद्धि'' अवधारणा से की गई है। इससे समूह की आय आरम्भ हो गई है। माह मार्च के अन्त तक 100 रु. प्रति लीटर की दर से 500 लीटर ज्यूस बिक चुका है जिससे समिति को 50,000 रु. प्राप्त हो चुके हैं।

बांस से अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण

ग्राम क्यारिया

रेंज ओगणा वन मण्डल उदयपुर (मध्य)

दक्षिणी राजस्थान जनजाति बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर जिले बांस के अच्छे वन पाए जाते हैं। वन क्षेत्र से बांस का विदोहन व बांस सुधार कार्यों में विरलीकरण (Decongestion) करने के फलस्वरूप काफी अनुपयोगी बांस प्राप्त होता है जिसका कोई उपयोग नहीं होने से यह जंगल में पड़ा रहकर आग की घटनाओं में वृद्धि का कारक बनता है। इस वन मण्डल के वन क्षेत्रों में Dendrccalamus strictus प्रजाति का बांस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसका अगरबत्ती स्टिक्स बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

प्रशिक्षण : इसी अवधारणा के अन्तर्गत नेशनल मिशन ऑन बेम्बु एप्लीकेशन्स नई दिल्ली के सौजन्य से वन कर्मियों व बांस वाले वन क्षेत्र की तीन वन सुरक्षा समितियों के तीन सदस्यों को बांस से अगरबत्ती स्टिक्स बनाने का प्रशिक्षण मय एक्सपोजर विजिट आंध्रप्रदेश के बेलमपल्ली वन मण्डल में सहायक वन संरक्षक के नेतृत्व में कराया गया। इसके पश्चात् एक कटर मशीन तथा छोटी बड़ी हैण्ड मशीनें बनवाई गईं। अगरबत्ती स्टिक्स बनाने की एक दिवसीय कार्यशाला में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर (उत्तर) व उदयपुर (मध्य) वन मण्डल के बांस के वन क्षेत्रों वाली समितियों के लगभग

50 सदस्यों व वन कर्मियों को आंध्रप्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त वन कर्मियों एवं समिति सदस्य द्वारा प्रशिक्षण दिया जाकर अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण वृहद् क्षेत्र में घर–घर में करवाकर इसे ग्रामीण कुटीर उद्योग का रूप दिया जाने का आधार तैयार किया गया। अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण का प्रथम केन्द्र गत वर्ष क्यारिया (ओगणा) में स्थापित किया गया था। गत वर्ष उपलब्ध वेस्ट बैम्बू से 60 किलो अगरबत्ती स्टिक्स बनाई गई थीं। इस वर्ष पिपला गांव (देवला) में भी अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रारम्भ हो गया है। इस हेतु हरा बांस इस वर्ष विदोहन किये जा रहे वृक्षारोपण क्षेत्र मेरपुर, गेजवी से उपलब्ध कराया जा रहा है। अगरबत्ती निर्माण का कार्य 15 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति (महिला/पुरुष) वृद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने घर पर ही रहकर

घरेलू कार्य/श्रम नियोजन के पश्चात् शेष समय में हाथ की मशीन द्वारा बांस की स्लाईस (Chips) से अगरबत्ती निर्माण सुगमता से किया जा रहा है। स्टिक्स हेतु वही बांस उपयोगी है, जिसमें दोनों गांठों के बीच की लम्बाई (Internodal Length) न्यूनतम 8 इंच हो अर्थात् न्यूनतम 8 इंच के बांस के टुकड़े प्राप्त हो सके।

विपणन : सम्पूर्ण देश में अगरबत्ती निर्माण एक बड़े उद्योग की तरह विकसित है। तैयार अगरबत्ती स्टिक्स का वर्तमान मूल्य बाजार में स्टिक की लम्बाई एवं गुणवत्तानुसार 16–25 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस कार्य में कुशल पूर्णकालिक श्रमिकों को प्रतिदिन 100–150 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह खाली वक्त में भी परिवार के लोगों द्वारा उक्त कार्य अपने घरों पर या अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण केन्द्र पर किया जा सकता है व अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली व पंजाब के अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा समिति द्वारा उत्पादित स्टिक्स उच्च गुणवत्ता की पाई गई एवं समितियों का समस्त संभावित उत्पादन उन्हें भेजे जाने का आग्रह वन मण्डल से किया गया। उक्त कार्य से जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होने के आसार बने हैं वहीं सहभागी लाभ के कारण वनों से लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है व साझा वन प्रबन्ध की अवधारणा सुदृढ़ हो रही है। इस कार्य से रोजगार के अभाव में होने वाला श्रमिक पलायन रोका जा सकेगा।

बांस से अगरबत्ती स्टिक्स निर्माण से नियमानुसार आय सृजन की संभावना है।

प्रतिदिन/व्यक्ति/प्रति परिवार 4 घंटे प्रतिदिन कार्य से सप्ताह (6) श्रम दिवस में उपलब्ध कार्य घंटे = 24

अगरबत्ती स्टिक्स का उत्पादन 1/2 किलो प्रति घंटा= 12 किलो प्रति सप्ताह

साप्ताहिक लाभ प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 20 रुपये प्रति किलो = 240 रु.

2 व्यक्तियों द्वारा कार्य करने पर प्रति परिवार अतिरिक्त मासिक आय = 1920 रु.

अदरक से सौंठ :

उदयपुर जिले के झाडोल क्षेत्र में अदरक का उत्पादन बहुतायत से होता है। स्थानीय लोगों को अदरक से सौंठ बनाने का प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिलवाया गया व

छाया सौजन्य : आर. के. ग्रोवर

अदरक से सौंठ बनाना

लगभग 400 किलो अदरक की सौंठ बनवाई गई। प्रशिक्षण के दौरान तैयार हुई सौंठ को सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर को विक्रय हेतु भेजा गया। निर्यातकों द्वारा भी इस उत्पाद को पसंद किया गया है। इस वर्ष इस कार्य को और गति दी गई।

इस वर्ष रेंज फलासिया की वन सुरक्षा समिति परगिया पाड़ा ने पहल करते हुए सौंठ उत्पादन समूह का गठन कर ग्राम क्षेत्र में उपलब्ध अदरक से सौंठ बनाना आरम्भ किया। सौंठ उत्पादन हेतु महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय से सम्पर्क कर समिति के सदस्यों के लिए नि:शुल्क सौंठ प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाकर 12 कृषकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। वन विभाग के प्रयास से स्वयं सेवा संस्था बाल सहयोग, उदयपुर द्वारा कनाडा के सहयोग से 1 सोलर ड्रायर (2.50 लाख/प्रति इकाई) की स्थापना इस क्षेत्र में की जा चुकी है व 8 सोलर ड्रायर जिला परिषद् उदयपुर के माध्यम से स्थापना के प्रयास किये जा चुके हैं जिस हेतु बजट आवंटन भी प्राप्त हो चुका है। सौंठ बनाने की प्रक्रिया में सोलर टनल ड्रायर के उपयोग से न केवल प्रसंस्करण समय भी 28 दिन से 17 दिन का लगा

छाया सौजन्य : आर. के. ग्रोवर

सौंठ निर्माण हेतु परगिया पाडा में स्थापित सोलर ड्रायर टनल

अपितु उत्पादित सौंठ की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

सौंठ उत्पादन–उत्साहवर्धक परिणाम : झाड़ोल के गौराणा क्षेत्र में सौंठ उत्पादन के परिणाम चौंका देने वाले उत्साहवर्धक थे। फार्मा कम्पनी को दिये गये उत्पाद की गुणवत्ता की जांच कर कम्पनी द्वारा 150 टन सौंठ की मांग की है। इस क्षेत्र में कृषि विशेषज्ञों की तकनीकी सहायता से अदरक की उपज में वृद्धि करने के प्रयास किय जा रहे हैं। यही नहीं झाड़ोल से दूर–दूर तक के क्षेत्रों के कृषक भी अब अदरक उत्पादन से सौंठ बनाने की तकनीक को अपनाकर सामाजिक–आर्थिक उन्नति के पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वन मण्डल उदयपुर (मध्य) के अन्तर्गत झाड़ोल, ओगणा व फलासिया क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में 7 स्थानों पर 10 सोलर टनल ड्रायर की स्थापना जिला परिषद् व स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से स्थापित की जा रही है। जिसमें स्थापना व्यय इनके द्वारा पोषित बजट से व संचालन व्यय राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को आय सृजन गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराई गई राशि से किया जाना प्रस्तावित है। इस कुटीर उद्योग से निम्नानुसार आय की संभावना है :

संभावित आय

लगभग अदरक उत्पादन = 4500 क्विं.

बाजार से उत्पादन मूल्य/800 रुपये प्रति क्वि. = 36.00 लाख

अदरक से सौंठ उत्पादन हेतु उपलब्ध = 3150 क्वि.

सौंठ में रूपांतरण पश्चात् उत्पाद = 630 क्वि.

संभावित आय न्यूनतम बाजार भाव 15000/– क्वि. पर = 94.50 लाख

प्रक्रिया व्यय भण्डारण परिवहन व्यय/कर = 9.50 लाख

शुद्ध लाभ = 59.8 लाख

मूल्य संवर्धन = 2 गुणा

दाल मिल द्वारा आजीविका सुदृढ़ीकरण

वन मण्डल उदयपुर (मध्य) के फलासिया–झाड़ोल–कोटड़ा क्षेत्र में तुअर बहुतायत से होता है जिसे गुजरात राज्य के व्यापारी लगभग 18/– रुपये प्रति किलो की दर से क्रय कर प्रोसेसिंग कर तुअर से बनी दाल अनेक माध्यमों से होती हुई शहरी उपभोक्ताओं को 50 से 55 रुपये प्रति किलो की

छाया सौजन्य : आर. के. ग्रोवर

दाल का प्रोसेसिंग कार्य

दर से विक्रय की जाती है। क्षेत्र में दाल बनाने के संसाधन नहीं होने से स्थानीय कृषकों को तुअर का उचित मूल्य नहीं मिल पाता तथा वे जीवनयापन के लिए वनों पर आश्रित हो जाते हैं। अत: तुअर के मूल्य संवर्धन प्रक्रिया एवं विपणन कार्य में विभाग द्वारा गठित सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति करेल ने तुअर के मूल्य संवर्धन कार्य को आरम्भ किया। ग्रामवासियों को प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा संग्रहित तुअर की दाल मिल में परिशोधित करते हुए परिष्कृत दाल का विक्रय करने का प्रयास किया।

गत वर्ष जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से दाल मिल भवन निर्माण हेतु चार लाख रुपये एवम् दाल मिल स्थापना हेतु 1.60 लाख रुपये स्वीकृत किये जाकर दाल मिल भवन का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया। इस वर्ष जिला परिषद् उदयपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम्य स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 7.50 लाख रुपये की राशि से करेल में दाल मिल स्थापित किये जाने का निर्णय किया गया। दाल मिल हेतु भवन निर्माण सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा तथा मशीनें वन विभाग द्वारा क्रय की जाकर स्थापित की जा चुकी है। नये संयंत्रों से इस वर्ष 20 क्विंटल दाल का उत्पादन किया जा चुका है। इस हेतु कार्यरत तीन स्वयं सहायता समूहों को जिला परिषद् द्वारा पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस दाल मिल से निम्नानुसार दाल उत्पादन व मूल्य संवर्धन होने की संभावना है :

संभावित लाभ : (करेल) क्षेत्र में

तुअर उत्पादन प्रतिवर्ष = 500 क्वि.

स्थानीय दर 18 रु. किग्रा. प्रति टन पर मूल्य (लाख रु.) = 9.00

प्रसंस्करण लागत लाख (2 रु. किग्रा.) = 1.00

प्रसंस्करित तुअर दाल की बाजार दर 40 रु. किग्रा. पर मूल्य (लाख रु.) = 20.00

मूल्य संर्धन (लाख) = 10.00

कम्प्यूटरीकरण

चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले में कतिपय ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों में अपने ग्राम के बच्चों को नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक से जोड़ने की अनूठी पहल की है। इन समितियों ने अपने कोष से कम्प्यूटर क्रय कर विद्यालयों को उपलब्ध कराये हैं जहां ग्रामीण विद्यार्थी कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये समितियां समिति का लेखा बनाने का कार्य भी कम्प्यूटर पर कर रही हैं।

बांस विदोहन

राज्य में साझा वन प्रबन्ध की अवधारणा के अन्तर्गत गांव–गांव में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन कर, वन क्षेत्र व वृक्षारोपणों की सुरक्षा व प्रबन्ध समितियों का गठन कर, वन क्षेत्र व वृक्षारोपणों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले में उन्हें आय व लाभ में हिस्सा देने के अनुबन्ध किए गए थे। परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर ग्रामवासियों ने अपनी संगठित शक्ति से न केवल कुशल वन सुरक्षा व प्रबन्ध ही किया अपितु हिस्सा राशि भी प्राप्त की।

उदयपुर संभाग के अनेक वन मण्डलों में ऐसे ही अनुबन्धों के अनुरूप ग्रामवासियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों से बांस विदोहन कार्य वर्ष 2004–05 से आरम्भ किया गया जो शनैः–शनैः अनेक स्थानों पर हो गया है। अब तक बांस विदोहन से विभाग एवं ग्रामवासियों को प्राप्त हिस्सा राशि का विवरण अग्रांकित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004–05 से लेकर वर्ष 2007–08 तक 31 स्थानों पर विदोहन किए जाकर स्थाई समितियों को 17,97,680 रुपया हिस्सा राशि प्राप्त हुई है तथा इतनी ही राशि वन विभाग के खाते में गई है। इस वर्ष पश्चिमी वृत उदयपुर की 13 अन्य समितियों को बांस विदोहन की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है।

सुरक्षा समिति ग्राम पालछा रेंज विजयपुर द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराया गया कम्प्यूटर

17

खेलकूद प्रतियोगिताएँ

एशियन बैंच प्रेस चैम्पियनशिप

तेज कुमार शर्मा, वनपाल, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर ने एशियन पॉवर लिफ्टिंग फैडरेशन द्वारा 4–7 दिसम्बर, 2008 तक हांगकांग में आयोजित, एशियन बैंच प्रेस चैम्पियनशिप एम–प्रथम 110 किग्रा. वजन में भाग लिया तथा 145 किग्रा वजन उठाकर प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। तेज कुमार तकनीकी कारण से कांस्य पदक से वंचित रहे। उल्लेखनीय है कि श्री तेजकुमार राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिताओं में पॉवर लिफ्टिंग में अनेक स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीत चुके हैं।

17वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता

17वीं अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में 3 से 7 दिसम्बर, 2008 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य से सदस्यीय दल ने भाग लिया तथा तीन स्वर्ण, चार रजत व तीन कांस्य पदक प्राप्त किए :

चीफ डे मिशन – श्री यू.एम. सहाय, PCCF (TREE)

स्टेट कोर्डिनेटर ऑफ राजस्थान – श्री ए.के.गोयल, CCF (D.O.)

क्र.सं.	नाम खिलाड़ी	खेल	पदक
1.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस सीनियर वेटरन सिंगल	स्वर्ण
2.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस सीनियर वेटरन डबल्स	स्वर्ण
3.	श्री वीरेन्द्र सिंह	टेनिस सीनियर वेटरन डबल्स	स्वर्ण
4.	श्री राहुल भटनागर	टेनिस वेटरन सिंगल	रजत
5.	श्री महावीर सिंह	पॉवर लिफ्टिंग	रजत
6.	श्री रसिक बिहारी	डिस्कस थ्रो	रजत
7.	श्री सतीश भार्गव	टेबिल टेनिस	रजत
8.	श्री यू.एम. सहाय	टेनिस वेटरन डबल्स	कांस्य
9.	श्री राहुल भटनागर	टेनिस वेटरन डबल्स	कांस्य
10.	श्री प्रदीप सिंह	पॉवर लिफ्टिंग	कांस्य

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न–भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न–भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र एवं उनमें वन आवरण की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी में किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र की स्थिति (2005)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
				अत्यधिक सघन	सघन	अनावृत्त	कुल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अजमेर	8481	613.10	7.13	0	50	222	272	3.21
अलवर	8380	1784.14	21.29	14	369	828	1211	14.45
बांसवाड़ा+	5037	1236.67	24.55	0	48	322	370	7.35
बारां	6955	2231.71	32.08	0	135	948	1083	15.49
बाड़मेर	28387	609.10	2.14	0	12	157	169	0.60
भरतपुर	5066	382.39	7.54	0	38	198	236	4.66
भीलवाड़ा	10455	797.27	7.62	0	34	186	220	2.10
बीकानेर	27244	1202.94	4.41	0	37	162	199	0.73
बून्दी	5550	1509.17	27.19	0	143	302	445	8.02
चित्तौड़गढ़+	10856	2766.63	25.48	0	576	1098	1674	15.42
चूरू	16830	71.72	0.42	0	8	80	88	0.52
दौसा*	2950	282.63	9.58	0	-	-	-	-
धौलपुर	3034	638.45	21.04	0	101	318	419	13.81
डूंगरपुर+	3770	694.38	18.42	0	17	235	252	6.68
श्रीगंगानगर	7944	633.44	7.97	0	34	135	169	0.82
हनुमानगढ़*	12690	239.46	1.88	0	-	-	-	-
जयपुर	11588	948.07	8.18	0	113	510	623	4.43
जैसलमेर	38401	538.23	1.40	0	48	108	156	0.41
जालौर	10640	432.88	4.06	0	17	180	197	1.85
झालावाड़	6219	1345.72	21.63	0	83	312	395	6.35
झुन्झुनूं	5928	405.36	6.84	0	27	161	188	3.17
जोधपुर	22850	245.28	1.07	0	5	87	92	0.40
करौली*	5052	1802.06	35.67	0	-	-	-	-
कोटा	5481	1399.78	25.54	0	159	454	613	11.26
नागौर	17718	240.92	1.36	0	11	102	113	0.64
पाली	12387	960.80	7.76	0	209	410	619	5.00
राजसमंद	4768	396.57	8.32	0	130	288	418	10.83
सवाई माधोपुर	5005	992.13	19.82	0	298	996	1294	12.29
सीकर	7732	637.69	8.25	0	37	152	189	2.44
सिरोही+	5136	1598.76	31.13	0	305	580	885	17.23
टौंक	7194	331.56	4.61	0	35	132	167	2.32
उदयपुर+	12511	4581.23	36.62	0	1377	1717	3094	23.16
योग	**342239**	**32549.64**	**9.51**	**14**	**4456**	**11380**	**15850**	**4.63**

* दौसा, हनुमानगढ़ व करौली जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमश: जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2005 व वन सांख्यिकी 2005

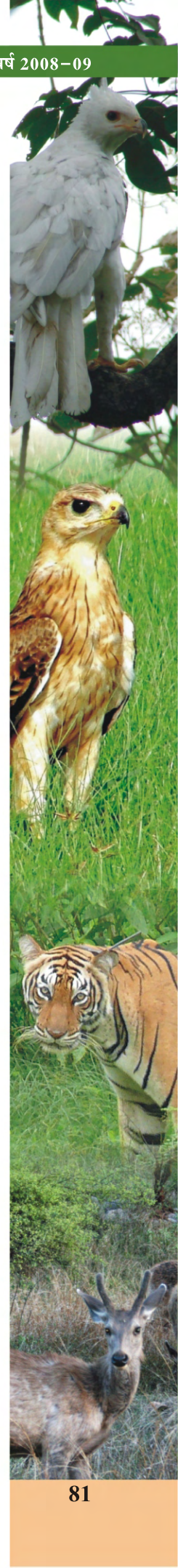

परिशिष्ट–2

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2008–09

उपलब्धि माह जनवरी, 2009 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य व उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य व उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टे.)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टे.)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	360	322	2.34	2.10
2.	अलवर	500	530	3.25	3.42
3.	बांसवाड़ा	2200	2008	14.29	13.05
4.	बारां	3600	3450	23.40	22.42
5.	बाड़मेर	150	50	0.98	0.10
6.	भरतपुर	500	546	3.25	2.73
7.	भीलवाड़ा	4450	4050	28.93	26.10
8.	बीकानेर	1300	1316	8.47	7.58
9.	बूंदी	300	220	1.95	1.43
10.	चित्तौड़गढ़	950	869	6.17	5.66
11.	चूरू	200	–	1.30	–
12.	दौसा	1400	1580	9.10	12.57
13.	धौलपुर	150	1700	0.98	5.70
14.	डूंगरपुर	1000	3371	6.50	13.88
15.	श्रीगंगानगर	650	356	4.23	2.64
16.	हनुमानगढ़	320	353	2.08	2.60
17.	जयपुर	500	782	3.26	5.42
18.	जैसलमेर	350	281	2.28	1.82
19.	जालौर	600	491	3.90	3.19
20.	झालावाड़	4500	4135	29.25	26.87
21.	झुन्झुनूं	200	–	1.30	–

22.	जोधपुर	300	272	1.95	2.45
23.	करौली	2650	2369	17.23	2.93
24.	कोटा	100	50	0.65	0.33
25.	नागौर	1100	988	7.15	4.64
26.	पाली	360	380	2.34	1.46
27.	प्रतापगढ़	2130	1684	13.85	10.26
28.	राजसमन्द	350	–	2.28	–
29.	सवाईमाधोपुर	1500	1153	9.75	0.17
30.	सीकर	300	200	1.95	1.30
31.	सिरोही	2850	2770	18.53	7.09
32.	टोंक	900	667	5.85	1.39
33.	उदयपुर	3280	4345	21.32	18.03
	योग	**40,000**	**41,287**	**260.00**	**208.33**

तत्कालीन वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी जिला स्तरीय सर्वोत्तम वनरक्षक पुरस्कार श्री बद्रीप्रसाद को प्रदान करते हुए।
साथ में परमेशचन्द्र, अति. मुख्य सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अभिजीत घोष

परिशिष्ट–3

राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2008–09 (दिसम्बर, 2008 तक)

योजना	व्यय जन. 08 से मार्च, 08	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय दिस. 08 तक
वानिकी सेक्टर					
जैव विविधता एवं ईको ट्यूरिज्म	10.30	15.03	13.70	145.00	112.59
संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	12.60	13.13	13.60	2.00	0.62
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	1.57	5.00	4.60	581.77	430.20
विश्व खाद्य कार्यक्रम	0.53	9.75	9.78	4.50	4.50
संचार एवं भवन	7.00	7.00	7.00	2.00	2.00
कैम्पा कोष				5000.00	296.24
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण				100.00	45.54
गंगनहर वृक्षारोपण				80.00	61.74
पर्यावरण वानिकी	82.70	271.15	269.66	10.50	4.86
वन्य जीव संरक्षण	201.96	304.53	288.00	193.27	82.57
कृषि वानिकी	33.87	78.01	77.22	20.00	12.64
कृषि वानिकी (पंचायतराज)		5.00			
शोध एवं प्रशिक्षण	11.22	26.51	25.10		
एकीकृत वन सुरक्षा योजना	36.77	40.53	38.45	68.25	
सहरिया समुदाय		0.01			
योग	**398.52**	**775.65**	**747.11**	**6207.29**	**1053.50**
बारहवां वित्त आयोग	600.73	709.55	673.59	1045.00	571.40
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं					
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	1310.83	4077.81	3991.38	141.31	187.92
योग		**4077.81**	**3991.38**	**141.31**	**187.92**
भू–संरक्षण सेक्टर					
पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	17.59	35.13	32.40	15.71	14.07
कारपस फण्ड	4.87	4.87	4.87	5.15	3.55
योग	**22.46**	**40.00**	**37.27**	**20.86**	**17.62**
बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	44.09	153.99	153.83	146.99	145.96
नदी घाटी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा		11.00		60.00	31.12
लूणी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	60.87	140.01	139.20	143.01	78.66
योग	**104.96**	**305.00**	**293.03**	**350.00**	**255.74**
महायोग	**1126.67**	**5908.01**	**5742.38**	**7764.46**	**2086.18**

परिशिष्ट-4

वार्षिक योजना 2008-09
महत्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	जनवरी, 09 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	**वानिकी सेक्टर**			
	कृषि वानिकी	लाख	43.00	38.39
	पर्यावरण वानिकी	है.	300	
	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आरकेएम	905	534
	गंग नहर	आरकेएम	515	504
2.	**झालाना एवं आमेर का विकास**			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	रनिंग मीटर	9000	7275
	(ब) लूज स्टोन चैक डैम	घन मीटर	3000	1728
	(स) मृदा एवं नमी संरक्षण	संख्या	4	3
	बारहवां वित्त आयोग			
	(अ) पक्की दीवार का निर्माण	किमी.	64.00	40.78
	(ब) मीनारों की स्थापना	संख्या	7500	2417
3.	**भू-संरक्षण**			
	(अ) वृक्षारोपण	है.	210	210
4.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	लाख	40.00	40.00

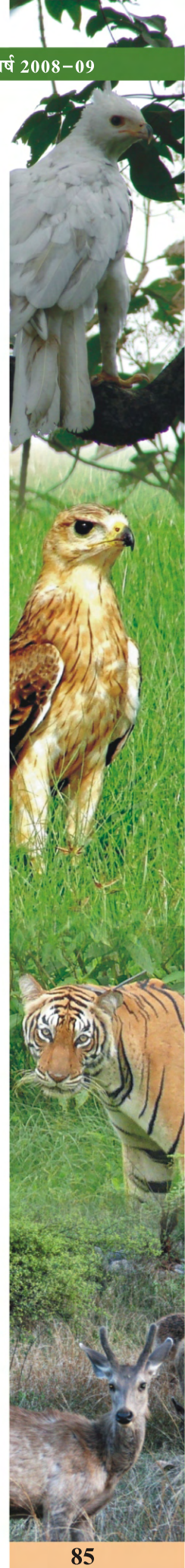

परिशिष्ट–5

योजनावार वित्तीय प्रगति : केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

नाम योजना	जनवरी 08 से मार्च 08 तक व्यय	2007–08		2008–09	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय दिस. 08 तक
सांभर नम भूमि	73.85	123.79	95.88	125.87	
बाघ परियोजना रणथम्भौर	119.67	232.44	226.50	345.00	77.14
बाघ परियोजना सरिस्का	106.48	235.20	143.29	336.50	161.42
घना पक्षी विहार	23.98	38.59	33.68	60.00	4.10
अन्य अभयारण्यों का विकास	156.91	311.60	259.89	300.00	98.78
मरु राष्ट्रीय उद्यान		19.00		50.00	2.00
चिड़ियाघरों का विकास	19.00		19.00	0.02	
एकीकृत वन सुरक्षा योजना	110.29	121.57	115.34	204.75	
कुल वानिकी सेक्टर	**610.18**	**1082.19**	**893.58**	**1422.14**	**343.44**
नदी घाटी परियोजनाएं	503.10	1260.00	1232.23	1281.90	852.31
बनास	446.26	1386.00	1393.69	1328.10	1266.86
लूणी		99.00		540.00	286.72
कुल भू–संरक्षण सेक्टर	**949.36**	**2745.00**	**2625.92**	**3150.00**	**2405.89**
महायोग	**1559.54**	**3827.19**	**3519.50**	**4572.14**	**2749.33**

एकीकृत वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत झालाना वन खण्ड में निगरानी हेतु बनाई गई वाच टावर

भू एवं जल संरक्षण

बाढ़ संभावित नदी बनास तथा लूणी नदी परियोजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2008–09 में कराये गये कार्यों की सूची

क्र.सं.	नाम सब वाटरशेड	भौतिक उपलब्धि माह दिसम्बर, 08 तक
1.	रायपुरा	121
2.	नयागांव	457
3.	गोरधनपुरा	163
4.	लाम्बाहरिसिंहपुरा	307
5.	मोरला	267
6.	भदोलवा	354
7.	सूरजपुरा	398
8.	मलिकपुरा	260
9.	गुलगांव	465
10.	दतवा	310
11.	लालगढ़	942
12.	पावाडेरा	143
13.	जगमेदा	58
14.	गुनशिला	88
15.	बासला	73
16.	जौला	691
17.	बगीना	556
18.	ढाणी मानपुर	400
19.	धौली	888
20.	ढाबरा	364
21.	ठेकरा	170
22.	बलोपा	278
23.	इटावा	69
24.	झुमनलबाड़ी	204
25.	मोराडूंगर	180
26.	नैनवा की गवाड़ी	318
27.	रेवाली	825
28.	तमोरिया	376
29.	सूज्या भैरू	440
30.	झारिया	552
31.	नयागांव	56
32.	डाबरा	69
33.	राहोली–प्रथम	310
34.	राहोली–द्वितीय	465
35.	नटाटा	396
	योग	**12013**
लूणी नदी परियोजना		
1.	बढ़ागुडा	480
2.	डिगोर	630
3.	अर्जुरपुरा	375
4.	खाजपुरा	435
5.	श्रीयाली	130
6.	ब्यावरखास	433
7.	फतेहगढ़	326
	योग लूणी	**2809**
	कुल योग	**14822**
गत वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में हुए उप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या 52 में कराये गये हैक्टेयरों की संख्या		6114
	महायोग	**20936**

परिशिष्ट–7

राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की सूची

क्र.सं.	राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
	राष्ट्रीय उद्यान		
1.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
2.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	392.50
	अभयारण्य		
1.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य	अलवर	557.50
2.	मरु वन्य जीव अभयारण्य (डी.एन.पी.)	बाड़मेर, जैसलमेर	3162.50
3.	सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	127.76
4.	कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य	करौली, सवाईमाधोपुर	676.40
5.	कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर, राजसमन्द, पाली	608.57
6.	फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	492.68
7.	टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य	अजमेर, पाली, राजसमन्द	463.03
8.	सीता माता वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़, उदयपुर	422.94
9.	रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य	बून्दी	252.79
10.	जमवारामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	300.00
11.	माउन्ट आबू वन्य जीव अभयारण्य	सिरोही	112.98
12.	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली	280.00
13.	दर्रा वन्य जीव अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	274.41
14.	भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	229.14
15.	बंध बरेठा वन्य जीव अभयारण्य	भरतपुर	199.50
16.	बस्सी वन्य जीव अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69
17.	जवाहर सागर वन्य जीव अभयारण्य	बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़	153.41
18.	शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	बारां	98.70
19.	जयसमन्द वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	52.34
20.	नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	जयपुर	50.00
21.	रामसागर वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	34.40
22.	वन विहार वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	25.60
23.	केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य	धौलपुर	14.76
24.	तालछापर वन्य जीव अभयारण्य	चूरू	07.19
25.	सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य	उदयपुर	05.19
		योग	**9161.21**

परिशिष्ट–8

वर्ष 2007–08 की वास्तविक प्राप्तियां एवं वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत दिसम्बर, 08 तक कुल प्राप्तियां

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक (0406)	राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य आर.एफ. चालू वर्ष	राजस्व प्राप्ति माह मार्च 08 तक कुल	राजस्व कुल प्राप्ति माह दिसम्बर 08
1	2	3	4	5
101.	लकड़ी और वन्य उत्पाद की बिक्री			
1.	इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	3.00	1.44	94.64
2.	जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2300.00	2099.83	1288.01
3.	बांस से प्राप्तियां	200.00	166.90	155.84
4.	घास तथा वन की शुद्ध उपज	70.00	116.81	37.53
6.	तेन्दू पत्ता व्यापार योजना			
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	1325.00	1637.12	438.33
2.	अन्य विविध प्राप्तियां	6.00	19.09	11.57
	योग–101	**3904.00**	**4041.19**	**2025.92**
205.	काष्ठ निर्माण केन्द्र की प्राप्तियां	–	–	
	योग–205	**–**	**–**	
800.	अन्य प्राप्तियां			
1.	अर्थ दण्ड और राज सत्कार	500.00	587.99	283.06
2.	शिकार अनुज्ञा शुल्क		61.65	–
3.	व्ययगत निक्षेप	0.50	6.38	0.43
4.	अन्य वनों से प्राप्तियां	0.50	1.38	–
5.	अन्य विविध प्राप्तियां	300.00	575.46	346.43
	योग–800	**801.00**	**1232.86**	**629.92**
	योग–1	**4705.00**		
2.	पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन			
111.	प्राणी उद्यान			
1.	चिड़ियाघर से प्राप्तियां	170.00	152.36	117.82
800.	अन्य प्राप्तियां			
1.	ईको डवलपमेंट से आय	325.00	280.54	281.60
	योग–02	**495.00**	**432.90**	**399.42**
	योग–0406	**5200.00**	**5706.95**	**3056.16**

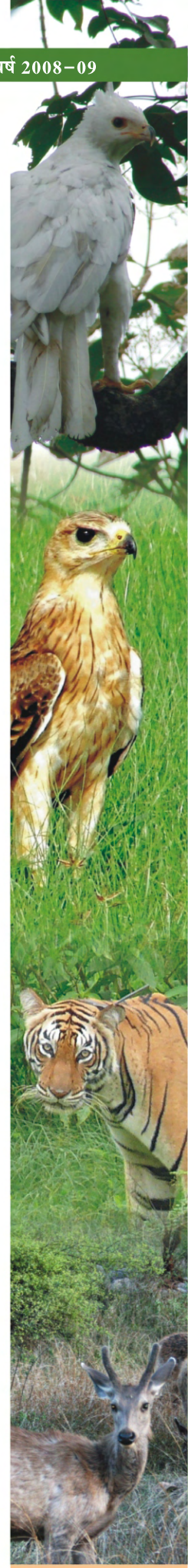

Organizational Structure of Forest

Pr. Sec. Forest

- PCCF, Rajasthan
  - CF & TA
  - APCCF (Adm)
    - CCF (Hq)
      - DCF & TA
    - CF (L&L)
      - DCF (Labour)
      - DLR
  - APCCF (Dev)
    - CCF (Plan)
      - ACF (MP)
      - DCF (Plan)
  - APCCF (FC&P)
    - CCF (Protection)
      - DCF (FC)
      - DCF (Forest Prot)
  - APCCF (M&E)
    - CF (CE)
      - DCF CE Jaipur
      - DCF P&M AAP
      - DCF P&M FDP
      - DCF P&M Bikaner
  - FA
  - CCF Jaipur
    - CF
      - DCF Jpr. (C)
      - DCF Jpr. (N)
      - DCF Jpr. (S)
      - DCF Alwar
  - CCF Ajmer
    - DFO Ajmer
    - DCF Chittorgarh
    - DFO Tonk
    - DCF Bhilwara
  - CCF Jodhpur
    - CF Jodhpur
      - DFO Jodhpur
      - DCF Barmer
      - DCF Jaisalmer
      - DCF Pali
      - DCF Jalore
    - CF Sikar
      - DCF Sikar
      - DCF Nagour
      - DCF Jhunjhunu
      - DCF Churu
  - CCF Bikaner
    - CF Stage I
      - DFO Bikaner
      - DCF Chattargarh
      - DCF Hanumangarh
      - DCF Sriganganager
    - CF Stage II
      - DCF Div.-I Bikaner
      - DCF Div.-II Bikaner
      - DCF WFP Jaisalmer
      - DCF OECF Jaisalmer
  - CCF Udaipur
    - CF
      - DCF Udr. (N)
      - DCF Udr. (S)
      - DCF Udr. (C)
      - DCF Rajsamand
      - DCF Dungarpur
      - DFO Banswara
      - DCF Pratpgarh
      - DCF Sirohi
  - CCF Bharatpur
    - DCF Bharatpur
    - DCF Karouli
    - DCF Dholpur
    - DCF Dausa
    - DCF Swm.
  - CCF (Kota)
    - CF
      - DCF, Kota
      - DCF, Jhalawar
      - DCF, Bundi
      - DCF, Baran
- PCCF & CWLW
  - CCF (WL) Jaipur
    - CF (FD) Sariska
      - DCF KNP Bharatpur
      - DCF Sariska
    - CF (FD) RTR, Kota
    - CF (WL) Jaipur
      - DCF (WL) Jaipur
      - DCF (Plan) Jaipur
    - CF (ET)
      - DCF Core SWM
      - DCF Buffer Karoli
      - DCF (WL) Kota
  - CCF (WP&FS) Jaipur
    1. WPO, Udaipur
    2. WPO, Bikaner ST. I
    3. WPO, Bikaner ST.II
    4. WPO, Bhilwara (Sanction of Office Still Awaited)

PCCF, Raj. is HOD of Forest Deptt. and he is principal advisor to State Govt.
Other PCCFs appraise PCCF, Rajasthan about all activities performed by them time to time.

परिशिष्ट–9

Forest Department, Rajasthan

Minister

As on 1-3-2009

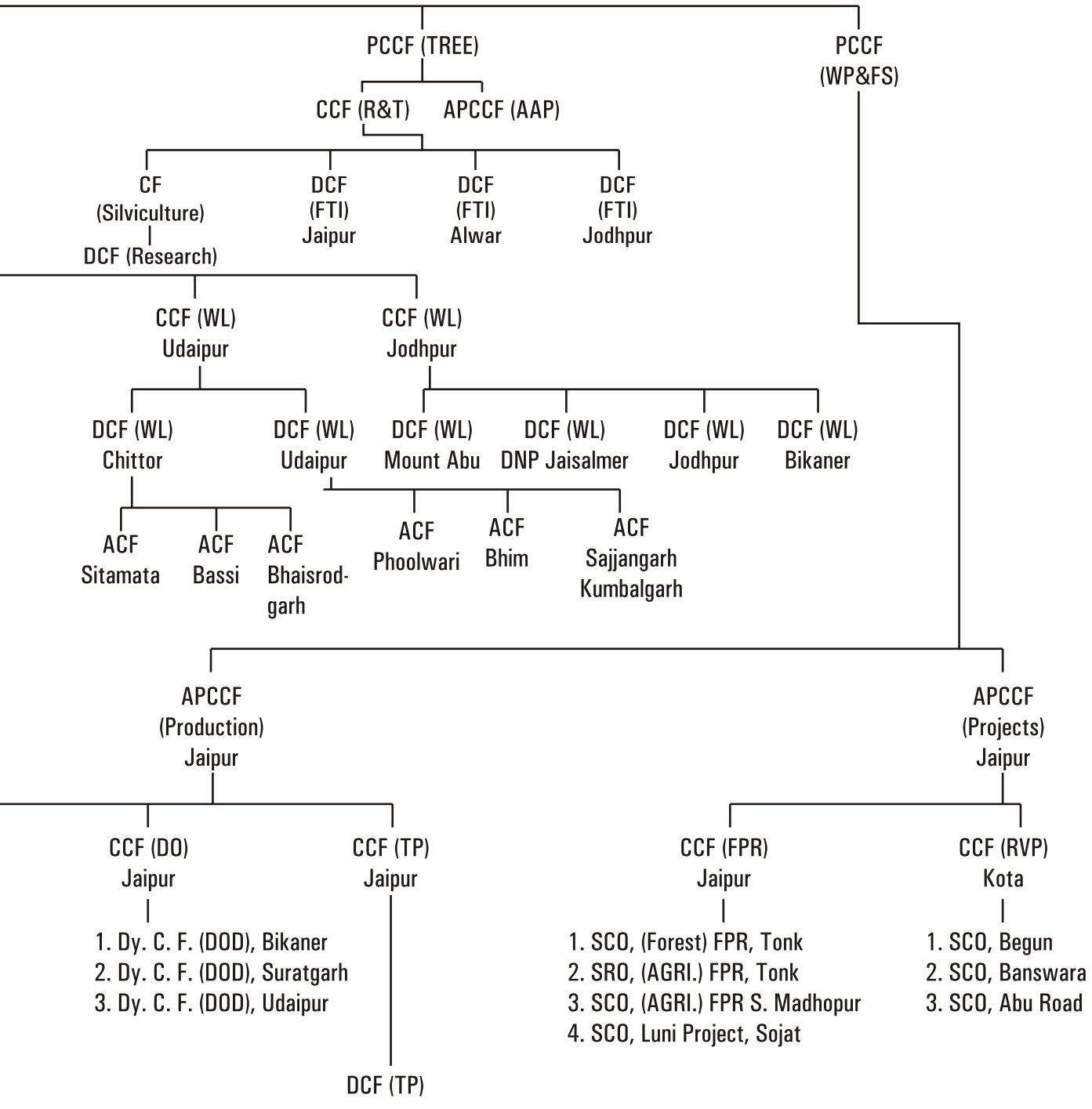

परिशिष्ट–10

List of plant species of Rajasthan Proposed for inclusion in Schedule VI of Wildlife (Protection) Act, 1972

S. No.	Botanical Name	Family	Habit	Distribution in Rajasthan
1.	*Acampe praemorsa*	Orchidaceae	Herb	Phulwari and Sitamata WLS
2.	*Adhatoda beddomei*	Acanthaceae	Shrub	Mount Abu
3.	*Ammania desertorum*	Lythraceae	Herb	Jodhpur, Divikot
4.	*Anticharis glandulosa var. Caerulea*	Scrophulariaceae	Herb	Jaisalmer
5.	*Arides crispum*	Orchidaceae	Herb	S. Rajasthan
6.	*Arides multiflorum*	Orchidaceae	Herb	Mount Abu
7.	*Arisaema tortuosum*	Araceae	Herb	Phulwari and Sitamata WLS
8.	*Begonia trichocarpa*	Begoniaceae	Herb	Mount Abu
9.	*Carvea callosa*	Acanthaceae	Shrub	Southerm Rajasthan
10.	*Celtis tetrandra*	Ulmaceae	Tree	Kumbhalgarh
11.	*Ceropegia odorata*	Asclepiadaceae	Climber	Mount Abu
12.	*Codia crenata*	Boraginaceae	Shrub/small tree	Ajmer, Phulwari
13.	*Commiphora wightii*	Burseraceae	Shrub/small tree	Dotted in whole Rajasthan
14.	*Convolvulus blatteri*	Convolvulaceae	Herb	Endemic to Thar Desert of Rajasthan
15.	*Costus speciosus*	Zingiberaceae	Herb	Phulwari and Sitamata WLS
16.	*Dalbergia volubilis*	Fabaceae	Liann	Phulwari ki nal
17.	*Dicleptera abuensis*	Acanthaceae	Shrub	Mount Abu
18.	*Dipterygium glaucum*	Capparaceae	Shrub	North-West Rajasthan
19.	*Ephedra foliate var cilliata*	Ephedraceae	Shrub	Thar Desert
20.	*Eulophia orhreata*	Orchidaceae	Shrub	S. Rajasthan
21.	*Farsettia macrantha*	Cruciferae	Shrub	Barmer
22.	*Habenaria longicorniculata*	Orchidaceae	Herb	S. Rajasthan
23.	*Indigofera caerulea*	Fabaceae	Herb	Pali (Endemic)
24.	*Ischaemum kingii*	Poaceae	Herb	Mount Abu
25.	*Leea macrophylla*	Leeaceae	Herb	S. Rajasthan
26.	*Monsonia heliotropoides*	Geraniaceae	Herb	Jaisalmer, Bikaner
27.	*Oroxylum Indicum*	Bignoniaceae	Tree	S. Rajasthan
28.	*Rosa involucrata*	Rosaceae	Shrub	Mount Abu
29.	*Schrebera swietenioides*	Oleaceae	Tree	S. Rajasthan
30.	*Sterculia guttata*	Sterculiaceae	Tree	Mount Abu
31.	*Sterculia villosa*	Sterculiaceae	Tree	S. Rajasthan
32.	*Stereospermum colais*	Bignoniaceae	Tree	S. Rajasthan
33.	*Tribulus rajasthanensis*	Zygophyllaceae	Herb	Thar Desert